खण्ड-174, अंक-3
बुधवार, 27 आषाढ़, शक संवत् 1878
(18 जुलाई, 1956 ई0)

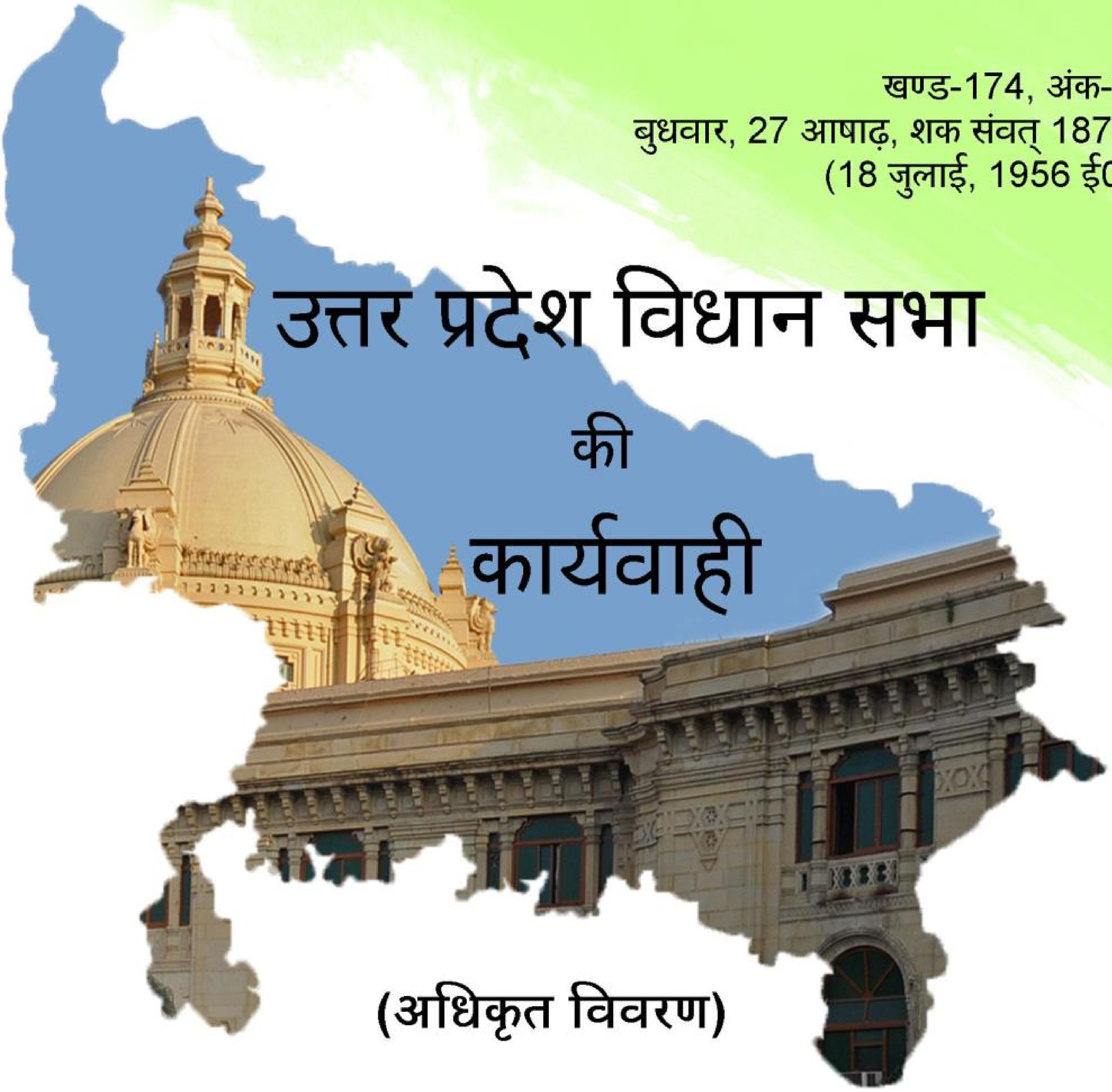

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 174 में 6 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५६

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, १८ जुलाई, १९५६

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ, में ११ बजे दिन में अध्यक्ष श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३१७)

अंसमान सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतहर हुसेन ख्वाजा, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अवधेश चन्द्र सिंह, श्री
अवधेश प्रताप सिंह, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसेन, श्री
उदयभान सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेदसिंह, श्री
उल्फतसिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
ओंकार सिंह, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
करनसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
उपनाम छुन्नन गुरू, श्री
कल्याण राय, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
किन्दरलाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केदार नाथ, श्री
केवल सिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुरुप्रसाद पांडेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गेंदासिंह, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गौरी राम, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री

अवधेश प्रदेश विधान सभा

छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीशसरन रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथप्रसाद , श्री
जगन्नाथ बख्शदास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगपति सिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपालसिंह, श्री
जयेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
जवाहर लाल, श्री
जवाहर लाल रोहतगी, डाक्टर
जुगलकिशोर, आचार्य
जोरावर वर्मा, श्री
ज्वालाप्रसाद सिन्हा, श्री
झारखंडे राय, श्री
टीकाराम, श्री (बदायूं)
डल्लाराम, श्री
डालचंद, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवनन्दन शुक्ल, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रप्रतापनारायण सिंह, श्री
द्वारका प्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिका प्रसाद पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री,श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नारायणदीन वाल्मीकि, श्री
निरंजन सिंह, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी दयाल, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनबिहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
फूलसिंह, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बलदेव सिंह, श्री (गोंडा)
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्तसिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालेंदुशाह, महाराजकुमार
बिशम्बर सिंह, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवान सहाय, श्री
भीमसेन, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

भुवरजी, श्री
भूपालसिंह, खाती, श्री
भोलासिंह यादव, श्री
मक़सूद आलम खां, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखानसिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महाराजसिंह, श्री
महाबीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महाबीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महाबीर सिंह, श्री
महीलाल, श्री
मिज़ाज़ीलाल, श्री
मुजफ़्फ़र हसन, श्री
मुन्नीन्द्रपाल सिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज़
मुहम्मद तकी हादी, श्री
मुहम्मद रऊफ़ जाफरी, श्री
मुहम्मद शाहिद फाख़री, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुबीरसिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेंद्रदत्त, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअधीन सिंह यादव, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध सिंह, श्री
रामआसरे वर्मा, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरणलाल गंगवार, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजीसहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलाल, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामसेवक यादव, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
रामेश्वरलाल, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लताफत हुसैन, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फ़अली खां, श्री
लेखराजसिंह, श्री

वंशीदास धनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्रामराय, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरेंद्र वर्मा, श्री
वीरेंद्रशाह, राजा
व्रजवासीलाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवनाथ काटजू, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजनराय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल सिंह, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवरामराय, श्री
शिववक्षसिंह राठौर, श्री
शिववचनराव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेवप्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथराम, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीपतिसहाय, श्री
सईद जहां मखफी शेरवानी, श्रीमती
संग्रामसिंह, श्री
सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायणदत्त, श्री
सत्यसिंह राणा, श्री
सफिया अब्दुल वाजिद, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सहदेव सिंह, श्री
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरलाल, श्री
सुरजूराम, श्री
सुरेंद्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सूर्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हमीद खां, श्री
हरखयाल सिंह, श्री
हरगोविन्द पंत, श्री
हरगोविन्द सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरसहाय गुप्त, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिसिंह, श्री

प्रश्नोत्तर

बुधवार, १८ जुलाई, १९५६

तारांकित प्रश्न

*१—श्री रामदुलारे मिश्र (जिला कानपुर)—[२४ जुलाई, १९५६ के लिये प्रश्न २५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

विधान सभा प्रदेश

केन्द्रीय नियोजन आयोग द्वारा राज्य की औद्योगिक विकास योजना में कमी

*२—श्री रामदुलारे मिश्र—क्या यह सही है कि प्रदेश के प्रस्तावित औद्योगिक विकास योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय नियोजन आयोग ने लगभग एक दर्जन अन्य कारखाने काट दिये हैं ?

नियोजन मंत्री के सभा-सचिव (श्री बनारसीदास)—जी हां।

श्री रामदुलारे मिश्र—क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर बतलायेंगे कि प्रदेश की प्रस्तावित उद्योग विकास योजना के अन्तर्गत केंद्रीय नियोजन आयोग ने लगभग जो एक दर्जन कारखाने काट दिये हैं, उनकी आवश्यकता पर वह प्रकाश डालने की कृपा करेंगे ?

नियोजन मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—यह प्रश्न बड़ा लम्बा चौड़ा है। बहुत से उद्योग-धंधों की इस प्रदेश में आवश्यकता है और यदि उन उद्योग-धंधों के विषय में चर्चा की जाय तो काफी समय लगेगा। यदि माननीय सदस्य उस आवश्यकता के विषय में जानना चाहते हैं। प्रत्येक उद्योग के विषय में तो उन्हें जानकारी मैं अवश्य अपने कमरे में करादूंगा, लेकिन यदि वह चाहते हैं कि मैं एक लम्बा-चौड़ा जवाब दूं तो ठीक है, लेकिन समय काफी लगेगा।

श्री रामदुलारे मिश्र—क्या यह सही है कि माननीय मुख्य मंत्री और माननीय नियोजन मंत्री केंद्रीय नियोजन आयोग से प्रत्येक कारखाने की आवश्यकता के संबंध में अभी भी वार्ता चला रहे हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां, जहां तक उद्योग-धंधों का विषय है, वे अधिक से अधिक इस प्रदेश में लगें, इसकी बराबर चेष्टा जारी है और जारी रहेगी।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—क्या माननीय उद्योग मंत्री जी कृपा कर बतलायेंगे कि वह कौन से कारखाने हैं जिनको कि केंद्रीय नियोजन आयोग ने काटा नहीं है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—केंद्रीय आयोग के सामने कुछ तो पब्लिक सेक्टर के उद्योग-धंधे थे और कुछ प्राइवेट सेक्टर के उद्योग-धंधे थे। तो पब्लिक सेक्टर के वह उद्योग-धंधे जिनमें विकास का कार्य होने वाला था उन्हें उन्होंने मंजूर किया है। कुछ उद्योग-धंधे जो प्राइवेट सेक्टर के थे और जिनमें हमें सहायता देने को थी, उनके विषय में, जहां तक सहायता देने का सवाल था उनको उसने मंजूर नहीं किया है, उस नीति की तहत में जिसको कि वह निश्चित करना चाहते हैं और जिसमें वह चाहते हैं कि प्रदेशीय सरकार प्राइवेट सेक्टर के उद्योग-धंधों को स्वतः धन या ऋण इत्यादि की मदद न दें।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय उद्योग मंत्री जी कृपया स्पष्ट करेंगे कि वह कौन-कौन से उद्योग-धंधे हैं जिनको केंद्रीय नियोजन आयोग ने मंजूर किया है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—केंद्रीय आयोग ने हमारी जो सीमेंट फैक्ट्री है उसका विकास होने की बात को मंजूर किया है, जो प्रेसीजन फैक्ट्री है उसके विकास को मंजूर किया है, कुछ ज्वेल्स हैं उनके बनाने के विषय में जो हमने योजना दी थी उसको मंजूर किया है और चार कोआपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज की मंजूरी प्रदान की है। इसके अलावा कुछ उद्योग-धंधे जो कि प्राइवेट सेक्टर में लगने वाले हैं, उनके विषय में उन्होंने कोई चर्चा नहीं की है, लेकिन करीब दो करोड़ की रकम अभी उन्होंने उद्योग-धंधे चलाने के विषय में ऋण इत्यादि के रूप में देने के सिलसिले में मंजूर की है।

श्री बलवन्त सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सेन्थेसिस रबर के लिये भी कोई कारखाना मंजूर किया गया है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---इसके विषय में केन्द्रीय सरकार स्वयं अपने कंसल्टेंट से विचार करने के बाद निर्णय लेने जा रही है और उसमें उन्होंने बरेली के पास के एक स्थान को टेंटेटिव ढंग से देखा भी है और उसके विषय में वह प्रादेशिक सरकार से लिखा-पढ़ी कर रही है।

श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि वह कौन-कौन से कारखाने हैं कि जो काट दिये गये हैं और उनके काटने का क्या कारण है ?

श्री अध्यक्ष---उत्तर में आप कारण मत दीजिये, हां, उनका नाम आप ले सकते हैं।

श्री चन्द्रभानु गुप्त---मैंने जैसा बताया कि जो योजना केंद्रीय सरकार के समक्ष प्रस्तुत की गई थी उस योजना में जहां तक प्राइवेट सेक्टर के उद्योग-धंधों का विषय है वह ३० करोड़ के लगभग थी। उस योजना में से प्राइवेट सेक्टर में क्या-क्या इंडस्ट्रीज हम प्रदेश में लगाना चाहते थे और उनको लगवाने के सिलसिले में क्या-क्या ऋण इत्यादि देना चाहते थे, मैं उनकी सूची आपको पढ़ कर सुनाये देता हूं, जो इस प्रकार है।

पेपर एन्ड केमिकल पल्प के लिये साढ़े तीन करोड़ रुपया है, चार शुगर फैक्ट्रीज के लिये चार करोड़ रुपया है, पेपर एन्ड बोर्ड फैक्ट्री, ज्वालापुर, हरद्वार के लिये १ करोड़ २५ लाख रुपया है, मैन्युफैक्चर आफ मशीनरी पार्ट्स के लिये ३ करोड़, क्राफ्ट फैक्ट्री ५० टन का प्लांट के लिये ८० लाख, कारबाइड फैक्ट्री के लिये ४१ लाख, टैक्सटाइल मिल के लिये १ करोड़ ५० लाख, हैन्ड टूल्स के लिये ५८ लाख, स्टील प्रोसेसिंग प्लांट के-लिये १ करोड़ ५० लाख, मेकेनिकल ट्वायज के लिये १२ लाख, मैन्युफैक्चर आफ टिन कंटेनर्स के लिये ३४ लाख, मैनुफैक्चर आफ थर्मस फ्लास्क के लिये १० लाख, पेपर एन्ड बोर्ड फैक्ट्री, मिर्जापुर के लिये १ करोड़ २५ लाख, रेयन के लिये ३ करोड़, हार्ड बोर्ड के लिये १० लाख, टाइल्स एन्ड मार्बल फैक्ट्री के लिये ४ लाख ८२ हजार, दस स्पिनिंग यूनिट्स, २० हजार स्पेंडिल्स के लिये ४ करोड़, सोडा ऐश ५० टन के प्लांट के लिये ८० लाख, कास्टिक सोडा २० टन का प्लांट के लिये ५० लाख, मैन्युफैक्चर आफ चेफ़कटर नाइफ के लिये ५ लाख २५ हजार, मैन्युफैक्चर आफ प्रेसीजन ड्रान पिनन राड्स के लिये २२ लाख, मैन्युफैक्चर आफ स्क्रू बोल्ट्स और नट्स आदि के लिये २८ लाख और शिफ्टिंग आफ फोनिक्स फैन फैक्ट्री को कलकत्ता से कानपुर लाने के लिये १५ लाख रुपया रखा गया है। इस तरह से कुल योजना २७ करोड़ ५० लाख की थी जिसका आधा पैसा हम ऋण के रूप में इन उद्योग-धंधों को चलाने के लिये देने को थे। यह पैसा उन लोगों को दिया जाता जो इस प्रकार के उद्योग-धंधे लगाते। यह रकम करीब साढ़े तेरह करोड़ के आती थी और १६ करोड़ की रकम हमने इसलिए रखी थी कि उद्योग-धंधे जो प्राइवेट सेक्टर में लगने को थे उनको ऋण इत्यादि के रूप में इस रकम से सहायता दी जाय। परन्तु जैसा अभी मैंने प्रारम्भ में बताया कि केंद्रीय आयोग ने जहां तक प्राइवेट सेक्टर में उद्योग-धंधों को रुपया देने की बात थी उसको अपनी नीति की तहत में अभी तो नामंजूर कर दिया है।

कानपुर जिले में कताई व खादी बुनाई केन्द्र

*३---**श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित** (जिला कानपुर)---क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर शहर व जिले में आजकल कितने कताई व खादी बुनाई केंद्र चालू हैं और उनमें कितने व्यक्तियों को शिक्षा दी जा रही है ?

श्री बनारसीदास---कानपुर शहर में एक बुनाई केंद्र तथा एक कताई केंद्र और इस जिले में तीन कताई तथा एक बुनाई केंद्र हैं। इन सब केंद्रों में कुल २९१ व्यक्तियों को शिक्षा दी जा रही है।

श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित---क्या माननीय मंत्री महोदय शहर और जिले में जो केन्द्र हैं उन जगहों के नाम बतलाने का कष्ट करेंगे और यह भी बतलाने का कष्ट करेंगे कि उनमें अलग-अलग शिक्षा पाने वाले व्यक्तियों की क्या संख्या है ?

श्री बनारसीदास---नौरंग, नांखाल और पुखराया में यह ट्रेनिंग पा रहे हैं। नौरंग में ६०, नाखल में १२७ और पुखराया में ६०। कानपुर शहर के लिये वहां पर ट्रेनिंग देने का केंद्र स्वीकार किया गया है।

श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित---क्या मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि कानपुर शहर में जो केन्द्र है वह किस स्थान पर है ?

श्री बनारसीदास---मैंने अभी बतलाया कि पिछले महीने कानपुर में केंन्द्र मंजूर किया गया है।

श्री नागेश्वर द्विवेदी (जिला जौनपुर)---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इन कताई केंद्रों में कताई की शिक्षा देने का क्या ढंग अपनाया गया है ?

श्री बनारसीदास---वहां पर सुपरवाइजर रहते हैं और गाइड रहते हैं वह उनको ट्रेनिंग देते हैं।

श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित---क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि इन केंद्रों से जो माल बनता है उसकी खपत किस प्रकार से होती है ?

श्री बनारसीदास---खादी आश्रम उनसे खरीदता है।

श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव)---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि कानपुर के लिये जो केंद्र मंजूर किये गये हैं वे केंद्र कब तक और कहां खुलेंगे ?

श्री बनारसीदास---इसका उत्तर दिया जा चुका है।

श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इन केंद्रों के अन्दर अंबर चरखा चलाने की भी व्यवस्था है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---अभी तक कोई विस्तृत योजना कि अंबर चरखा कहां-कहां चलेंगे बन नहीं पायी है। केंद्रीय सरकार ने दिल्ली में एक कमेटी बुलायी थी और उस कमेटी के समक्ष यह घोषणा की थी कि केंद्रीय सरकार चाहती है कि इस वर्ष सारे देश में ७५ हजार अंबर चरखा लगा दिये जायं। कदाचित इन ७५ हजार में से १५ हजार उत्तर प्रदेश को भी मिलेंगे। उस विषय में योजना तैयार की जा रही है। जब योजना तैयार हो जायगी तब किन-किन स्थानों पर यह अंबर चरखा लगाये जा सकते हैं, तब यह तय होगा। तभी यह कहा जा सकेगा कि किन-किन केंद्रों में अंबर चरखा का कार्य प्रारम्भ होगा।

श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इन केंद्रों में जो शिक्षा पाने वाले व्यक्ति हैं उनको क्या आर्थिक सहायता सरकार देती है ?

श्री बनारसीदास---सरकार की तरफ से वहां लोग सिखाने के लिये रक्खे जाते हैं तथा चरखों के लिये भी सब्सिडी भी दी जाती है।

श्री देवदत्त मिश्र---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इन केंद्रों में शिक्षार्थियों के लिये किस योग्यता की आवश्यकता होती है ?

श्री बनारसीदास---उसके लिये कोई खास योग्यता नहीं रक्खी गयी। जो चरखा चलाना सीखना चाहते हैं उनको सिखाया जाता है।

श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा (जिला कानपुर)---क्या सरकार आल इंडिया खादी उद्योग बोर्ड की पुखरायां में एक शाखा खोलने का विचार रखती है ?

श्री बनारसीदास---जैसा कि बताया गया अंबर चरखा चलाने के ट्रेनिंग खादी बोर्ड दे रहा है। अभी यह तय नहीं किया गया कि कहां कहां पर इस योजना को चलाया जाय और न अभी यह निश्चय किया गया है कि इन केंद्रों को कहां पर रखा जायगा। पुखरायां कानपुर का सबसे पुराना केंद्र है, जो कताई की शिक्षा का कार्य कर रहा है। उसका अवश्य विचार रखा जायगा।

कानपुर जिले में ताड़ व गुड़ केन्द्र

*४---श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित---क्या उद्योग मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि कानपुर शहर व जिले में ताड़ गुड़ केंद्र किन-किन स्थानों पर हैं ?

श्री बनारसीदास---कानपुर नगर तथा जिले में निम्नलिखित स्थानों पर ताड़ गुड़ केंद्र हैं :

१---मकनपुर
२---गुलावपुरवा
३---लुधपुरा
४---कठार
५---रावतपुर
६---सुजानपुर
७---मावर
८---परेड
९---गांधीनगर
१०---अरमापुर

श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इन ताड़गुड़ केंद्रों में कौन देखभाल करता है ? इन केंद्रों में कितना गुड़ पिछले साल बना ?

श्री बनारसीदास---जहां तक नीरा के बिक्री केंद्रों का संबंध है, कुल जिले के अन्दर एक चपरासी, एक ताड़ गुड़ प्रदर्शक, नीरा आर्गेनाइजर तथा एक मैनेजर उसका निरीक्षण करते हैं। कुल यह इतना स्टाफ है। सन् ५५-५६ में ताड़ गुड़ का ३२० मन ५ सेर उत्पादन हुआ तथा नीरा बिक्री केंद्रों से ३५८ मन ३२ सेर १३ छटांक नीरा की बिक्री हुई।

श्री ब्रह्मदत्त दिक्षित---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि रावत पुर, अरमापुर केन्द्रों में उनकी व्यवस्था किस प्रकार है और क्या जो नाम आपने बतलाये हैं वे इसमें भी काम कर रहे हैं ?

श्री बनारसीदास---यह तो बतलाया गया है कि व्यवस्था का जो तरीका है, सब जगह तो उत्पादन होता नहीं है। छेदक लोग रहते हैं, इसके अतिरिक्त जिन लोगों से शराब छुड़वायी गयी है और जिनके पास और कोई काम नहीं है वे सिखलाने का तथा और दूसरा काम करते हैं तथा उनसे ये सब खरीदते हैं। तो ये सब स्टाफ हैं जो उन सब केन्द्रों का निरीक्षण करते हैं।

श्री शिवकुमार शर्मा (जिला बिजनौर)---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि ताड़ से गुड़ बनाने में प्रति मन क्या व्यय पड़ता है ?

श्री बनारसीदास---इसकी तो मेरे पास अभी कोई सूचना नहीं है और ऐसा है कि अभी तक ताड़ से गुड़ बनाने के कार्य ज्यादातर उत्पादन और शिक्षण केन्द्र चल रहे हैं। तो उनका अलग-अलग हिसाब तो नहीं रखा जाता।

जौनपुर जिले के सराय ख्वाजा थाना क्षेत्र में नाजायज़ शराब का पकड़ा जाना

*५—श्री बाबू नन्दन (जिला जौनपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गत होली के अवसर पर जिला जौनपुर, सराय ख्वाजा थाना के अन्तर्गत कितनी शराब की भट्ठियां किन-किन ग्रामों में पुलिस कप्तान द्वारा पकड़ी गईं और उसमें अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

नियोजन मंत्री के सभासचिव (श्री बलदेवसिंह आर्य)—गत होली के अवसर पर जिला जौनपुर सराय ख्वाजा थाना के क्षेत्र के अन्तर्गत कोई भी शराब या शराब की भट्ठी पुलिस कप्तान द्वारा नहीं पकड़ी गई। यद्यपि स्थानीय पुलिस ने २ मामले पकड़े थे।

श्री बाबूनन्दन—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि स्थानीय पुलिस द्वारा कौन से दो मामले किस ग्राम में पकड़े गये हैं ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—थाना सराय ख्वाजा पुलिस स्टेशन के अन्तर्गत बरसाती व गुरुदत्त के घर में दो बोतल शराब पकड़ी गयी और दूसरे माणिक अहीर कौडिया साकिन के घर ६ बोतल शराब पकड़ी गयी और उसका चालान किया गया है।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जिसके घर में दो बोतल शराब पकड़ी गयी है वहां शराब बनाने के बर्तन भी पकड़े गये हैं ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—इसकी तो सूचना नहीं है कि उसके साथ कोई बर्तन भी पकड़े गये या नहीं ?

श्री बाबूनन्दन—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस मामले में क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—यह मामला तो अदालत के विचाराधीन है।

नैनीताल में अखिल भारतीय विकास आयुक्त सम्मेलन पर व्यय

*६—**श्री भगवान सहाय** (जिला शाहजहांपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी नैनीताल में जो All India Development Commissioners and Directors of Information की conference हुई थी उसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या खर्च किया तथा लखनऊ से उस कांफ्रेस के लिये कितना फर्नीचर भेजा गया ?

नियोजन उपमंत्री (श्री फूलसिंह)—नैनीताल में पांचवां अखिल भारतीय विकास आयुक्त सम्मेलन पर उत्तर प्रदेश सरकार के लगभग ८,१६१ रु० ५ आ० ३ पा० खर्च हुए हैं। केन्द्रीय सरकार की इच्छानुसार कुछ विशेष प्रकार का फर्नीचर जो नैनीताल में सुगमतापूर्वक उपलब्ध नहीं हो सकता था लखनऊ से ले जाया गया। उपरोक्त फर्नीचर की संख्या १५० कुर्सियां तथा २० विशेष प्रकार के "यू शेप" मेज हैं।

पर इस मद में जो कुछ भी व्यय हुआ उसे केन्द्रीय सरकार ने खर्च किया। सूचना संचालकों के सम्मेलन पर जो व्यय हुआ है उसके वास्तविक व्यय का विवरण प्राप्त नहीं हुआ है।

श्री भगवान सहाय—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह कांफ्रेस जो नैनीताल में बुलाई गई थी उसका खर्च केन्द्रीय सरकार और प्रादेशिक सरकार ने किस प्रपोर्शन से बर्दाश्त किया ?

श्री फूलसिंह---पहले तो यह विचार था कि ७,५०० रुपया प्रादेशिक सरकार और ४,५०० रुपया केन्द्रीय सरकार खर्च करेगी लेकिन अब यह खर्च १२ हजार से बढ़ गया है और ऐसा अनुमान है कि ५८६० रुपया केन्द्रीय सरकार और बाकी प्रादेशिक सरकार खर्च करेगी ।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस कांफ्रेंस में जो मोटरगाड़ियां तमाम प्रदेश से सरकारी जीप वगैरह मंगाई गईं, उन पर सरकार का कितना व्यय हुआ ?

श्री फूलसिंह---पेट्रोल आदि पर ४,००० रुपया खर्च हुआ ।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह कांफ्रेंस केन्द्रीय सरकार की राय से हुई थी या प्रादेशिक सरकार की राय से ?

श्री फूलसिंह---यह तो मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं कि वह केन्द्रीय सरकार की इच्छा से हुई थी ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार का जो कोटा था वह उसने पहले ही निश्चित कर दिया था या बाद में निश्चित किया ?

श्री फूलसिंह---पहले या बाद की बाबत तो मैं नहीं कह सकता लेकिन यह निश्चित हो गया था कि एक हिस्सा हम और एक हिस्सा वह देंगे ।

बिजनौर जिले की नगीना तहसील में आबनूस लकड़ी के उद्योग में शिथिलता

*७---**श्रीमती चन्द्रवती** (जिला बिजनौर) (अनुपस्थित)---क्या नियोजन मन्त्री यह सूचित करेंगे कि जिला बिजनौर में कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन देने के हेतु अब तक किसी उद्योग निरीक्षक द्वारा जांच कराई गई ? यदि हां, तो क्या-क्या कुटीर उद्योग वहां पर चलाये जा सकते हैं ?

श्री बनारसीदास---राज्य के छोटे कुटीर तथा ग्रामीण उद्योगों का सर्वे कराने की एक योजना स्वीकार की गई है जिसके अन्तर्गत बिजनौर जिले के भी उक्त उद्योगों का सर्वे कराया जायगा ।

*८---**श्रीमती चन्द्रवती** (अनुपस्थित)---क्या सरकार उक्त जिले की तहसील नगीना में आबनूस की लकड़ी का प्राचीन काल से ख्याति प्राप्त कार्य को अधिक और प्रोत्साहन देने की योजना पर विचार करेगी ?

श्री बनारसीदास---तहसील नगीने के आबनूस की लकड़ी के उद्योग को प्रोत्साहन देने की दिशा में सरकार द्वारा उचित कदम उठाये गये हैं ।

श्री रतनलाल जैन (जिला बिजनौर)---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि आबनूस की तरक्की करने के लिये क्या कदम अब तक उठाये गये हैं ?

श्री बनारसीदास---वहां तो अभी एक कारपेंट्री सेंटर खुला है । सब से बड़ी दिक्कत वहां इस उद्योग के लिये यह थी कि मध्य प्रदेश से आबनूस की लकड़ी के मिलने में बड़ी कठिनाई पैदा हो गई थी इसके अलावा प्लास्टिक का सामान मार्केट में आने लगा था और कम्पटीशन में यह खड़ा नहीं हो सकता था । अब यह प्रयत्न किया जा रहा है वन विभाग के द्वारा कि आबनूस की लकड़ी के लिये कुछ जमीन सुरक्षित रखी जाय और उसका प्लांटेशन हो ।

---

* नोट---तारांकित प्रश्न ७--८ श्री रतनलाल जैन ने पूछे ।

श्री शिवकुमार शर्मा--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बिजनौर के शीशियों के बनाने के काम को प्रोत्साहन देने के प्रश्न पर सरकार के सामने प्लानिंग कमेटी से कोई प्रस्ताव आया हुआ है ?

श्री बनारसीदास--इस तरह का कोई प्रस्ताव नहीं आया ।

श्री शिवकुमार शर्मा--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि शीशियों का एक्सपोर्ट बिजनौर जिले से देश के अन्य भागों में काफी मात्रा में होता है तो क्या उनको सब्सिडी या लोन देने के प्रश्न पर सरकार विचार करेगी ?

श्री बनारसीदास--जी हां, यदि इस प्रकार प्रार्थना पत्र आयेंगे तो अवश्य उन पर विचार किया जायगा, इसकी व्यवस्था की गई है ।

श्री शिवकुमार शर्मा--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बिजनौर जिले से अंक विभाग के अधिकारियों ने कुछ उद्योग-धंधों के बारे में कोई रिपोर्ट भेजी है ?

श्री बनारसीदास--इसका उत्तर दिया जा चुका है कि तमाम प्रदेश के उद्योगों के सर्वे करने की एक योजना बनाई गई है । हर जिले में इंडस्ट्रियल आफिसर्स मुकर्रर किये जायंगे और तमाम जिलों का सर्वे किया जायगा । बिजनौर के उद्योगों के बारे में सरकार चाहती है कि प्रोत्साहित किया जाय इसलिये वहां की योजना सरकार के सामने है ।

आजमगढ़ जिले में शिक्षा संस्थाओं को भट्ठे के लाइसेंस

*९--**श्री विश्रामराय** (जिला आजमगढ़)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि आजमगढ़ जिले में कितने भट्ठों के लाइसेंस जनवरी, १९५५ से अब तक हायर सेकेन्डरी स्कूलों और अन्य शिक्षण संस्थाओं के नाम से दिये गये हैं ?

श्री बनारसीदास--आजमगढ़ जिले में जनवरी, १९५५ से अब तक केवल दो शिक्षण संस्थाओं को भट्ठे खोलने के लाइसेन्स दिये गये हैं, जिनके नाम निम्नलिखित हैं--

(१) मोहम्मदाबाद हायर सेकेन्डरी स्कूल, भोरा, मोहम्मदाबाद-गोहना ।

(२) इन्टर कालेज, महाराजगंज ।

श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इन शिक्षण संस्थाओं को भट्ठे का लाइसेन्स देने की क्या आवश्यकता पड़ी ?

श्री बनारसी दास--उन को ईंटों की आवश्यकता थी, जिलाधीश ने रिकमेंड किया कि शिक्षण संस्थाओं की इससे सहायता भी होगी और वहां की जनता को और वहां के विकास कार्य के लिए ईंटें भी सही दामों पर मिल सकेंगी ।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या सरकार को जानकारी है कि इन दोनों स्थानों पर पहले से ही कोआपरेटिव सोसाइटी के भट्ठे मौजूद हैं ?

श्री बनारसीदास--कोआपरेटिव सोसाइटी के भट्ठे होते हुए भी यह भी चूंकि सार्वजनिक संस्थाएं हैं इसलिये यह जो भट्ठे जिलाधीश की सिफारिश पर दिए गए हैं उनसे वहां की जनता का ही लाभ होगा ।

श्री रामेश्वर लाल (जिला देवरिया)--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन दो संस्थाओं को भट्ठे के लाइसेन्स दिये गये क्या केवल उन्हीं ने अप्लाई किया था या अन्य लोगों ने भी अप्लाई किया था ?

श्री बनारसीदास---जिन्होंने अप्लाई किया था उनकी सूची तो मेरे पास नहीं है और यह सब प्रार्थना-पत्र "जिला गृह निर्माण सामग्री वितरण सलाहकार समिति" के सामने आते हैं और उसी की सिफारिश पर 'प्रान्तीय लोहा तथा इस्पात नियंत्रक' के सामने अप्लीकेशन्स आती हैं और निर्णय होता है ।

श्री तेजप्रताप सिंह (जिला हमीरपुर)---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि भट्ठों का लाइसेन्स देते वक्त इस बात का ख्याल रखा जाता है कि व्यापारिक दृष्टिकोण से जहां ईंट बनती है उन्हीं को लाइसेन्स दिया जाय या वह निजी कार्य करने वालों को भी दिए जाते हैं ?

श्री बनारसीदास---लाइसेन्सेज के लिए समय निश्चित था और बेसिक इयर्स मुकर्रर किए गए थे और इसके अलावा भी भट्ठे बनाने की जहां विशेष रूप से आवश्यकता है वहां कोआपरेटिव्ज कायम की जाती हैं या किसी विशेष स्थिति में अगर कहीं ईंट का अभाव होता है तो वहां लाइसेन्स दे दिए जाते हैं और निजी कार्यों के लिए तो नहीं लेकिन सार्वजनिक कार्यों के लिए विशेष रूप से कोल मंजूर किया जाता है ।

श्री उमाशंकर---क्या सरकार को पता है कि दोनों शिक्षण संस्थायें अपनी पूंजी और मैनेजमेंट से वह भट्ठे चला रही हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---हां, चला रही होंगी, वह ऐसा कर सकती हैं, शिक्षण संस्थायें सार्वजनिक संस्थायें हैं उनको कोल दिया जा सकता है और इस प्रकार कोई इस्तेमाल करके ईंट बना सकती हैं ।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)---क्या मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में ईंट की अधिक आवश्यकता को देखते हुये क्या सरकार भट्ठों पर से लाइसेन्स उठाने का विचार कर रही है ?

श्री बनारसीदास---इस समय प्रदेश में कोल वेगन्स की कमी है इसलिये यह ख्याल है कि अगर यह प्रतिबन्ध हटा लिया जायगा तो ईंट का भाव तेज हो जायगा, कुछ समय को एक बार हटाया गया था तो ईंट पर तेजी आ गई थी और उसके बाद फिर नियंत्रण की मांग की गई और सरकार को नियंत्रण लगाना पड़ा ।

जनोपयोगी वस्तुओं के बढ़ते मूल्यों को रोकने का प्रयास

*१०---**श्री विश्रामराय**---क्या रसद मन्त्री कृपया बतायेंगे कि खाद्यान्न, कपड़ा तथा अन्य जनोपयोगी वस्तुओं की कीमतों की बढ़ती को रोकने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---सरकार ने खाद्यान्नों की बढ़ती हुई कीमतों को रोकने के निम्नलिखित कदम उठाये हैं---

१---पहाड़ी क्षेत्रों में गेहूं सरकारी गोदामों से १५ रु० प्रतिमन बेचे जाने की व्यवस्था की है ।

२---चना और जौ क्रमशः १० रु० व ९ रु० फी मन खरीद कर रिजर्व स्टाक में रखने की व्यवस्था की है जिसे आवश्यकता पड़ने पर बाढ़पीड़ित तथा अभाव-ग्रस्त क्षेत्रों में बेचने का प्रबन्ध किया जायेगा ।

३---प्रदेशीय सरकार की मांग पर केन्द्रीय सरकार कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, आगरा तथा लखनऊ नगरों में विदेशी गेहूं लाकर जमा करने का प्रबन्ध कर रही है। प्रदेशीय सरकार आवश्यकतानुसार इस गेहूं को लेकर रिलीफ दुकानों द्वारा बेचने की व्यवस्था करेगी ।

मुजफ्फरनगर में इसी प्रकार गेहूं बेचने की व्यवस्था अभी से ही की जा रही है। क्योंकि वहां काफी भयंकर बाढ़ आ गई थी।

कपड़ा---कपड़े के मूल्यों पर नियंत्रण करना केन्द्रीय सरकार का विषय है। कतिपय कारणों से कपड़े के मूल्यों में इधर कुछ वृद्धि हो गई है। किन्तु स्थिति अभी चिन्ताजनक नहीं है। यदि भविष्य में स्थिति और बिगड़ने की सम्भावना हुई तो केन्द्रीय सरकार को इस सम्बन्ध में आवश्यक सिफारिशें भेजी जायेंगी।

अन्य जनोपयोगी वस्तुओं के दाम भी खाद्यान्नों के दामों में बढ़ती होने से प्रभावित होते हैं परन्तु इसके दामों में अभी कोई ऐसी चिन्ताजनक बढ़ती नहीं हुई है कि सरकार को इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करने की आवश्यकता हो।

श्री विश्रामराय---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कपड़े के मूल्य की वृद्धि के क्या कारण हैं और उसके रोकने में सरकार क्यों असमर्थ हो रही है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---जहां तक कपड़े की कीमतों के बढ़ने का विषय है सदन को इस बात का ज्ञान होगा कि अब कंट्रोल तो है नहीं। कंट्रोल्ड एकनामी में तो अवश्य बंधी कीमतों पर कपड़े आदि का वितरण हो सकता है लेकिन अभी तक जितनी कपड़े की व्यवस्था है उसमें केन्द्रीय सरकार ने डिकंट्रोल की नीति अपना रखी है और उसका सम्बन्ध केन्द्रीय सरकार से है। कभी-कभी जब डिकंट्रोल की नीति रहती है और कभी किसी समय में किन्हीं कारणों से किन्हीं रा-मेटीरियल्स आदि के दाम बढ़ जाते हैं तो कीमतें घटती बढ़ती हैं जैसे रुई आदि रा-मेटीरियल्स की कीमत बढ़ जाती है और उसका प्रभाव भी कपड़े की कीमत पर पड़ जाता है। दूसरे कभी-कभी वैगन्स के अभाव में भी समय से कपड़ा नहीं पहुंच पाता और तब भी कपड़े आदि की कीमत बढ़ जाती हैं, तो यह ऐसे कारण हैं जो डिकंट्रोल की नीति से सम्बन्ध रखते हैं और केन्द्रीय सरकार ने जिन विषयों के सम्बन्ध में डिकंट्रोल की नीति अपनाई है उससे कभी-कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि जिससे कीमतें घटती बढ़ती हैं।

श्री जगन्नाथमल्ल---क्या यह सही है कि माननीय गेंदासिंह जी ने माननीय नियोजन मंत्री के पास एक पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने यह लिखा था कि देवरिया जिले में गल्ले की कमी है और गल्ला वहां महंगा बिक रहा है इसलिये सस्ते गल्ले की दूकानें खोली जायं। यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---एक पत्र अवश्य गेंदासिंह जी का प्रदेशीय सरकार के पास आया था जब उनका खत आया था उस समय उसके गोदाम में तो कोई गल्ला था नहीं। इस महीने में कुछ गल्ला केन्द्रीय सरकार से बंधी हुई कीमतों पर मिलने वाला है, अगले महीने में भी मिलेगा। तब जहां गल्ले की कीमत अधिक तेजी से बढ़ती हुई दिखाई पड़ेगी वहां उन कीमतों को घटाने के लिये और उनमें एक संतुलन लाने के लिये जहां-जहां प्रदेशीय सरकार मुनासिब समझेगी वहां-वहां उस गल्ले को बेचने के लिये फेयर प्राइस शाप्स खोलेगी।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या प्रदेशीय सरकार ने इस कन्ट्रोल, डिकन्ट्रोल के प्रश्न पर केन्द्रीय सरकार को सलाह दी है? यदि हां, तो क्या सरकार उस सलाह के मुख्यांश से सदन को अवगत कराने की कृपा करेगी?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---प्रदेशीय सरकार तो समय-समय पर केन्द्रीय सरकार से इस विषय पर बातचीत करती रहती है और हमेशा इस सदन के विचारों को केन्द्रीय सरकार तक व्यक्त करने की चेष्टा करती है। यह सदन यह निर्णय कर चुका है जब कंट्रोल इत्यादि की बातें यहां चलती थीं कि हमें डिकन्ट्रोल की नीति को अपनाना चाहिये और उसी नीति के विषय में केन्द्रीय सरकार को इस प्रदेशीय सरकार ने आगाह कर दिया है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या सरकार को यह भी ज्ञात है कि खाद्यान्न और कपड़े की कीमतों में वृद्धि का एक मुख्य कारण खाद्यान्न पर बहुसूत्री बिक्री कर और कपड़े पर बिक्री कर का दूना किया जाना भी है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---किसी भी प्रकार का कर ऐसा सम्भव हो सकता है कि किसी मात्रा में किन्हीं वस्तुओं की कीमतों को बढ़ा दें। सरकार इस बात को जानती है।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)---क्या नियोजन मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि पहली अप्रैल के पहले के नाज और कपड़े के भाव का पहली अप्रैल के बाद नाज और कपड़े के भाव का अध्ययन उन्होंने किया है ? यदि हां, तो उन दोनों में क्या अन्तर है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---अब अन्तर बिल्कुल ऐग्जेक्ट फीगर्स में तो नहीं बता सकता हूं। लेकिन किन्हीं स्थानों पर १० फीसदी कीमत बढ़ गई है, किन्हीं स्थानों पर ८ फीसदी बढ़ी है। कहीं १२ और कहीं १५ फीसदी तक बढ़ी हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री जी को सूचना है कि एक अप्रैल के बाद प्रति मन गेहूं पर बहुसूत्री बिक्री कर लगाने से उसके कितने दाम बढ़ गये हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---थोड़े बहुत दाम बढ़े होंगे, जैसा मैंने बताया कहीं ८ फीसदी और कहीं १० फीसदी बढ़े हैं। इसमें ऐसा भी है कि कहीं ६, ७, ८ फीसदी बढ़ गये होंगे।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)---क्या मंत्री जी की जानकारी में है कि कपड़े पर २५ फीसदी कीमतें बढ़ गई हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---१७, १८ फीसदी तक की तो मुझे इत्तला है। यदि माननीय सदस्य को २५ फीसदी तक की इत्तला है तो मैं मान लूंगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या नियोजन मंत्री केन्द्रीय सरकार के परामर्श से इस बात की व्यवस्था करने की कृपा करेंगे कि जिस प्रकार से गल्ले की कीमत बढ़ती और घटती है उसी प्रकार से कपड़े की कीमत भी बढ़े और घटे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---बहरहाल अभी गल्ले की कीमत कब बढ़े और कब घटे ऐसी कोई योजना केन्द्रीय सरकार ने नहीं बनायी है। उसने यह योजना अवश्य बनायी है कि जब गल्ले की कीमतें बढ़ने लगें तो फेयर प्राइस शाप्स प्रदेशीय सरकार के द्वारा जबकि प्रदेशीय सरकार केन्द्रीय सरकार से गल्ला पा जाय तो कीमतों को घटाने के लिये खोल कर ऐसी व्यवस्था कर दें। जहां तक कपड़े का विषय है केन्द्रीय सरकार इस बात की चेष्टा में लगी हुई है कि अधिक मात्रा में कपड़े का उत्पादन बढ़े। इसीलिए अब उन्होंने नयी नीति घोषित की है जिसमें लूम्स और स्पिंडिल्स को बढ़ाना चाहते हैं और नये प्रकार से उद्योगपतियों को इस उद्योग को बढ़ाने के सिलसिले में आमंत्रित किया है। केन्द्रीय सरकार का ऐसा विचार है कि जब अधिक मात्रा से कपड़ा बनने लगेगा तो यह कीमतें घटेंगी और इसीलिए पहली नीति में जिसकी तहत में उन्होंने यह निर्णय किया था कि वे अधिक मात्रा में स्पिंडिल्स और लूम्स लगाने न देंगे, उन्होंने परिवर्त्तन किया है। कदाचित वह परिवर्तन इस बात की हमें इजाजत दे कि अधिक मात्रा में कपड़ा बनने लगे और इस प्रकार से उसकी कीमत भी घटने लगे।

नशाबन्दी कानून का प्रवर्त्तन

*११---श्री कल्याणचन्द्र मोहिले (जिला इलाहाबाद)---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि प्रदेश में किन-किन जिलों में नशाबन्दी का कानून जारी है?

श्री बलदेव सिंह आर्य—संलग्न सूची में दिये हुए जिलों और धार्मिक क्षेत्रों में नशाबन्दी कानून लागू है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ २१० पर)

*१२—श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या सरकार बतायेगी कि जिन जिलों में नशाबन्दी का कानून लगा है वहां पर सन् १९५३-५४ तथा १९५४-५५ में कितने आदमियों का चालान हुआ जिन्होंने उस कानून के विरुद्ध कार्यवाही की ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—१९५३-५४ तथा १९५४-५५ में क्रमशः ५६२४ तथा ६८६२ व्यक्तियों का चालान हुआ ।

*१३—श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश में जब से नशाबन्दी का कानून जारी हुआ तब से आज तक सरकार की आमदनी उस मुकहमें से कम हुई या ज्यादा ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—आमदनी में कमी हुई है ।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या सरकार जिन जिलों में अब तक कानून लागू नहीं है और खासकर इलाहाबाद और बनारस में अब तक इस कानून को लागू करेगी ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—अभी तो सरकार ने इसके लिए कोई निश्चय नहीं किया ।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या सरकार इस घटती हुई आमदनी को देख कर जिन स्थानों पर यह कानून लागू है उस कानून को हटाने पर विचार कर रही है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—ऐसा कोई प्रश्न सरकार के सामने विचाराधीन नहीं है ।

श्री राजनारायण—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि जिन जिलों में नशाबन्दी कानून जारी है उन जिलों में शराब की बिक्री १९४२ की बनिस्बत कम हुई है या ज्यादा हुई है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—जहां नशाबन्दी कानून लागू है वहां बिक्री कम या ज्यादा होने का सवाल पैदा नहीं होता ।

श्री शिवनारायण—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिन लोगों को जुर्माने हुए उनसे कुल कितना रुपया सरकार में जमा हुआ ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—इसके लिए नोटिस की आवश्यकता है ।

श्री राजनारायण—क्या सरकार कृपा कर इस बात को बतायेगी कि प्रान्त के विभिन्न जिलों में नशाबन्दी होने के बावजूद भी १९४२ में जितनी शराब की बिक्री होती थी अब उससे तीन गुना बिक्री ज्यादा हो रही है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—इसकी तो सरकार को कोई सूचना नहीं ।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कितने जिलों में नशाबन्दी कानून लागू करने का विचार कर रही है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—अभी इस सम्बन्ध में सरकार ने कोई निश्चय नहीं किया है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या यह सही है कि अभी कुछ ही मास पहले इसी सदन में माननीय मुख्य मंत्री जी ने घोषित किया था कि सरकार का इरादा फिलहाल प्राहिबिशन को आगे एक्सटेंड करने का नहीं है ?

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)---अभी जो उत्तर दिया गया इस प्रश्न का वह तो जो कुछ मैंने कहा था उसका समर्थन कर रहा है ।

श्री त्रारखंडे राय (जिला आजमगढ़)---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जिन जिलों में नशाबन्दी कानून लागू है उनमें गैर-कानूनी शराब न बने इसके लिए सरकार की ओर से कोई विशेष प्रयास हो रहा है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---हां, उसके लिये एक्साइज इंस्पेक्टर्स नियत हैं । जहां कहीं ऐसी घटना होती है उसको वह पकड़ते हैं और चालान करते हैं ।

मुरादाबाद जिले में नलकूपों से पीने का पानी देने की मांग

*१४---श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद) (अनुपस्थित)---क्या सरकार बताने की करेगी कि नलकूपों द्वारा पीने के पानी की योजना के अन्तर्गत आगामी वित्तीय वर्ष (१९५६-५७) में जिला मुरादाबाद में कितने और ग्रामों में पीने के पानी की व्यवस्था हो जायेगी ?

श्री फूलसिंह---ग्रामीण क्षेत्रों में जल-वितरण करने की योजना अभी सरकार के विचाराधीन है क्योंकि भारत सरकार का अन्तिम निर्णय कि इस योजना के लिये कितनी धन-राशि मिल सकेगी अभी प्राप्त नहीं हुआ है । जब तक इस संबंध में कोई निर्णय नहीं किया जाता तब तक यह नहीं कहा जा सकता है कि मुरादाबाद जिले में इस वर्ष कितने ग्रामों में जल की व्यवस्था की जायगी ।

झांसी जिले में फेयर प्राइस शाप्स खोलने की मांग

*१५---श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)---क्या सरकार को पता है कि झांसी जिले में गत वर्ष इन्हीं दिनों की अपेक्षा आज कल गल्ले का भाव बहुत तेज हो गया है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार जनता को महंगाई से बचाने के लिये क्या उपाय कर रही है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य---जी हां, पिछली रबी तथा खरीफ फसलों के खराब होने से केवल झांसी ही में नहीं बल्कि सारे प्रदेश में खाद्यान्नों के भावों में पिछले वर्ष की अपेक्षा तेजी अवश्य है । परन्तु स्थिति चिन्ताजनक नहीं है । सरकार स्थिति का निरीक्षण सतर्कता से कर रही है और उचित समय पर 'मूल्य स्थिरीकरण' नीति के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही करेगी ।

श्री लक्ष्मणराव कदम---क्या माननीय मंत्री जी को पता है कि भाव के तेज जाने का एक विशेष कारण यह भी है कि व्यापारियों ने सेल्स टैक्स की वजह से खरीदारी बन्द कर रखी है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---यह तो कोई कारण नहीं हो सकता है क्योंकि किसान यदि अपना गल्ला बेचे न तो उसे बहुत सी चीजें कर इत्यादि देने में काफी असुविधा होती है । तो यदि मर्चेन्ट, व्यापारी गल्ला न खरीदेगा तो किसान तो उसे कम कीमत पर बेचने के लिए उद्यत रहेगा । इसलिए यह तो कोई गल्ले का भाव के बढ़ने का कारण प्रतीत नहीं होता ।

श्री लक्ष्मणराव कदम---क्या सरकार भाव कम करने के लिए अपना स्टाक रिलीज करके वह फेयर प्राइस शाप्स खोलने की कृपा करेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---मैंने इस विषय में अभी यह बताया कि केन्द्रीय सरकार से हमने गल्ले की मांग कर रखी है । जो गल्ला हमें केन्द्रीय सरकार से एक बंधी हुई कीमत

नोट---तारांकित प्रश्न १४ श्री जगदीश प्रसाद ने पूछा ।

पर मिलेगा और ज्यों-ज्यों गल्ला हमें मिलता जायगा और जहां-जहां इस प्रकार के दूकानों की आवश्यकता पड़ेगी, वहां-वहां हम इस प्रकार की दूकानें खोलेंगे जहां बंधी हुई कीमत पर गल्ला बिक सकेगा ।

श्री तेजप्रताप सिंह---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जिस प्रकार उन्होंने शहरी क्षेत्रों में ऐसा प्रबन्ध किया है कि खाद्यान्न सस्ते दामों पर मिल सकें उसी प्रकार देहाती क्षेत्रों के लिये भी कोई योजना उन्होंने तैयार की है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---शहरी क्षेत्रों के लिये जो दूकानें खोलने का प्रश्न हमारे सामने आता है उसका मुख्य कारण यह होता है कि शहरी रकबे में चूंकि काफी मात्रा में एक लम्बी चौड़ी जनसंख्या होती है जो गल्ले की खरीदारी करती है और जब वह खरीदारी करती है तो उसकी और भी कीमत बढ़ जाती है इसलिए वहां गल्ले की कीमतों को न बढ़ने देने के लिये ऐसा प्रबन्ध किया जाता है कि शहरी क्षेत्रों में बंधी हुई कीमत की दूकानें खोल दी जायं जिससे देहात का गल्ला जो वहां बिकने के लिये आता है वह बढ़ती हुई कीमत पर न बिके और वह गल्ला वहीं वितरण के लिये वहां के रहने वालों को उपलब्ध हो सके । इसलिए शहरी क्षेत्रों में दूकानें हम खोलते हैं । लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में भी जैसे पहाड़ी क्षेत्र हों वहां या पूर्वी जिलों में जहां हमें अधिक गल्ले की कीमत बढ़ती हुई दिखाई पड़ती है वहां हम अवश्य प्रत्येक वर्ष प्रबन्ध करते हैं कि वहां गल्ले की दूकानें खोल दी जायं जिससे कि गरीब लोग गल्ला खरीद सकें और बंधी हुई कीमत पर गल्ला पा सकें ।

श्री शिवकुमार शर्मा---क्या सरकार गल्ला उत्पादकों के हित को दृष्टि में रखते हुए गल्ले की एक साल आगामी कीमतों को निश्चित करने पर विचार करेगी जिस प्रकार वह गल्ले की कीमतों को आगामी एक साल पहले निश्चित कर देती है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---ऐसी तो कोई अभी नीति प्रदेशीय सरकार ने या केन्द्रीय सरकार ने अपनायी नहीं है । माननीय सदस्य का प्रश्न इस बात को लेकर चलता है कि केन्द्रीय सरकार प्रत्येक वस्तु का कंट्रोल करके चलना चाहती है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या सरकार ने गल्ले के दाम घटने या बढ़ने के परसेंटेज को जानने के लिये कोई आजकल के हालात को देखते हुए कोई गल्ले के विभिन्न किस्मों की फेयर प्राइस निश्चित की है । अगर कोई निश्चित की है तो क्या सरकार आजकल की स्थिति को देखते हुए उस फेयर प्राइस की लिस्ट को पढ़ देने की कृपा करेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---सरकार ने स्वयं कुछ गल्ले की खरीदारी करने का निर्णय प्रदेश में किया था उस समय कुछ सरकार ने अपने विशेषज्ञों की सलाह से कुछ कीमतें निर्धारित की थीं । परन्तु जो कीमतें हमारे विशेषज्ञों ने निर्धारित की थीं खरीदारी के लिए उनकी कीमतों से गल्ले की कीमतें बढ़ गयीं तो वह कीमतें भिन्न-भिन्न महीनों में भिन्न रही हैं । जैसे अभी एक प्रश्न के उत्तर में बताया गया था कि हमने चने और जौ की खरीदारी के लिए यह तय किया था कि १० रुपये में चना आप खरीदेंगे और ९ रुपये में गेहूं खरीदेंगे । इस १० रुपये और ९ रुपये के पूर्व हमने जो कम कीमत पर खरीदारी करने का निर्णय किया था । तो समय-समय पर हमने खरीदारी की कीमतों को अपने विशेषज्ञों की सलाह से निर्णय किया और वे कीमतें १० रुपये के करीब-करीब और ११ के अन्दर ही हुईं ।

श्री राजनारायण---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि जब गल्ले के भाव बेतहाशा बढ़ रहे हैं तो जिस कीमत पर सरकार ने गल्ला किसानों से खरीदा है उसी कीमत पर उचित खर्च लेकर सरकार गल्ला बेचने का उपाय सोचेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---हमने थोड़ा चना और जौ खरीदा है और बाकी जितना हम खरीदना चाहते थे वह हम पा नहीं सके, क्योंकि कीमतें बढ़ने लगीं और निर्णय बढ़ी हुई कीमतों

पर खरीदने का था, तो थोड़ा-सा गल्ला तो हमारे पास जौ और चने का है, लेकिन केन्द्रीय सरकार से जो गल्ला हमें मिलने वाला है बंधी हुई कीमतों पर, उसे उसी बंधी हुई कीमत पर हम बेचेंगे, उस पर कोई मुनाफा लेने का प्रश्न नहीं उठता है।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि सरकार जिस भाव पर उत्तर प्रदेश के किसानों से गल्ला खरीदती है, उस भाव पर जो स्वतः गल्ला खरीदा है तो उस भाव पर स्वतः बेचने पर सोच रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां, जो उत्तर प्रदेशीय सरकार ने गल्ला खरीदा है उसे समय-समय पर जहां जैसी आवश्यकता होगी उसे बिना कोई मुनाफा लिए, सिवाय होल्डिंग कास्ट को लगा कर बेचने का प्रबन्ध करेगी।

श्री नारायणदत्त तिवारी—जब सरकारी विशेषज्ञों ने गेहूं की फेयर प्राइस ९ रुपये मन रखी है तो कुमायूं में १५ रुपये मन गेहूं क्यों बेचा जा रहा है ?

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं आप (श्री चन्द्रभानु गुप्त) की जबान से गेहूं निकला जौ की जगह इसके पहले, इसलिये गलतफहमी है।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मैं माफी चाहता हूं।

श्री जगन्नाथ मल्ल—गल्ले के भाव की महंगाई को देखते हुए क्या सरकार उन लोगों को कि जिनकी परचेजिंग कैपेसिटी बहुत कम है, कोई सब्सिडी देने का विचार कर रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—उन स्थानों पर, जैसे कि पहाड़ी क्षेत्र हैं, जहां गल्ला पहुंचाने में काफी कीमत देनी पड़ती है, वहां ट्रांसपोर्ट इत्यादि का जो खर्चा होता है उसमें प्रदेशीय सरकार सब्सिडी देती है। कभी-कभी जब फ्लड्स इत्यादि आ जाते हैं, जहां गल्ला भेजना पड़ता है, वहां यदि मुनासिब समझा जाता है तो सब्सिडी के प्रश्न पर सहानुभूतिपूर्वक सरकार विचार करती है।

*१६-१७—श्री परिपूर्णानन्द वर्मा (जिला गोरखपुर)—[१ अगस्त, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

*१८-२०—श्री उमाशंकर [१ अगस्त, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

कानपुर की कथित चीनी मिल

*२१—श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी (जिला हमीरपुर)—क्या यह सत्य है कि कानपुर में एक शुगर मिल हाल ही में बन्द होने वाली है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री फूलसिंह—कानपुर में कोई चीनी मिल नहीं है। केवल Indian Institute of Sugar Technology के अधीन एक प्रायोगिक (experimental) चीनी मिल है जिसके बन्द होने की कोई समस्या नहीं है।

*२२—श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त मिल के बन्द होने से कितने लोग बेकार हो जायेंगे ?

श्री फूलसिंह—प्रश्न नहीं उठता।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि यह एक्सपेरिमेंटल चीनी मिल कब स्थापित हुई थी और उसमें कितने मजदूर काम करते हैं ?

श्री अध्यक्ष—यह तो आप नया सवाल पूछ रहे हैं। आप तो कोई चीनी मिल कह रहे थे, वह है ही नहीं, इसलिये बन्द होने की उसके कोई संभावना नहीं है। इसलिये प्रश्न उठता नहीं।

अतारांकित प्रश्न

बदायूं जिले में खुलने वाले राष्ट्रीय प्रसार सेवा खंड

१—श्री मुश्ताक अली खां (जिला बदायूं)—कितने एन० ई० एस० ब्लाक इस साल (१९५६-५७) जिला बदायूं में खोले जायेंगे? क्या कोई ब्लाक सहसवान में भी खोला जायेगा?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—अप्रैल, १९५६ से मार्च, १९५७ तक की अवधि में बदायूं जिले में एक राष्ट्रीय प्रसार सेवा खंड खोले जाने की आशा है। किन्तु यह तभी सम्भव होगा, जब केंद्रीय सामुदायिक योजना प्रशासन की इस सम्बन्ध में आवश्यक अनुमति प्राप्त हो जायगी।

सहसवान में, इस वर्ष, राष्ट्रीय प्रसार सेवा खंड खुलने की संभावना पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है।

इलाहाबाद जिले के चर्खा केन्द्र

२—श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इलाहाबाद जिले में सरकारी चर्खा केंद्र कहां-कहां हैं?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—सरकारी खादी विकास योजना के अन्तर्गत इलाहाबाद जिले में निम्नलिखित चर्खा केंद्र हैं:—

(१) सराय आकिल
(२) फूलपुर
(३) सहसों
(४) मनौरी

३—श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इन केंद्रों पर कितने चर्खे बांटे गये और उसमें कितने चालू हैं?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इन केंद्रों पर विभाग द्वारा २०० चर्खे बांटे गये। सभी चर्खे चालू अवस्था में हैं?

४—श्री कल्याण चन्द मोहिले—क्या सरकार बतायेगी कि इनमें कितना सूत तैयार होता है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—वित्तीय वर्ष १९५५-५६ में इन केन्द्रों द्वारा ५३ मन २७ सेर सूत का उत्पादन हुआ।

५—श्री लक्ष्मणराव कदम—[२ अगस्त, १९५६ के लिये प्रश्न सं० २ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

श्री रामलखन [illegible] की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—विशेषाधिकार का प्रश्न जो कल मैंने स्थगित किया था श्री राजनारायण जी का श्री रामलखन जी [illegible] म० एल० ए० की गिरफ्तारी के संबंध में मैं माननीय मुख्य मंत्री जी तथा श्री रामलखन जी से यह पूछ रहा हूं कि गिरफ्तारी के बारे में उनको क्या जानकारी है? माननीय मुख्य मंत्री जी के पास से अभी मेरे पास सूचना नहीं आई है। यदि आप देना चाहें कि क्या सूचना है और अगर वह आ गयी हो तो मुझे दे दें।

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)---अध्यक्ष महोदय, मैंने इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की और मेरी जानकारी तो यही है कि श्री रामलखन जी गिरफ्तार नहीं किये गये थे। उस दिन जो भी गिरफ्तारियां हुई थीं वह विश्वनाथ जी के मंदिर के सामने हुई थीं और वह सब गिरफ्तारियां---क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन १२८ के मातहत हुईं। जैसा कि आपको विदित है, सेक्शन १२८ की गिरफ्तारी कोई पुलिस अफसर नहीं कर सकता बल्कि उस जगह पर तैनात कोई मैजिस्ट्रेट ही कर सकता है। उस मौके पर वहां श्री निगम मैजिस्ट्रेट तैनात थे। जितनी भी गिरफ्तारियां हुईं वे सब श्री निगम की आज्ञा से हुईं, इस घटना के कुछ दिन बाद मुझसे श्री रामलखन जी से मुलाकात भी हुई थी। मैंने उनसे पूछा कि आप उस मैजिस्ट्रेट का नाम मुझको बतला दें जिसकी आज्ञा से आप गिरफ्तार हुये। अगर आप नाम न बतला सकें तो उसकी हुलिया ही मुझको बतला दें ताकि मैं पता लगाऊं कि सचमुच आपकी गिरफ्तारी की आज्ञा किसी ने दी या नहीं। लेकिन वह कोई सूचना या तो उसके नाम की या उसकी हुलिया की नहीं दे सके। ऐसा मालूम होता है कि जो लोग गिरफ्तार किये गये वे गिरफ्तार करने के बाद चौक थाने पर ले जाने के लिये मेन रोड पर लाये गये ज्ञानवापी के पास नन्दकिशोर बुक डिपो के सामने। क्यों ऐसा हुआ, वे पैदल क्यों नहीं गये, यह बात तो छोड़ दीजिये। लेकिन वे पिकअप में बैठाकर चौक थाने पहुंचाये गये। ऐसा मालूम होता है कि श्री रामलखन वहां पर गिरफ्तारी की हालत में नहीं आये। वहां पर आने के बाद यह कहा जाता है कि वह पिकअप में उठा कर रख दिये गये।

इसकी बाबत दो रायें हो सकती हैं। उनका अपना कहना है कि वह गिरफ्तार करके रखे गये। गिरफ्तारी चौक के थाने पर कोई नहीं हुई। जो गिरफ्तारी हुई वह विश्वनाथ जी के मंदिर के पास हुई। अगर रामलखन जी पिकअप में रखे गये तो यह हो सकता है कि पुलिस कांस्टेबिल वगैरह उनको न पहचानते हों और १४-१५ आदमियों के साथ उनको भी पिकअप में बिठा दिया हो क्योंकि उनका खुद का बयान है कि जब वह चौक थाने पहुंचे तो सिटी मैजिस्ट्रेट वहां पर आये और उन्होंने खुद पूछा कि आप यहां कैसे आये, आपको तो किसी ने गिरफ्तार किया नहीं। यह भी इस बात का प्रमाण है कि वह गिरफ्तार नहीं किये गये थे। जो कुछ बात हुई वह यह कि शायद उस मेन रोड से चौक के थाने तक, जो २,३ मिनट तक वह पिकअप में रहे तो या तो वे खुद सत्याग्रहियों के साथ बैठ गये या किसी पुलिस कांस्टेबिल ने बिना जाने उनको बैठा दिया और जो खत हैं मेरे पास उनमें श्री रामलखन का खत है और एक मंदिर प्रवेश समिति के नरेंद्र कुमार का खत है, ये दोनों खत यह जाहिर करते हैं कि गिरफ्तार व्यक्तियों में श्री रामलखन जी नहीं थे।

श्री रामलखन जी का जो खत है, जो उन्होंने मुझको लिखा था उसमें वह लिखते हैं ---

"विश्वनाथ जी के मंदिर के सामने करीब १४ आदमी मंदिर के प्रवेश द्वार पर पकड़े गये परन्तु सनातनी दल के केवल चार आदमी ही पकड़े गये। गिरफ्तारी के बाद जब कुछ शांत वातावरण हुआ तो कई हरिजन दर्शनार्थी पुनः मंदिर के प्रवेश द्वार पर आ गये जो मेरे तथा श्री राजनारायण सिंह, एम० एल० ए० के साथ ज्ञानवापी की तरफ जाने लगे।"

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि यह तो बहुत ब्योरे का सवाल है। मैं केवल यह जानना चाहता हूं कि गिरफ्तारी हुई या नहीं हुई?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---मेरी जानकारी में गिरफ्तारी नहीं हुई।

श्री अध्यक्ष---श्री रामलखन जी यहां पर सदन में मौजूद नहीं हैं और हमारे जो दफ्तर के लोग हैं उन्हें भी वे नहीं मिले हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि वहां उनकी गिरफ्तारी हुई या नहीं, इस विषय में आप क्या कहते हैं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---उन्होंने मुझसे कहा कि मेरी गिरफ्तारी हुई। मैंने उनसे कहा कि आपकी गिरफ्तारी नहीं हुई और अगर हुई तो किस मैजिस्ट्रेट के आर्डर्स से हुई। अगर आप उनका नाम नहीं बता सकते तो उनकी हुलिया ही बता दीजिये। लेकिन वह यह भी नहीं बता सके। तब मैंने उनसे कहा कि आपको भ्रम है। आप अगर गिरफ्तार हुये होते तो चौक तक आप कैसे गये.....

श्री राजनारायण (जिला बनारस)---आन ए प्वाइन्ट आफ आर्डर सर, मैं यह कह रहा था कि चीफ मिनिस्टर साहब मेरिट पर जा रहे हैं कि रामलखन जी की गिरफ्तारी हुई या नहीं हुई। उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि रामलखन जी ने कहा कि उनकी गिरफ्तारी हुई है। तो अब उनको मेरिट्स में जाने की जरूरत नहीं है।

श्री अध्यक्ष---वह तो मैंने सुन लिया। मैं समझता हूं कि अब इस विषय के ऊपर किसी विशेष सूचना की जरूरत भी नहीं है। मैं नियम ६७ सदन को सुना देना चाहता हूं।

"67. Power of Speaker to refer Question of Privilege to Committee Notwithunderstanding anything contained in these rules, the speaker may refer any question of privilige to the Committee of Privileges for examination, investigati on or report."

तो मैं समझता हूं कि यह सदन ऐसा स्थान नहीं है जहां पर इस तरह की जांच की जाय कि गिरफ्तारी हुई या नहीं। मुख्य मंत्री जी कहते हैं कि श्री रामलखन की गिरफ्तारी नहीं हुई और श्री रामलखन जी कहते हैं कि उनकी गिरफ्तारी हुई और श्री राजनारायण जी भी अपने प्रश्न को उपस्थित करते हुये, जो मेरे पास उन्होंने भेजा है, कहते हैं कि उन्होंने खुद प्रत्यक्ष आंखों से इस बात को देखा कि गिरफ्तारी हुई।

श्री राजनारायण---जी हां, वह मेरे साथ बैठे थे।

श्री अध्यक्ष---मैं कह तो रहा हूं, आपके कहने की आवश्यकता नहीं है। तो दो माननीय सदस्य कहते हैं कि उनकी गिरफ्तारी हुई। अब गिरफ्तारी नहीं हुई इस संबंध में और बहुत-सी चीजों पर जो वाकयात से संबंधित हैं उसके बारे में जांच करने की आवश्यकता है और जांच करके ही उस पर राय कायम हो सकती है। माननीय मुख्य मंत्री जी का कहना सही हो सकता है लेकिन प्रत्यक्षदर्शी दो माननीय सदस्य यह बात कहते हैं तो मैं यह उचित समझता हूं कि जो प्रिविलेज कमेटी बैठेगी जिसका कि अभी आज मैं निर्णय करने वाला हूं कि कौन-सी प्रिविलेज कमेटी होगी उसी के पास में कुल प्रिविलेज के प्रश्न को नहीं रेफर कर रहा हूं बल्कि ६७ नियम के अनुसार इस बात की जांच करने के लिये कि गिरफ्तारी हुई या नहीं, इस समिति को यह प्रश्न रेफर करता हूं और उसके सामने माननीय मंत्री जी के पास जो कागजात हैं जो अभी उन्होंने पढ़कर सुनाये थे और अन्य मालूमात भी जो जिले से उन्हें प्राप्त हुये हैं उसी प्रिविलेज कमेटी के सामने पेश किये जायेंगे और राजनारायण जी के पास जो कागजात हों वह भी उस प्रिविलेज कमेटी के सामने वे दे सकते हैं। कमेटी की रिपोर्ट आने पर मैं इस बात का निर्णय करूंगा कि यह प्रिविलेज का सवाल वाकयात को देखते हुये उठता है या नहीं और फिर बाकायदा उस नियम के अनुसार जिसमें कि प्रिविलेज कमेटी को कोई प्रिविलेज का प्रश्न "प्राइमा फेसी" विशेषाधिकार की अवहेलना प्रतीत होने पर भेजना है। मेरे निर्णय के पश्चात् भेजा जा सकता है परन्तु उस समय प्रश्न को समिति के पास भेजना उस निर्णय के ऊपर आधारित होगा आया कि गिरफ्तारी हुई या नहीं। यह मैं इस समय निर्णय देता हूं।

श्री राजनारायण---एक निवेदन मैं आप से करना चाहता हूं। मेरा निवेदन यह है कि आपने इसको विशेषाधिकार समिति के पास भेजा कि वह जांच करे और रिपोर्ट दे कि गिरफ्तारी हुई या नहीं तो माननीय मुख्य मंत्री का भाषण का वह तमाम पोर्शन इसमें ऐसा माना जाना चाहिये कि उन्होंने नहीं कहा, केवल एक सवाल का जवाब उनका माना जाना चाहिये और वही प्रकाशित होना चाहिये। रामलखन जी ने कहा कि हमारी गिरफ्तारी हुई लेकिन माननीय मुख्य मंत्री जी ने कुछ ऐसी बातें खोल दीं कि जिससे वहां के बहुत से कागजात गायब किये जा सकते हैं। थाने में रामलखन जी ने खुद रिपोर्ट की है।

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि इस तरह के आक्षेप किसी माननीय सदस्य के लिये उचित नहीं होंगे। मैं इस चीज की इजाजत नहीं देता हूं। आप यह मौका ऐसे आक्षेप करने के लिये इस्तेमाल न करें।

श्री राजनारायण---मेरा दूसरा निवेदन भी आप सुन लें, क्योंकि मेरे पास इस बात की जानकारी है।

श्री अध्यक्ष---आप जानकारी कमेटी के सामने रख दें।

श्री राजनारायण---दूसरी बात निवेदन कर रहा हूं कि जिस विषय के लिये यह मैटर कमेटी को सिपुर्द किया यदि उस तथ्य तक पहुंचने में कमेटी किसी वजह से असमर्थ हो तो उनको हम दूर करना चाहते हैं। इसके लिये मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि कमेटी के सामने, कमेटी जिन बातों को ले कर तथ्य पर पहुंच सकती है, उनको भी छिपाये जाने का प्रयत्न हो सकता है।

श्री अध्यक्ष---इस विषय में यदि कोई बात आपको कहनी है तो वह आप मेरे दफ्तर में कहिये कि जांच किस तरह से होनी चाहिये, लेकिन अब मेरा निर्णय हो जाने के बाद कमेटी के सामने भी आप यह बात कह सकते हैं और मुझे भी मेरे दफ्तर में बता सकते हैं।

विधान परिषद् सदस्य सरदार सन्तोषसिंह की हत्या के सम्बन्ध में सूचना

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---श्रीमन्, मुझे एक महत्वपूर्ण बात की ओर आपका और सदन का ध्यान आकर्षित करना है। अभी कुछ ही दिन हुये, हम सभी लोगों ने एक दुखद समाचार पत्रों में पढ़ा था कि नैनीताल और पीलीभीत जिले की सीमा के पास हमारे विधान परिषद् के एक माननीय सदस्य सरदार संतोष सिंह की निर्मम हत्या कर दी गई। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इसी साल के अन्दर दो और माननीय सदस्यों की हत्या हुई है और यह तीसरी हत्या हमारे प्रांत में है। तो अगर इस घटना के संबंध में सरकार कुछ प्रकाश डाल सके तो बड़ी कृपा होगी।

श्री अध्यक्ष---माननीय मुख्य मंत्री जी क्या कुछ सूचना देना चाहेंगे। अगर संभव हो तो दे दें।

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)---अध्यक्ष महोदय, जिस दुखद घटना की ओर माननीय नारायण दत्त जी ने हमारा ध्यान अभी आकर्षित किया है वह ८ जुलाई को सायंकाल साढ़े ६ बजे हुई। ठीक तो अभी नहीं कहा जा सकता, ठीक ठीक निर्णय तो अदालत में ही होगा, लेकिन ऐसा ख्याल है कि जिस आदमी ने हत्या की उसका नाम गुरमेल सिंह है। गुरमेल सिंह सरदार संतोषसिंह के फार्म के बगल में ही रहता था। वह पंजाब का रहने वाला था।

उसकी बाबत यहां किसी को कुछ ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन सरदार संतोष सिंह जी उसको बहुत मानते थे। यहां तक कि पिछले साल पंजाब में वह किसी सिलसिले में गिरफ्तार हुआ तो सरदार साहब ने यहां से खुद लिखा किसी को। वह सब कागजात मौजूद हैं कि वह आदमी भला है, बेकसूर है और उनके ऐसा लिखने का परिणाम यह हुआ कि वह पंजाब से छूट गया। वह यहां काम करता था।

सरदार साहब ने पिछली फरवरी, १९५५ में गवर्नमेंट से इस बात की बड़े जोरों से सिफारिश की कि इसको बसने के लिये जमीन एलाट कर दी जाय और उसको वह भला आदमी समझते थे लेकिन किन्हीं वजहों से रुपये पैसे के मामले में सरदार साहब से और उससे मतभेद हो गया। वह झगड़ा तो अप्रैल के महीने में शुरू हुआ था और मई जून तक पहुंचते पहुंचते बहुत काफी बढ़ गया और तब सरदार साहब ने सरकारी आदमियों से कहना शुरू किया कि वह बड़ा निकम्मा आदमी है और उसको निकाल देना चाहिये। यों तो कोई आदमी निकाला जा नहीं सकता जब तक कि वह कोई अपराध न करे। बाद में सरदार साहब ने कई शिकायतें भी कीं और उसके बाद थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त हो सकी और उसके मुताबिक गुरमेलसिंह पर १०७ का मुकदमा चलाया गया। इस बीच में सरदार साहब ने यह भी शिकायत की कि शायद यह कोई वारदात कर बैठे। लेकिन इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिल सकता था कि वह उनको मार ही डालेगा। लेकिन डि० सुप० पुलिस ने वहां स्टेशन आफिसर खटीमा को यह हुक्म दिया कि तुम जांच-पड़ताल करते रहो और बीच में इस बात का कोई प्रमाण मिले कि वह कोई वायलेंस करने जा रहा है तो इसको १५१ में गिरफ्तार कर सकते हो तो किसी आदमी को जब तक वह ऐसा काम न करे और काफी सबूत इसके न हों तब तक उस आदमी को किसी के कहने मात्र से गिरफ्तार नहीं किया जा सकता तो यह हिदायत उन्होंने दे रखी थी। बाद में ८ तारीख को सबेरे संतोषसिंह अपने लड़के के फार्म पर घूम रहे थे उनके साथ एक गुरखा चौकीदार था। बन्दूक और रिवाल्वर के लाइसेंस उनके पास हैं, लेकिन उस समय न उनके पास हथियार था और न चौकीदार के पास हथियार था। वह वहां से कुछ दूर तक गये थे कि यह गुरमेल सिंह और एक और आदमी दिखायी पड़े। गुरमेलसिंह ने रिवाल्वर चलाया और यह सरदार साहब गिर पड़े। चौकीदार भाग गया। चौकीदार ने गुरमेलसिंह को पहचाना और दूसरे आदमी को नहीं पहचाना। इतने में और आदमी भी आ गये लेकिन तब तक सरदार साहब की मृत्यु हो चुकी थी। इस वक्त गुरमेलसिंह, गुरमेलसिंह का साला, गुरमेलसिंह की पत्नी भागे हुये हैं। इनकी खोज हो रही है ऐसी उम्मीद की जाती है कि शायद यह गिरफ्तार हो जायंगे। इस वक्त तक इतनी ही सूचना है।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)---श्रीमन्, मैं एक जानकारी .....

श्री अध्यक्ष---इस संबंध में ज्यादा चर्चा नहीं हो सकती।

विधान भवन के बाहर भूख-हड़ताल करने वाले व्यक्तियों के विषय में पूछताछ

श्री राजनारायण (जिला बनारस)---दूसरे प्रश्न के बारे में मैं जानना चाहता हूं। यहां असेम्बली के सामने दो व्यक्ति १३ तारीख से भूख-हड़ताल कर रहे हैं। मैं उनसे १४ तारीख को मिला था लेकिन जब मैं उनसे १५ तारीख को १॥ बजे दरवाजे पर मिलने गया तो वे नहीं मिले। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि वह कहां ले जाये गये और यदि वे गिरफ्तार कर लिये गये हैं तो वह किस दफा के मातहत गिरफ्तार किये गये हैं, क्योंकि यकायक कोई व्यक्ति गायब हो जाय तो यह बड़ी खतरे की बात है।

श्री अध्यक्ष---अगर सरकार इसका उत्तर देना चाहे तो मैं इजाजत दे दूंगा और अगर वह उत्तर देना न चाहे तो मैं सरकार से नहीं कहूंगा। आप प्रश्न पूछ लें।

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)---मेरा ऐसा ख्याल है कि वे लोग जीवित हैं और किसी न किसी जेल में हैं। किस दफा के अन्तर्गत गिरफ्तार हुये इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है।

सदन के भावी कार्य-क्रम के सम्बन्ध में पूछताछ

श्री कृष्णशरण आर्य (जिला रामपुर)---मैं यह जानना चाहता हूं कि आज के बाद कार्य-क्रम क्या रहेगा।

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)---अध्यक्ष महोदय, कल तो बकरीद की छुट्टी है। उसके बाद २० तारीख को सदन की बैठक होनी चाहिये। उसके बाद २१,२२,२३ को भी। २१ को शनिवार है, २२ को रविवार है और २३ तारीख को सोमवार को तिलक जी की शताब्दि है तो इन तीन दिनों में भी छुट्टी रहेगी। मुझसे कई दोस्तों ने यह कहा कि बकरीद एक बहुत बड़ा त्यौहार है और उसको वह अपने घरों पर मनाना चाहते हैं तो यह स्वाभाविक बात है कि यदि वह बकरीद को अपने घरों पर मनाने के लिये गये तो २० तारीख को सदन में उनके लिये उपस्थित होना कठिन होगा, क्योंकि कुछ लोगों का फासला यहां से बहुत है। तो बहरहाल यह एक धार्मिक त्यौहार है, लोग घर जाना चाहते हैं ताकि सब लोग त्यौहार मना सकें। इसलिये मैं समझता हूं कि १९ तारीख से लेकर २३ तक काम बन्द रहेगा।

श्री रघुनाथ प्रसाद, एम० एल० ए० की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष---मैं एक सूचना सदन को देना चाहता हूं। यह श्री बलरामसिंह सिटी मैजिस्ट्रेट इलाहाबाद ने दी है। मैं उनके पत्र का अनुवाद कर देता हूं। "मुझे आपको यह सूचना देनी है कि १३ जुलाई सन् १९५६ को उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य श्री रघुनाथ प्रसाद ने भारतीय दंड विधान के सेक्शन ३०४ और २०१ के अन्तर्गत थाना शंकरगढ़ से सम्बद्ध एक फौजदारी के मामले में अभियुक्त के रूप में गिरफ्तारी के लिये मेरी अदालत में अपने आपको समर्पित किया और उनको १३ जुलाई सन् १९५६ को जमानत पर छोड़ दिया गया।"

प्राक्कलन समिति, वित्त समिति तथा कतिपय परामर्शदात्री समितियों के निर्वाचन कार्य-क्रम में परिवर्तन की सूचना

श्री अध्यक्ष---यह सूचना सदन को मिल चुकी है कि २३ तारीख को भी छुट्टी रहेगी। उस दिन के लिये मैंने एक कार्य-क्रम रक्खा था। प्राक्कलन समिति, वित्त समिति और कुछ और समितियों के जो सदस्य हैं उनकी नामजदगी हो रही है उनके नाम वापसी की तारीख और समय २३ जुलाई रखा गया था। तो बजाय २३ तारीख के अब मैं उसको २५ कर देता हूं, क्योंकि २३ को छुट्टी है।

*वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक, १९५५ (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष---अब माननीय शिक्षा मंत्री के प्रस्ताव पर कि वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक, १९५५ पर, जैसा कि वह संयुक्त प्रवर समिति द्वारा संशोधित हुआ है, विवाद जारी रहेगा।

*श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---श्रीमन्, मैं कल यह निवेदन कर रहा था कि संस्कृत यूनिवर्सिटी बिल में उन सभी प्राविधानों की आवश्यकता नहीं है जिनको कि हमने

---

*संयुक्त प्रवर समिति द्वारा संशोधित विधेयक २२ मई, १९५६ की कार्यवाही में छपा है।

†वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ऐक्ट में या लखनऊ यूनिवर्सिटी ऐक्ट में स्थान दिया। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की एक विशेष हालत थी और यूनिवर्सिटी का १५ से लेकर २० लाख तक कर्जा किन्हीं विशेष परिस्थितियों के कारण हो गया था। इसलिये मूथम कमेटी द्वारा उसकी जांच की गयी। लेकिन यह संस्कृत विश्वविद्यालय एक नया विश्वविद्यालय बनने जा रहा है, यहां पर ऐसी स्थिति नहीं है जिससे यह कहा जा सके कि इस विश्वविद्यालय में कोई किसी प्रकार की हिसाब में गोलमाल होगी या गोलमाल होने की कोई संभावना है। इसलिये इस विश्वविद्यालय के विधान में उन सभी असाधारण शक्तियों को रखना जिनको हमने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बिल में और लखनऊ यूनिवर्सिटी बिल में रखा था किसी मायने में उचित नहीं जंचता है। मैं जानना चाहूंगा सरकार से कि इसकी क्या आवश्यकता है कि इस संस्कृत यूनिवर्सिटी बिल में भी वाइस-चांसलर को वे सब अधिकार दिये जावें जो डिसिप्लिनरी इनक्वायरी के चेयरमैन के नाते उसे इलाहाबाद विश्वविद्यालय ऐक्ट में मिलीं। इसमें आप देखें कि राज्य सरकार की उन सभी शक्तियों को दुहरा दिया गया है जो कि हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ऐक्ट में पाते हैं। वहां पर राज्य सरकार को अधिकार है कि फाइनेंस कमेटी में दो नामिनीज स्टेट गवर्नमेंट रखे। यूनिवर्सिटी इकनामी के सिद्धांत के अनुसार भी कोई कारण नहीं है कि किसी भी दृष्टिकोण से देखें तो फाइनेंस कमेटी में २ राज्य सरकार के नामिनी होना उचित नहीं है। अगर हमें फाइनेंस के लिये कोई प्रतिनिधि रखने भी हैं तो उसके लिये अच्छी बाडी, प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमेटी है। फाइनेंस कमेटी में राज्य सरकार के प्रतिनिधियों के स्थान पर यूनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमेटी के नुमाइन्दे होने चाहिये। उनका रखना एक प्रकार से यूनिवर्सिटी आटोनामी के हित में भी होगा। इसी प्रकार राज्य सरकार को या वाइस-चांसलर को जहां कहीं भी एमरजेंसी पावर्स दी गई हैं उन सबका हटाया जाना आवश्यक है। इसके बिना विश्वविद्यालय की आटोनामी अक्षुन्ण नहीं रह सकती है।

यह बड़े आश्चर्य की बात है कि इस विधेयक में फैकल्टीज या बोर्ड्स की रचना नहीं की गई है। विश्वविद्यालयों में डिपार्टमेंट्स होते हैं जो किसी फैकल्टी के मातहत हुआ करते हैं। डीन आफ फैकल्टी की नियुक्ति हुआ करती है। लेकिन इस विधेयक में ऐसा कहीं प्रावीजन नहीं है। मैं जानना चाहूंगा सरकार से कि किस बात से प्रभावित होकर उसने फैकल्टी सिस्टम, डीन आफ फैकल्टी सिस्टम या डीन्स की स्थापना इस विधेयक में नहीं रखी है।

दूसरी बात आश्चर्य की यह है कि फर्स्ट इस्टेट्यूट्स, प्रथम परिनियम, इस विधेयक के अंग होने चाहिये। बहुत से ऐसे महत्वपूर्ण मसले हैं जो इस्टेट्यूट्स के द्वारा तय किये जाते हैं, जैसे एग्जीक्यूटिव कौंसिल का कम्पोजीशन, उसके कौन सदस्य होंगे, एकेडेमिक कौंसिल के कौन और कितने सदस्य होंगे। आज हमें यह भी पता नहीं है कि एग्जीक्यूटिव कौंसिल के कौन सदस्य होंगे और कौन नहीं होंगे। अगर एक शेड्यूल के रूप में फर्स्ट इस्टेट्यूट्स नत्थी किया जाता तो हमको पता चलता कि एग्जीक्यूटिव कौंसिल के सदस्य कौन होने जा रहे हैं। फिर, इस्टेट्यूट्स राज्य सरकार के बनाये न होकर, इस सदन की मुहर उनके ऊपर हो जाती। इस्टेट्यूट्स वह बुनियादी कानून है जिसे यूनिवर्सिटी अपने लिये बनाती है लेकिन शुरूआत के लिये जब हम फर्स्ट इस्टेट्यूट्स को ड्राफ्ट के रूप में रखते हैं यूनिवर्सिटी अथारिटीज के सामने, तो यह आवश्यक है कि उनको केवल राज्य सरकार ही न बनावे बल्कि वे इस सदन के सामने भी आने चाहिये। मिसाल के लिये, एकेडेमिक कौंसिल की स्टैंडिंग कमेटी का प्रावीजन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ऐक्ट में किया गया है लेकिन इस संस्कृत विश्वविद्यालय के लिये नहीं किया गया है। नयी शिक्षा पद्धति के अनुसार एकेडेमिक कौंसिल का कार्य बहुत बढ़ गया है और हम इस संस्कृत यूनिवर्सिटी को एक ऐसी यूनिवर्सिटी बनाने जा रहे हैं जो केवल इसी प्रदेश या देश की नहीं बल्कि सारे संसार के संस्कृत के विद्यार्थियों की परीक्षा लेने वाली बाडी बन रही है तो एकेडेमिक कौंसिल की स्टैंडिंग कमेटी का बनाया जाना और भी आवश्यक है।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

इसमें एक और भी कमजोरी दिखलाई देती है कि अध्यापक की परिभाषा में ऐसे व्यक्तियों को भी अध्यापक मान लिया गया है जिनका संबंध न तो किसी एफीलियेटेड कालेज से है और न वे विश्वविद्यालय की सर्विस में हैं। कहीं पर भी वे हों, उनको यदि यूनिवर्सिटी रिकग्नाइज करले तो वे टीचर माने जा सकते हैं। मैं इस संबंध में आपका ध्यान विधेयक की धारा २ की उपधारा (ङ) की ओर दिलाऊंगा जहां अध्यापक की परिभाषा दी हुई है कि कोई भी व्यक्ति चाहे वह किसी एफीलियेटेड कालेज या यूनिवर्सिटी में टीचर हो या न हो, अगर उसे यूनिवर्सिटी टीचर रिकगनाइज कर लेती तो कहीं भी वह टीचर माना जायगा। मैं समझता हूं कि यह परिभाषा अत्यन्त आश्चर्यजनक है। ऐसी परिभाषा किसी एक्ट में नहीं मिलती है।

इन तमाम बातों पर विचार किया जाना आवश्यक है। मैं तो यह प्रस्ताव करता कि इस विधेयक को फिर प्रवर समिति में भेजा जाय लेकिन चूंकि इसमें समय अधिक लगेगा और अगर सरकार अवसर देगी तो यहां भी ये संशोधन हो सकेंगे, इसलिये मैंने यह प्रस्ताव उपस्थित नहीं किया। मैं कल भी कह चुका हूं कि जहां तक संस्कृत यूनिवर्सिटी की स्थापना का सवाल है, हम इसकी आवश्यकता को बहुत पहले से महसूस करते चले आये हैं। लेकिन इस विधेयक के द्वारा जो कलेवर या आवरण इस संस्कृत विश्वविद्यालय ऐक्ट के ढांचे पर मढ़ा जा रहा है यह उपयुक्त नहीं है और इसमें विधेयक में काफी संशोधनों की आवश्यकता है। विश्वविद्यालय के निर्माण के संबंध में कोई दो राय नहीं हो सकती है। हम चाहते हैं कि वाराणसी का संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी के उस पुरातन नाम को और उसकी कीर्ति को फिर विश्व में बढ़ावे और जिस प्रकार युगों से वह भारतीय संस्कृत का परिवर्धन व परिमार्जन रहा है, उसकी प्रगति का स्तम्भ रहा है, उसी प्रकार आनेवाली शताब्दियों में इस संस्कृत विश्वविद्यालय के माध्यम से वाराणसी फिर भारतीय संस्कृति व परम्परा की सुरक्षा करे, उसकी वृद्धि करे, यह हमारी सबकी अभिलाषा है। यह वही वराणसी है जो युगों से हमारे भारतवर्ष की शांति, अहिन्सा और सत्य के सिद्धांतों को अग्रसर करने वाला केंद्र रहा है? इसके निकट सारनाथ है जहां भगवान बुद्ध ने धर्मचक्र चलाया था, तो इस पवित्र स्थान पर संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना हो, इससे किसी को भी मतभेद नहीं है। लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि यह कोई पार्टी का या दलगत प्रश्न नहीं है। यह संस्कृत भाषा के पुनरुद्धार का प्रश्न है और यदि हम इसे सचमुच वास्तविक रूप से इसका केंद्र बनाना चाहते हैं तो पाश्चात्य कलेवर या पद्धति की आवश्यकता नहीं होगी। नये तरीके का विधान हमें देना होगा। तभी यह विश्वविद्यालय पाटलिपुत्र, नालन्दा और वैशाली विश्वविद्यालयों के तुलनात्मक कार्य कर सकेगा।

श्री नरदेव शास्त्री (जिला देहरादून)---अध्यक्ष महोदय, मैं इस वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। इस विश्वविद्यालय की कल्पना कोई नयी नहीं है। २ हजार वर्ष पूर्व भी, यद्यपि विश्वविद्यालय तो नहीं कहलाये जाते थे, विद्यापीठ कहलाये जाते हों या उनका कुछ और नाम हो, कितने ही बड़े-बड़े विश्वविद्यालय तक्षशिला जो रावलपिंडी से २५ मील पर है मैंने उसको देखा है। उसका इतिहास यह है कि वहां पर २० हजार विद्यार्थी पढ़ते थे और २२ सौ प्रोफेसर या प्राध्यापक थे। यह विश्वविद्यालय १४ मील के क्षेत्रफल में था। अब तो वहां पर कुछ भी नहीं है। लेकिन इतिहास हमें यह बताता है। इसी प्रकार नालंदा में भी बड़ा भारी विश्वविद्यालय था जिसमें १० हजार विद्यार्थी पढ़ते थे और एक हजार या १२ सौ प्रोफेसर वहां थे। उस समय का यह भी पता चलता है कि अध्यापन और अध्ययन का माध्यम संस्कृत थी। कल्पना कीजिये जहां चाणक्य और चन्द्रगुप्त एक साथ पढ़ते हों वह कितना बड़ा विश्वविद्यालय होगा। एक नोटोकिल्च नामक विद्वान लिखते हैं कि ईसामसीह के जीवन में १६ वर्ष का समय ऐसा आता है जिसका पता नहीं लगता कि वह कहां रहे। तिब्बत में जाकर खोज जब हुई तो उससे

पता चलता है और एक ऐसा ग्रंथ मिलता है कि इन १६ वर्षों में ईसामसीह भारत और नालंदा विश्वविद्यालय में रहे और वहीं से वह शिक्षा प्राप्त करके गये थे। इससे मालूम होता है कि विश्वविद्यालय की यह कोई नयी कल्पना नहीं है।

अब यह जो संस्कृत विश्वविद्यालय बन रहा है इसका भी बड़ा भारी इतिहास है। पहले यह संस्कृत कालेज के नाम से प्रसिद्ध था जिसमें केलटाइन, वेनिस आदि जर्मन विद्वान तथा महामहोपाध्याय गंगाधर शास्त्री, महामहोपाध्याय दामोदर शास्त्री तथा महामहोपाध्याय हरिनाथ शास्त्री आदि कितने ही महामहोपाध्याय और उच्च कोटि के विद्वान यहां रह चुके हैं। इस प्रकार से इसका १७५ वर्ष का सुसंबद्ध इतिहास मिलता है। इस विश्वविद्यालय से एक पंडित मासिक पत्र भी निकलता था जो आजकल बन्द हो गया है। इस अखबार से यहां के पंडित नहीं वरन जर्मन और आंग्ल संस्कृत के पंडित भी उससे स्फूर्ति लेते थे। ऐसा उसका इतिहास है और ऐसी उसकी परम्परा है। यह समस्त भारतवर्ष की संस्कृत की शिक्षा का केंद्र समझा जाता था और अगर कोई बड़ा संस्कृत का केंद्र होता था तो उसको काशी नाम ही दिया जाता था। दक्षिण में एक कांजीवरम् है जो दक्षिण का काशी ही कहलाता है। इसी प्रकार से दक्षिण में एक कुमंकोनम् है जो कुम्भघोण का नामान्तर है। यह भी संस्कृत शिक्षा के लिये काशी समझा जाता था। जब संस्कृत विद्या का ह्रास हुआ और काशी में सब विद्यायें नहीं रह गयीं तब पंडितों ने विषयों का बटवारा कर लिया। वेदान्त और व्याकरण महाराष्ट्र में चला गया। न्याय मैथिलों ने और अनेक प्रकार के दूसरे विभाग बंगालियों ने लिये और उत्तर भारत के लोगों ने साहित्य ले लिया। इस प्रकार से इस विद्या के विभाग होकर काम चलता था। मुझे बड़ी प्रसन्नता है आज साढ़े चार वर्ष में मेरे काम का एक ही विधेयक आया और इसीलिये मैं बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं।

यवन काल में या गौरांग महाप्रभुओं के काल में संस्कृत विद्या को क्षति पहुंची। पहले तो यह समझा जाता था--ब्राह्मणेन निष्कारणों धर्म षड़ंगो वेदो अध्ययोज्ञेयश्चति। ब्राह्मणों को वेद पढ़ना चाहिये किसी लालच से नहीं लेकिन कर्त्तव्य भावना से, इस परम्परा की रक्षा गौरांग महाप्रभुओं के समय में भी कुछ कुछ हुई। उसने एकदम स्वराज्य काल में ऐसा पल्टा खाया कि पेट का प्रश्न भारतवर्ष के सामने एकदम आने से संस्कृत विद्या की शिक्षा पाने वालों में एक बड़ा परिवर्तन हो गया और संस्कृत के विद्यार्थी हिन्दी अंग्रेजी परीक्षा की ओर भागने लगे, संस्कृत विद्या को लोग छोड़ने लगे। मुझे वहां के एक महामहोपाध्याय से मालूम पड़ा कि काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में या और कालेजों में केवल उतने ही विद्यार्थी संस्कृत पढ़ते हैं जिनको वजीफा मिलता है, बाकी नहीं पढ़ते हैं, ऐसा विचित्र समय आगया। ऐसा भास होने लगा कि कहीं संस्कृत विद्या डूब तो नहीं जायगी, मर तो नहीं जायगी यद्यपि यह मरने वाली नहीं है। यह अमर देववाणी है जिसका संबंध वेदवाणी से है। इसलिये मैं बड़ा प्रसन्न हूं कि यह विधेयक आपके सामने आया है। इसके विषय में एक बड़ी अच्छी बात यह हुई है कि इसकी प्रवर समिति में इधर-उधर के व्यर्थ के लोगों को न भर कर जितने संस्कृत के अच्छे-अच्छे पंडित और शास्त्री थे और जो इससे सहानुभूति रखते थे या इस विषय को जो समझते थे उन सब को हमारे माननीय शिक्षा मंत्री ने एकत्र करके उसमें रखा और हमारे माननीय सम्पूर्णानन्द जी जो संस्कृतज्ञ हैं और संस्कृत में विशेष अभिरुचि रखते हैं वे इसके सभापति थे और मैं भी उसमें सम्मिलित था। अनेक दृष्टि से इस पर विचार हुआ।

केवल आक्षेप इसमें यह है कि इस विधेयक को अंग्रेजी ढांचे पर ही क्यों बनाया गया है। वही कुलपति वही उपकुलपति, वैसे ही खजांची, वैसे ही मंडल और वैसे ही अध्यापकों का चुनाव हुआ करेगा जैसे लखनऊ विश्वविद्यालय में, जैसे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हुआ करता है। आखिर इसको क्यों रखा चूंकि यह समय ऐसा है जिसमें दूसरा तरीका रखने से काम नहीं चलता था इसलिये इसी मार्ग का अवलम्बन करना पड़ा। संस्कृत में एक उक्ति है "सर्वनाशे समुत्पन्ने, अर्द्धम् त्यजति पंडित:" तब संस्कृत की तरफ लोगों का ध्यान नहीं था, लेकिन जब

[श्री नरदेव शास्त्री]

यह संस्कृत विश्वविद्यालय बनेगा तो उसकी तरफ लोगों का ध्यान अवश्य जायेगा। मुझे सबसे बड़ी प्रसन्नता यह है कि काशी संस्कृत विश्वविद्यालय की परीक्षा केवल संयुक्त प्रान्त के ही नहीं बल्कि भारतवर्ष के दूसरे स्टेट्स के विद्यार्थी भी अनुमति लेकर दे सकेंगे। यही नहीं बल्कि रूस, जर्मन आदि किसी देश के भी विद्यार्थी इसकी परीक्षा में सम्मिलित होना चाहेंगे तो वे इसकी परीक्षा दे सकेंगे। मतलब यह है कि संस्कृत कालेज बनारस संस्कृत विश्वविद्यालय के रूप में पुनः अपनी प्रतिष्ठा स्थापन करने की चिन्ता कर रहा है, इसलिये मैं इसकी बड़ी पुष्टि करता हूं।

मैं जब काशी में पढ़ता था, एक बात कहना आवश्यक है कि संस्कृत विद्या का निःशुल्क शिक्षा, स्वार्थ त्याग आदि से भी घनिष्ठ संबंध है। मुझे ५० वर्ष से संस्कृत का अनुभव है, यह सन् १९०२ की बात है। उस समय काशी में २७ हजार विद्यार्थी संस्कृत पढ़ते थे और इस प्रकार कम से कम दो हजार पंडित जो अच्छे और तगड़े थे वे संस्कृत कालेज में इनको पढ़ाते थे। इसके अतिरिक्त अपने अपने घरों पर भी वे विद्यार्थियों को पढ़ाते थे। उसमें क्या होता था कि एक सेठ ने कुछ क्षेत्र लगा दिया कि इससे १०० विद्यार्थियों का खर्च चलेगा, या किसी जमींदार ने ५० हजार विद्यार्थियों के भोजन का जिम्मा ले लिया। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस तरह से २७ हजार, ३० हजार विद्यार्थियों की पढ़ाई का खर्च चलता था। जमींदारों की या सेठों की चाहे दूसरे कार्यों में भले ही निन्दा की जाय लेकिन इस विषय में उन्होंने ऐसी व्यवस्था की थी इस क्षेत्र के इतने विद्यार्थियों का खर्च इनके जिम्मे होगा, इस क्षेत्र का दूसरे के जिम्मे होगा। इस तरह से उनको सवेरे रोटी मिलती थी। सायंकाल को भोजन नहीं मिलता था। जो क्षेत्र कायम थे वहां पर यह होता था कि किसी ने चार पैसे दे दिये, किसी ने दो पैसे दिये, किसी ने तेल दिया, इसके लिये दिन भी नियत था कि बुधवार को फलां चीज फलां व्यक्ति देगा, गुरुवार को फलां चीज मिलेगी। प्राचीन काल में "मधुकरी" की प्रथा थी कि विद्यार्थी के पास कोई धन वगैरह न हो और वह पढ़ना चाहता हो तो उसके लिये वह प्रथा अब भी दक्षिण में है कि विद्यार्थी हाथ में झोला लेकर निकल जाता था और किसी के दरवाजे पर जाकर कहता था "ओउम् भगवति भिक्षां देहि" दक्षिण में पूना और महाराष्ट्र में यह प्रथा अब भी है। उस घर पर रोटी वगैरा तैयार रहती थी और उसको कुछ रेशियों में बांट दिया जाता था जैसे दस हिस्से कर दिये, जो कुछ बनाया उस रोटी पर रख दिया। जब लड़का विद्यार्थी आता था और कहता था "ओउम् भगवति भिक्षां देहि" यानी हे देवी हमें भिक्षा दो तो उसको एक हिस्सा उठा कर दे दिया जाता था। ऐसे विद्यार्थी जो इस तरह से मधुकरी वृत्ति से भोजन करते थे उनके लिये पूना में फीस माफ होती थी चाहे वे अंग्रेजी पढ़ते हों या संस्कृत। यह सिद्ध हो जाय कि फलां विद्यार्थी मधुकरी वृत्ति से अपना जीवन व्यतीत कर रहा है तो उसकी फीस माफ होती थी। गुरुवार को उसे पुस्तकें मिलती थीं। शनिवार को तेल मिलता था और इसी तरह से उसे हर दिन कुछ न कुछ मिलता था। रानाडे जिन का नाम प्रसिद्ध है उन्होंने देश के लिये क्या किया। एक दिन पूना में एक पुस्तक लेकर वह रात में पढ़ रहे थे पुलिस सुपरिन्टेंडेंट रात को गश्त लगा रहे थे उन्होंने पूछा कि यह कौन है जो रात में १२ बजे पुस्तक लेकर पढ़ता है। तो उसने बताया कि मेरा नाम महादेव गोविन्द रानाडे है। पूछा कि तुम क्या पढ़ते हो तो उसने कहा कि मेरे पास साधन ही नहीं है तो उन्होंने उसकी सिफारिश की और उनका सारा बन्दोबस्त कर दिया। आगे चलकर वह लड़का बड़ा बुद्धिमान निकला और बम्बई हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बना। गोखले भी कोई बड़े अमीर घराने के नहीं थे। उन्होंने भी निःशुल्क शिक्षा ली और संस्कृत का निःशुल्क शिक्षा से बड़ा संबंध है। जब से जमींदारी प्रथा बन्द कर दी साहूकारों ने अपने हाथ खींच लिये, जो सैकड़ों अन्न क्षेत्र चलते थे वे बन्द हो गये आज ऐसा कोई भी अन्न क्षेत्र नहीं है जहां २५ विद्यार्थी भी मुफ्त खाते हों, तो फिर संस्कृत विद्या कैसे फले फूले। मेरा एक सुझाव है कि खाने-पीने का बन्दोबस्त तो होगा ही माननीय

मंत्री जी इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि इस विश्वविद्यालय में पढ़ने वालों से कोई फीस आदि न ली जाय, क्योंकि हमारे शास्त्रों में इसको बड़ा निन्दनीय माना जाता था, मानना भी चाहिये था। इस प्रकार से मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि इसके द्वारा बहुत काम होगा।

इसमें दो तीन प्रश्न उठाये गये, कुलपति और उप-कुलपति के बारे में। इसमें आक्षेप उठाये गये हैं कि उप-कुलपति संस्कृत पाठशाला का है। १,००० वेतन उनका होना चाहिये। २,००० क्यों रखा गया है ? जब अंग्रेजी वालों का २,००० है तो मेरी समझ में नहीं आता कि इनका १,००० क्यों रखा गया है। तो इस बात का ध्यान रखते हुये मैं यह आशा करता हूं कि संस्कृत विद्या खूब फलेगी और फूलेगी। संस्कृत विश्वविद्यालय की नींव सोमनाथ में श्री के० एम० मुन्शी द्वारा रखी गयी और फिर कुरुक्षेत्र में संस्कृत विश्वविद्यालय बन रहा है पंजाब में संस्कृत विश्वविद्यालय बन रहा है, ऐसे ही समय आयेगा कि जब प्रत्येक प्रांत में संस्कृत विश्वविद्यालय बनेंगे और संस्कृत पुनः उस गौरव को प्राप्त करेगी ऐसा मेरा ख्याल है और सबको चाहिये कि इस बिल को सर्वसम्मति से पास करें।

†श्री केशव गुप्त (जिला मुजफ्फरनगर)—अध्यक्ष महोदय, संयुक्त प्रवर समिति के अध्यक्ष द्वारा जो वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक माननीय शिक्षा मंत्री जी ने भवन के समक्ष उपस्थित किया है उसका मैं स्वागत करता हूं। संस्कृत वह भाषा है जो कि शताब्दियों तक आर्यवृत विशेषतः भारतीयों की एक मात्र भाषा रही है। संस्कृत ही वह भाषा है जिसमें हमारे भारत की संस्कृति, इतिहास, साहित्य, उपनिषद, ग्रन्थ, दर्शन और वेदों की रचना हुई, संस्कृत ही वह भाषा है जिसने कि बहुत सी आधुनिक भाषाओं को जन्म दिया और जिससे शब्दों को लेकर आधुनिक भाषाओं ने अपने आपको अलंकृत किया लेकिन समय के हेरफेर से संस्कृत भाषा प्रायः धीरे-धीरे लुप्त होने लगी और हम इस दशा को पहुंचे कि संस्कृत की जगह दूसरी भाषाओं को हम ने अपनाया और उसके साथ दूसरे देशों की परम्परा और संस्कृति को भी हमने अपनाया। आज संसार में शेक्सपीयर या शैली का ऊंचा स्थान है परन्तु मैं आपसे कह देना चाहता हूं कि यदि आज संस्कृत भाषा को वही मान लिया होता जो अंग्रेजी भाषा को या दूसरी भाषाओं को मिला है और आज कालिदास और शेक्सपीयर समकालीन होते तो मैं यह गौरव के साथ कह देना चाहता हूं कि कालिदास के समक्ष शेक्सपीयर शायद आते भी लज्जा मानता। जिसने 'मर्चेन्ट आफ वेनिस' और 'हेमलेट' अंग्रेजी में पढ़ा और जिसने कालिदास के 'मेघदूत' और 'शकुन्तला' को पढ़ा वह स्वयं इस बात को समझ सकता है कि कालिदास का काव्य शेक्सपीयर के मुकाबले में कितना ऊंचा है, कितने लालित्य और उपमा से परिपूर्ण है। इसे वही समझ सकता है जो कि संस्कृत भाषा का ज्ञाता हो।

लेकिन चूंकि संस्कृत भाषा का लोप होना प्रारम्भ हुआ तो उसकी दशा बड़ी शोचनीय हो गई और जिनको ६५ वर्ष पूर्व का अनुभव है वह अपने अनुभव से कह सकते हैं कि अगर किसी ने उस जमाने में संस्कृत पढ़ने की कोशिश भी की तो उसके प्रयत्न को निष्फल करने की हमारे ही देसवासियों की तरफ से कोशिश जारी रही और संस्कृत को लुप्त करने की तरफ ही हमारा प्रयत्न जारी रहा। स्कूलों, विश्वविद्यालयों और कालेजों के अन्दर फारसी, अरेबिक और उर्दू को लेकर बी० ए०, एम० ए० पास करना आसान होता था लेकिन संस्कृत को लेकर बी० ए०, एम० ए० करना कठिन था, स्वयं पंडित लोग इतने क्लिष्ट कोर्स रखते थे कि उसको पढ़ना और पढ़ाना और उसमें पास होना कठिन और असम्भव सा हो गया था। इस समय मैं मानता हूं कि जयपुर संस्कृत विश्वविद्यालय और बनारस के संस्कृत विद्यालय ने ही देश की सेवा की और संस्कृत को

†वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री केशव गुप्त]

जीवित रखने की कोशिश की। इसके लिए संस्कृत विश्वविद्यालय बनारस और जयपुर का विश्वविद्यालय हमारे सबके धन्यवाद का पात्र है।

आज जब कि स्वराज्य हुआ तो उसके बाद यह आशा थी और यह जरूरी था हमारे लिए और हमारा यह कर्तव्य था कि हम संस्कृत भाषा को उन्नत करें, संस्कृत भाषा को वह स्थान देने का प्रयत्न करें, जो कि उसे प्राचीनकाल में मिलता था और जब कि आज संस्कृत का बहुत-सा साहित्य और ग्रन्थ लुप्त और नष्ट-भ्रष्ट हो गया है फिर भी बहुत से ऐसे ग्रन्थ अभी तक ताम्रपत्रों और भोजपत्रों पर विद्यमान हैं जिनका अनुसंधान होना बहुत बहुत आवश्यक है जिससे अपनी पुरानी संस्कृति का कुछ पता लग सकता है। हमें दुख है कि हमें नकल करने की आदत पड़ गई है और नकल करने की इतनी जबरदस्त आदत हो गई कि जब संविधान बनाने की आवश्यकता पड़ी तो अपनी परम्परा और शैली को आदर न देकर हमने अंग्रेजी की परम्परा और शैली को मान्यता दी। मुझे एक बात देख कर कि हमें कितनी नकल करने की आदत है एक बार बहुत दुख हुआ, जब कि मैं एक अखबार को पढ़ रहा था तो मैंने उसमें देखा कि एक मेम्बर ने जब संविधान बना तो उसने संविधान की तारीफ करते हुये रूस के संविधान की आलोचना की और उसने कहा कि हमारा संविधान इतने अधिक पन्नों में है जब कि रूस का संविधान थोड़े से पन्नों में बना है। यह क्या संविधान है। तो उसमें मुझे याद आता है एक रूस वाले ने बड़ी कटु आलोचना करते हुए कहा था कि मैं भारतीयों को बता देना चाहता हूं कि हो सकता है कि उनके संविधान से हमारा संविधान छोटा हो लेकिन मैं बता देना चाहता हूं कि उनका संविधान दूसरे देशों के संविधानों की नकल है और हमारा संविधान एक मूत्र मंत्र है जो कि हमने अपनी पुरानी परम्पराओं और शैलियों के अनुसार स्वयं बनाया है। इसलिए मुझे आपसे कहना है कि अगर हम संस्कृत विद्या को इस समय उन्नत करेंगे उसको जागरूक बनायेंगे तो यह सम्भव हो सकता है हमारी नकल करने की प्रवृत्ति दूर हो और हम अपनी पुरानी परम्पराओं और शैलियों पर हम अपनी संस्कृति की नींव रख सकें और उसी को आस्था दे सकें। इसलिए आप जो संस्कृत विद्यालय को विश्वविद्यालय का रूप देने जा रहे हैं इसके लिए हम सब को गर्व है और हम इसकी बहुत दिनों से प्रतीक्षा कर रहे थे।

आज वह दिन आ गया जब कि हम आज इस विधेयक को प्रस्तुत करने तथा पारित करने के लिये यहां उपस्थित हैं। नारायणदत्त जी ने उसमें बहुत सी त्रुटियां निकालीं और हैं। मैं भी कुछ त्रुटियां समझता हूं। कुलपति और उपकुलपति जो बनाने की कोशिश की गयी वह संस्कृत विश्वविद्यालय के लिए कुछ अधिक शोभा नहीं देते। चांसलर को बस उसी पुराने ढंग से बनाना यह भी कुछ शोभा की बात नहीं। मैं यह मानता हूं कि जो चांसलर संस्कृत का महामहोपाध्याय न हो, संस्कृत का ज्ञाता न हो उसे संस्कृत विद्यालय का चांसलर बनाना किसी प्रकार भी उपयुक्त नहीं है। लेकिन ये चीजें ऐसी हैं कि जब हम खंडों पर विचार करेंगे उस समय यदि उसकी आवश्यकता हुई तो शुद्धि हो सकती है। लेकिन इस समय तो सामान्य चर्चा हो रही है उस पर विचार कर रहे हैं। उस सामान्य चर्चा में मैं अपना हर्ष प्रकट करता हूं और मैं माननीय शिक्षा मंत्री का स्वागत करता हूं कि उन्होंने ऐसा एक उत्तम और सुन्दर विधेयक और आवश्यक विधेयक भवन के सामने प्रस्तुत किया।

†श्री रामजी सहाय (जिला देवरिया)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय का जो विधेयक प्रस्तुत है उसका मैं हृदय से स्वागत करता हूं और साथ ही इस विधेयक के समर्थन के लिए यहां प्रस्तुत हुआ हूं।

श्रीमन्, संस्कृत भारत की उन मूल भाषाओं में से एक है जिसमें से राष्ट्र भाषा औ हमारी नैतिक व्यवस्थाएं उत्पन्न हुई हैं और इसीलिए वह बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन साथ

---

†वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ही यह बात सही है कि जब तक कि हम अंग्रेजी का मोह न छोड़ेंगे तब तक हमारी भाषाओं की जो कंगालियत है वह जायगी नहीं। यह बात सत्य है कि जो भाषा जनता सुगमता से पचा नहीं लेती है, वह साहित्य और वह भाषा एक समय में जाकर लुप्त हो जाती है। संस्कृत के लिए जो कारण बताया गया है कि क्या कारण है कि धीरे-धीरे उससे अरुचि होती गयी, मैं अपनी क्षुद्र बुद्धि से यह कहता हूं कि संस्कृत भाषा की दीवारें इतनी ऊंची हैं कि उनमें स्वच्छ वायु का आना जाना रुक गया और इस तरह से वह इतनी क्लिष्ट हो गयी और अन्त में जाकर आडम्बर भी उसमें आ गया जिससे वह जनवाणी नहीं रह गयी गीता की ही भाषा लीजिये कितनी सरल है। जब तक वह इस तरह से रही तो संस्कृत पूरे रूप से व्यापक रही।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, सदन में कोरम नहीं मालूम होता।

श्री अध्यक्ष---(श्री रामजी सहाय से) जरा आप कृपा करके थोड़ी देर के लिए अपना स्थान ग्रहण कर लें।

मालूम होता है कि छुट्टी की घोषणा कर देने से गड़बड़ हो गयी। मालूम होता है लोग अभी से चल दिये।

(घंटी बजायी गयी और कोरम होने के बाद कार्य पुनः आरम्भ हुआ।)

श्रीराजनारायण---इस तरह से हम देखते हैं कि हमसे, इस देश से वह भाषा क्यों लुप्त हो गई और क्यों इस तरह से सीमित पुस्तकों में ही रह गई। उसका यही कारण था और हम यह देखते हैं कि संस्कृत भाषा हमारी भारतीय भाषाओं की गंगा है जिससे कि हिन्दी, गुजराती, महाराष्ट्री या बंगला निकली हैं, यह उनकी जननी है। तो अगर मूल नदी ही सूख जाय तो यह भाषायें मलीन हो जायंगी। इसलिये भी हिन्दुस्तान में जो प्रचलित भाषायें हैं उनके लिये भी संस्कृत बहुत आवश्यक है।

लेकिन उसके साथ ही साथ वह एक विश्वविद्यालय का रूप लेने जा रहा है, उस समय हम आशा करते हैं कि जो तक्षशिला था, नालन्दा था, काश्मीर था या काशी जो संस्कृत के प्रसिद्ध केन्द्र रहे, वही स्थान उसको किस तरह से प्राप्त होगा। आज हमें उसके लिये उसके माध्यम को भी समझना चाहिये। राष्ट्रभाषा के द्वारा जो संस्कृत की शिक्षा दी जा सकती है ऐसे ही पश्चिम में भी वहां की प्रचलित राष्ट्रभाषा में या जो भी वहां प्रचलित भाषा है उसके द्वारा ही शिक्षा दी जाती है। तो इससे दुहरा लाभ होगा। जो संस्कृतज्ञ होंगे वे हिन्दी के निष्णांत होंगे, उसके तज्ज्ञ होंगे, उसका ज्ञान होगा और इस तरह से संस्कृत और राष्ट्र भाषा दोनों को आगे साथ चल सकेंगे। हमें संस्कृत के साथ ही इस बात का भी ध्यान होगा कि प्राकृत और पाली भी इस भाषा से ओत-प्रोत हैं, उसमें अगाध सम्बन्ध है। उस तरफ भी हमें पूर्णरूप से ध्यान देना होगा। आज हम संसार के साथ चलना चाहते हैं और संस्कृत को हम उसी स्तर पर ले आना चाहते हैं कि वह जनवाणी हो और वह तब हो जब उसमें सरलता आवे। उसमें सरसता तो है ही। उसके महाकाव्य अमर हैं। लेकिन उसके साथ-साथ हमें उस भाषा को सर्वसाधारण तक पहुंचाना भी है। बहुत से सज्जनों ने, हिन्दुस्तान के शुभचिन्तकों ने और राजनीतिज्ञ और दूसरे लोगों ने यह कहा कि इसे राष्ट्रभाषा का स्थान देना चाहिये। लेकिन राष्ट्रभाषा के बनने में जो कृत्रिम बाधायें हैं हमें उन्हें दूर करना होगा और इस तरह से हम उस भाषा को जनता तक पहुंचा सकेंगे।

इसके साथ ही साथ श्रीमन्, कुलपति के बारे में जो यह कहा गया कि संस्कृत का निष्णांत होना, तज्ज्ञ होना आवश्यक है, मुझे डर है कि कहीं यह बात न हो जाय कि कूप मंडूप तत्व उसमें आ जाय या आडम्बर आ जाय। बल्कि जैसे राज्यपाल कुलपति होता है उसी तरह से, मैं विधेयक के ब्यौरे में नहीं जा सकूंगा, लेकिन जहां तक थोड़ा

[श्री रामजी सहाय]

बहुत मैंने उसको देखा उससे मैं इस निर्णय पर पहुंचा कि हमको उसी तरह व्यापक और उदार दृष्टि अपनाने की आवश्यकता है और सहिष्णुता जब से उस भाषा में असहिष्णुता आयी जब से हमने उसे देववाणी का पर्यायवाची नाम दिया, संकुचन आ गया। मैं विधेयक की तफसील में नहीं जा रहा हूं बल्कि सैद्धांतिक और संस्कृत की क्यों आवश्यकता है, क्यों हम उसमें जो अरुचि पैदा हो गई है उसकी जगह रुचि पैदा करना चाहते हैं, उस सैद्धांतिक विवेचन की भी थोड़े से शब्दों में आपके सामने निवेदन किया और आशा करता हूं कि उस दृष्टिकोण को रखते हुए हमें संस्कृत की प्रगति को आगे बढ़ाना है और इस विधेयक के लिये जो सरकार ने प्रस्तुत किया है मैं पुनः अपनी हार्दिक बधाई देता हूं।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, यह वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक जो इस समय विचारार्थ प्रस्तुत है इस सम्बन्ध में सम्मानित सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये। मैं समझता हूं कि इसमें दो मत नहीं हो सकते कि संस्कृत की उन्नति होनी चाहिये। संस्कृत हमारे राष्ट्र की देव भाषा है। बहुत सी भाषायें संस्कृत से निकली हैं। संस्कृत हिन्दी भाषा की जननी है इसमें दो राय नहीं होनी चाहिए। संस्कृत का विकास हो, संस्कृत हमारे देश और प्रदेश के तमाम लोग पढ़ें, संस्कृत में अपने भावों को व्यक्त करें, अच्छा होगा।

प्रश्न यह रह जाता है कि इस समय वाराणसी के अन्दर जो संस्कृत विश्वविद्यालय स्थापित होने जा रहा है, क्या इस विद्यालय से हमारा जो उद्देश्य है वह पूरा होगा या नहीं? और आपके द्वारा मैं इस सदन के सम्मानित सदस्यों से और सरकार से भी निवेदन करूंगा कि वह भी इसी दृष्टिकोण को अपनाकर इस विश्वविद्यालय विधेयक पर विचार करें। यों तो इस सदन में बहुत से सम्मानित सदस्य समय-समय पर अपना मत व्यक्त करते रहे हैं अपने स्थान के सम्बन्ध में तो मैं भी बनारस का ही रहने वाला हूं, मुझे भी इसमें बड़ा गर्व होगा कि यह विद्यालय हमारे बनारस, वाराणसी में खुल रहा है और देश के कोने-कोने से लोग संस्कृत विद्या का अध्ययन करने वहां आयेंगे। मगर मुझे इसकी भी जानकारी है कि संस्कृत के बड़े-बड़े प्रकांड विद्वान भी शिक्षा क्षेत्र में जिनकी ख्याति भी हो चुकी है ऐसे लोग भी केवल संस्कृत विद्यालय की स्थापना मात्र से ही संस्कृत और प्राचीन संस्कृत की रक्षा होगी, इसमें मतभेद रखते थे और अब भी रख रहे हैं। श्रीमन्, मुझे याद है, इस समय पूज्य आचार्य नरेन्द्रदेव जी नहीं हैं, वह इस दुनिया से उठ गये हैं, हमारा और हमारे देश का अभाग्य है, उनकी भी सम्मति मुझे मालूम है और जहां तक मैं समझ पाया हूं, जहां तक मुझे स्मरण है आचार्य नरेन्द्र देव जी भी इस मत के रहे हैं कि बनारस में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना मात्र से ही जिस उद्देश्य की प्राप्ति यह सरकार करना चाहती है वह नहीं हो सकती। मेरी भी उनसे बातचीत हुई। उन्होंने बराबर इस बात को कहा कि काशी विश्वविद्यालय में भी संस्कृत का एक विभाग है। काशी विश्वविद्यालय में लोग संस्कृत पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, हमारे वहां जो रुइया हास्टेल है तमाम संस्कृत पढ़ने वाले रुइया हास्टेल में रहते हैं। वहां भी बड़े-बड़े आचार्य हैं। यदि सरकार संस्कृत की उन्नति करना चाहती है और संस्कृत को पढ़ाना चाहती है तो क्यों नहीं सरकार मुक्त हस्त से, उदार भाव से, व्यापक दृष्टिकोण से काशी विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग को सहायता प्रदान करती। क्यों नहीं काशी विश्वविद्यालय के उसी संस्कृत सेक्शन को अधिक पैसा देकर, अधिक धन देकर संस्कृत पढ़ने पढ़ाने का कार्य किया जाय। आज तक सरकार की ओर से मुझे इसका कोई समुचित उत्तर नहीं मिल पाया कि जब काशी में एक काशी विश्वविद्यालय पूज्य महामना मालवीय जी द्वारा स्थापित है और उसमें संस्कृत की पढ़ाई हो रही तो सरकार ने वहां की संस्कृत की पढ़ाई में क्या योग दिया, क्या सहायता प्रदान की है?

आज सरकार की ओर से यदि यह तर्क उठाया जाय कि वह वाराणसी में संस्कृत विश्वविद्यालय खोलना चाहती है और हम उसका विरोध कर रहे हैं, मैं समझता हूं ऐसा तर्क उठाना सरकार को शोभनीय नहीं होगा। मैंने पहले इस बात का निवेदन कर दिया है कि मैं चाहता हूं और सच्चे हृदय से चाहता हूं कि संस्कृत विकसित हो। उसी के साथ-साथ जब मैं यह चाहता हूं कि लोग संस्कृत को पढ़ें और पढ़ावें, इसके द्वारा विचारों का आदान-प्रदान करें, इसमें आज की नवीन मौलिकतायें जो हैं, नयी विद्यायें जो हैं उनका भी समावेश किया जाय, संस्कृत माध्यम से ज्ञान कराया जाय, तो मैं यह भी जानना चाहता हूं कि श्रीमन् इस अवसर पर कि आज अपने प्रदेश में छोटी-छोटी संस्कृत की कितनी पाठशालायें हैं? कितनी पाठशालाओं के द्वारा बिना सरकारी सहायता प्राप्त किये हुए आज संस्कृत की पढ़ाई की जा रही है। आज भी देहातों में मुझे यह अवसर देखने को प्राप्त होता है कि बहुत से संस्कृत के विद्यार्थी कुछ घरों में लगे हुए हैं जहां से वह सीधा लेते हैं और उसको खाते हैं, पास-पड़ोस के संस्कृत विद्यालय में जाकर पढ़ते हैं। कितने ऐसे संस्कृत के अध्यापक हैं जो कि सरकारी सहायता के अभाव में इसके पूर्व संस्कृत में विद्यादान करते थे, आज नहीं कर पा रहे हैं। इस विधेयक पर विचार करते समय मैं यह चाहता था कि सरकार की ओर से सारे प्रदेश में आज संस्कृत के कितने छात्र हैं जो संस्कृत पढ़ाई कर रहे हैं---चाहे वह किसी कालिज में हों, चाहे किसी यूनिवर्सिटी में हों, चाहे देहात में छोटी-छोटी शिक्षा संस्थाओं के मातहत हों या स्वतंत्र रूप से चाहे कुछ गुरुजनों के द्वारा संस्कृत की पढ़ाई की जाती हो। इस तरह से कितने छात्र आज संस्कृत की पढ़ाई कर रहे हैं? कितने अध्यापक आज लगे हुए हैं, इसकी कोई जानकारी आज सरकार की ओर से प्रस्तुत नहीं है। मैं समझता हूं कि मौखिक रूप से संस्कृत का विकास है, संस्कृत अच्छी भाषा है, देव भाषा राष्ट्रवाणी है, यह कह देने से ही, काल्पनिक जगत की उड़ान से ही संस्कृत का विकास होने वाला नहीं है। जब इस दृष्टिकोण को हम सामने रखते हैं तो हमें यह देखना पड़ता है कि क्या आज भी जिन शिक्षा संस्थाओं के द्वारा विद्यार्थियों को संस्कृत पढ़ाई जाती है उन अध्यापकों को अंग्रेजी पढ़ाने और पढ़ने वाले अध्यापकों से तनख्वाह का क्या रिश्ता है? उनको तनख्वाहें कम मिलती हैं या ज्यादा मिलती हैं। सरकार एक तरफ यह कहती चली जाय कि हम संस्कृत की पढ़ाई कराना चाहते हैं....

श्री अध्यक्ष---इसके सिद्धान्तों पर आ जाइये।

श्री राजनारायण---उसी पर आ रहा हूं। जिस सिद्धान्त का निरूपण उद्देश्य और कारण में किया गया है उसी के ऊपर मैं आना चाहता हूं और उसी के बारे में मैं आपके द्वारा सदन के सम्मानित सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक उद्देश्य और कारण का सम्बन्ध है उससे मौलिक रूप से किसी को विरोध नहीं है। उद्देश्य और कारण में यही लिखा हुआ है कि प्रदेश में एक संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की निरन्तर मांग रही है। और यह मांग क्यों रही है, कैसे रही है, मैं समझता हूं कि इस पर भी हमें आना चाहिये। जब हम यह देखते हैं तो जो बनारस में संस्कृत कालिज है, उसकी गति-विधि पर भी जो आज परिस्थिति होगी संस्कृत विश्वविद्यालय में, उस पर भी हमें थोड़े में प्रकाश डालना चाहिये। वहां के अध्यापकों के सम्बन्ध में मेरी जानकारी है, उस संस्कृत कालिज के पास जो एक बड़ा पुस्तकालय रहा है उसके सम्बन्ध में भी मेरी जानकारी है।

श्रीमन्, इस सम्मानित सदन के सम्मुख आपके द्वारा बनारस संस्कृत कालिज के प्रिंसिपल और वहां की कार्यवाही के सम्बन्ध में भी मैंने समय-समय पर निवेदन किया है। वहां की पुस्तकें आज किस रूप में हैं, वहां कितनी अच्छी अच्छी पुस्तकें थीं, उनकी कितनी संख्या थी, आज कितनी रह गयी है, इसके बारे में मैं समय-समय पर आपके द्वारा सरकार के सामने निवेदन कर चुका हूं। जब मैं इन तमाम बातों को देखता हूं और सरकार की यह उत्कट अभिलाषा है जहां तक सरकार की अभिलाषा विश्वविद्यालय खोलने की है, मेरा

[श्री राजनारायण]

उससे कोई विरोध नहीं है। मैं चाहता हूं कि अपने यहां संस्कृत की पढ़ाई हो। परन्तु जिस रूप में वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय को ले चलने की कोशिश हो रही है, मेरा यह ख्याल है कि बहुत सी हमारी पुरानी मान्यतायें टूट जायंगी, हमारी पुरानी संस्कृति पर भी आघात पड़ेगा और हमारी पुरानी सभ्यता भी चोट खायगी। हमारे सामने जब एक शास्त्री जी जो इस सम्मानित सदन के सदस्य हैं, उनको बैठे हुये देखता हूं और उनकी वेषभूषा देखता हूं और जब उनकी वाणी यहां पर प्रस्फुटित होती है और उसके सुनने का मुझे अवसर प्राप्त होता है तो मैं उसको समझने की कोशिश करता हूं तो मुझे मालूम होता है कि यदि सही माने में संस्कृत की पढ़ाई हो तो प्राचीन गौरव की रक्षा हो सकती है। आज यह सरकार इसमें असमर्थ है।

हमारे मित्र नारायणदत्त जी तिवारी ने इसके बहुत से दोष बतलाये हैं, उन्होंने इसकी त्रुटियों को सदन के सामने रखा है और यह सदन त्रुटियों से अवगत हो चुका है, इसलिये मैं पुनरावृत्ति करना नहीं चाहता हूं, उनको दुहराना नहीं चाहता हूं मगर जिन बातों की प्रसंगवश कहने की आवश्यकता होगी बिना उनके कहे हुये रहा भी नहीं जा सकता है। क्या यह बात सत्य नहीं है कि संस्कृत कालेज की स्थापना से हम प्राचीन शिक्षा पद्धति को भी चलाना चाहते हैं, क्या यह बात सत्य नहीं है कि हम संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना से हम प्राचीन गौरव की रक्षा करना चाहते हैं? अगर हमारे प्राचीन गौरव की रक्षा नहीं हो सकती है तो मैं सरकार से यह कहने का साहस भी रखता हूं कि इस विश्वविद्यालय से कोई लाभ होने वाला नहीं होगा।

आज पढ़ाई की पद्धति क्या होगी?

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)---आप भी कोई रूपरेखा बतलाते चलिये।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, हमारे माननीय मित्र बीच में ही प्रश्न कर बैठते हैं और उनको जवाब न देना मैं समझता हूं कि वह स्वतः अपने को अपमानित समझेंगे। इसलिये मैं आपकी आज्ञा से यह बतला देना चाहता हूं कि जब मैंने आचार्य नरेन्द्र देव जी का नाम लिया था और उनके जिस मत का मैंने संकेत किया था, उससे जानकारी हो जानी चाहिये थी कि बहुत सी ऐसी बातें हैं और ऐसे सुझाव हैं जिनके द्वारा संस्कृत की पढ़ाई हो सकती है, जिसके द्वारा प्राचीन संस्कृति की रक्षा हो सकती है, प्राचीन सभ्यता की रक्षा हो सकती है और प्राचीन गौरव की रक्षा हो सकती है। संस्कृत विश्वविद्यालय में जिस ढंग पर पढ़ाई होगी, जिस ढंग पर इसका नियंत्रण होगा, जिस ढंग पर इसका प्रबन्ध होगा, उससे इस सदन का क्या कोई माननीय सदस्य यह कह सकता है कि इसमें प्राचीनता की कोई झलक है? यह कहा जा सकता है कि आज प्राचीनता की दुहाई, आज सोशलिस्ट दे रहे हैं, यह तो प्रगतिशील हैं, यह तो छलांग मारने वाले हैं, रिवोल्यूशनरी विकास में विश्वास नहीं करते हैं, रिवोल्यूशनरी क्रान्ति में विश्वास करते हैं। ऐसे परिपक्व बुद्धि वाले कहें तो मैं उनसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि वह इस बात को समझ लें कि विकास और क्रान्ति दोनों का सिद्धान्त होता है, विकास अवरुद्ध होता है तब क्रान्ति होती है। बिना विकास के क्रान्ति असम्भव है। इसलिये जब प्राचीनता की बात कही जाती है तो मेरे कहने का यह कदापि अर्थ नहीं हो सकता कि मैं नवीनता का समर्थक नहीं हूं। प्राचीनता में नवीनता का समावेश कराना, प्राचीन अच्छी बातों को लेकर नवीन बातें परिपूर्ण कराना, यह हमारा सिद्धान्त होना चाहिये। इसलिये मैं कहता हूं कि शिक्षा की प्रणाली जो हमारे देश में प्राचीन-काल में थी वह आज की प्रणाली से अच्छी थी, सस्ती पढ़ाई थी, स्वतंत्र पढ़ाई थी, स्वतंत्र विचारों का आदान-प्रदान था। उसी के कारण बहुत से विदेशी आक्रमणों को झेलते-झेलते भी यह देश आज अपनी जगह पर खड़ा है। यदि हमारी प्राचीन शिक्षा पद्धति में यह तत्व न रहा होता तो भारत न मालूम कहां का कहां चला गया होता। आज जिस तरह से शिक्षा

की प्रणाली चल रही है अगर यही प्रणाली प्राचीनकाल में हमारे देश में रही होती तो हो सकता है कि बहुत से मुल्कों की तरह समय की शिला से हमारा चित्र भी मिट गया होता।

श्री अध्यक्ष---अपना भाषण अब आप बाद में जारी रखेंगे।

(इस समय १ बज कर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बज कर २१ मिनट पर उपाध्यक्ष श्री हरगोविन्द पन्त की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री राजनारायण---श्रीमन्, जब मैं बोल रहा था तो हमारे मित्र माननीय शिवनारायण जी ने एक प्रश्न किया था कि मुझे यह भी सुझाव देना चाहिये कि हम किस ढंग से संस्कृत की पढ़ाई करना चाहते हैं। मैंने निवेदन कर दिया था कि यदि मैं माननीय शिवनारायण जी के प्रश्न का जवाब न दूं तो वह यही समझेंगे कि मैं उनका अपमान कर रहा हूं। इसलिये मेरे लिये उनके प्रश्न का जवाब देना आवश्यक है। मैं चाहता हूं कि माननीय शिवनारायण जी और अन्य कोई माननीय सदस्य यदि अभी तक न समझ पाये हों तो वे ध्यान से इस बात को फिर से सुन लें। मेरा तर्क यह था कि यदि यह सरकार संस्कृत विद्या का उत्थान करना चाहती होती तो अब तक जो संस्कृत के विद्यार्थियों की, संस्कृत की पढ़ाई की, और संस्कृत पाठशालाओं की उपेक्षा हुई है उसकी तरफ सरकार का ध्यान जाना चाहिये था। सरकार के पास आज क्या सबूत है कि उसने संस्कृत पढ़ने वाले लोगों के लिये, और संस्कृत पाठशालाओं पर कितना पैसा खर्च किया है। यदि इन तमाम बातों को देखा जाय तो निष्कर्ष यही निकलेगा कि सरकार का प्रयत्न नहीं के बराबर रहा है। हमारे गांव के पास एक संस्कृत पाठशाला थी। एक बेचारे रामनारायण जी उपाध्याय वहां बहुत पहले दरोगा थे। मुझे मालूम नहीं है कि अब वे इस जगत में रह गये हैं या नहीं किन्तु उन्होंने बहुत चन्दा आदि लेकर वहां एक संस्कृत पाठशाला बनाने का प्रयत्न किया। कुछ संस्कृत विद्यार्थियों को पढ़ाई भी जाती थी मगर पैसे के अभाव में वह ध्वस्त हो गई। सारी बिल्डिंग, जो वहां पढ़ाने वाले संस्कृत के विद्वान् जानकार थे वे भी विद्यार्थियों को नहीं पढ़ा पाये। जहां तक मुझे इसकी जानकारी है करीब सत्रह सौ संस्कृत की शिक्षा संस्थायें अपने प्रदेश में फैली हुई हैं। हो सकता है कि यदि और आंकड़े जुटाये जायं तो इससे भी ज्यादा संख्या हो। क्या यह सरकार बता सकती है कि वह इन पाठशालाओं पर कितना व्यय करती है और उनको क्या अनुदान दिये जाते हैं।

श्री उपाध्यक्ष---माननीय सदस्य यदि विधेयक की ओर ध्यान दें तो उचित होगा। संस्कृत पाठशाला का इतिहास तो आपको नहीं कहना है।

श्री राजनारायण---संस्कृत का विकास कैसे हो मैं इसी पर बोल रहा हूं। आप जरा सुनने की कृपा कीजियेगा तो सारी बात समझ में आ जायगी। इसका उद्देश्य और कारण यही है कि इस देववाणी का विकास कैसे किया जाय। तो जब इस पर सामान्यवाद विवाद होगा तो मैं समझता हूं कि जैसा मैं माननीय अध्यक्ष महोदय के सामने बोल रहा था कि हम किस तरह से चाहते हैं कि देववाणी का विकास हो और भी उसको कैसे संगठित करें इस पर हम बोल सकते हैं। और वह हमारी धारा चल रही थी जो हम पहले चला चुके हैं। इसलिये मैं आपसे विनम्र निवेदन करूंगा कि ज्यादा उदारता और व्यापक दृष्टि-कोण से आज इस संबंध में हमें अपनी नीति सदन के सामने रखना चाहिये। और इसी के लिये मैं समझता हूं कि आप मुझे अनुमति देने की कृपा करेंगे। श्रीमन्, मैंने पहले ही निवेदन कर दिया था कि आज जो हमें प्राप्त आंकड़े हैं उनके मुताबिक संभवतः १०० शिक्षा संस्थायें ऐसी हैं कि जिनको सरकार मान्यता देती है और जिनमें संस्कृत की पढ़ाई होती है।

मैंने पहले ही निवेदन कर दिया था पूज्य आचार्य नरेन्द्रदेव जी का नाम लेते हुए संभवतः इस सदन में या सदन के बाहर भी कि कोई ऐसा व्यक्ति न होगा जो आचार्य नरेन्द्रदेव

[श्री राजनारायण]

जी को विद्यानुरागी न कहता हो। वह विद्यानुरागी थे, यूनिवर्सिटी के वाइस-चांसलर भी थे और यदि वाइस चांसलर न भी रहते तो उनकी विद्वत्ता में कोई उंगली उठाने वाला नहीं था। मैंने उनकी जानकारी के बारे में सदन को बताया था कि जब यह विवाद चल रहा था संस्कृत विश्वविद्यालय को काशी में स्थापित करने के लिये तब भी मैंने उनसे राय ली थी और उन्होंने उस समय मुझे स्पष्ट कहा था कि मैं नहीं समझता कि बनारस के अंदर संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना हो जाने से ही संस्कृत का विकास हो सकेगा। यह तो सरकार की शिक्षा की जो मूल नीति है उस पर मुनहसिर करेगा और उसी समय उन्होंने कहा था कि काशी विश्वविद्यालय में जो संस्कृत का विभाग है, जिसमें संस्कृत की पढ़ाई होती है, बड़े-बड़े आचार्य, बड़े-बड़े संस्कृत के विद्वान् वहां आते हैं, और पढ़ाते हैं, बड़े-बड़े और अच्छे-अच्छे विद्यार्थी, प्रतिभाशाली और मेधावी विद्यार्थी संस्कृत विद्या के वहां अध्ययन करते हैं, मगर सरकार उस विभाग को सहायता प्रदान नहीं करती। तो यदि सरकार की ओर से आज यह प्रयत्न किया जाय कि महज काशी में एक विश्वविद्यालय की स्थापना करके ही वह संस्कृत विद्या का विकास करने की सोचे तो मैं इसे सही नहीं समझता। जब मैं ऐसा नहीं समझता तो मैं यह भी भाव नहीं पैदा करना चाहता हूं कि इस सदन के सम्मानित सदस्य या सरकार यह समझे कि मैं इस विधेयक का विरोधी हूं।

मैं इस विधेयक का विरोधी नहीं हूं, इस विश्वविद्यालय का विरोधी नहीं हूं, मगर मैं यह जरूर चाहता हूं कि संस्कृत के संबंध में सरकार अपनी नीति को बदले। केवल मौखिक रूप से कुछ प्राचीन विद्याओं को खुश करने की नीति यदि सरकार की रहेगी और उस प्रसन्न करने की नीति से प्रभावित हो कर यह सरकार विश्वविद्यालय की स्थापना कर देगी तो समुचित उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो पायेगी। श्रीमन्, इसीलिये मैं जब इस विश्वविद्यालय विधेयक को देखता हूं तो निश्चित रूप में पाता हूं कि जो उद्देश्य और कारण यहां वर्णन किये गये हैं उनकी पूर्ति इस विधेयक के द्वारा नहीं होती। मैंने प्रारम्भ में ही कह दिया था कि सरकार एक रूप ले सकती है मेरे भाषण को सुन कर कि मैं नवीन विद्या का विरोधी हूं। नवीन विद्या को, नवीन विज्ञान को मैं समझता हूं विकसित करने के लिये और प्राप्त करने के लिये यहां पर यदि कोई अनुरागी हो तो मैं अपने को किसी से कम नहीं मानता। मैं चाहता हूं कि नवीन विद्यायें आयें। आज जितने ज्ञान, विज्ञान उपलब्ध हैं विश्व में, उसके किसी कोने में, वह सब हमारे प्रदेश के विद्यार्थियों के लिये हों, मगर उसके साथ ही साथ मैं यह भी चाहता हूं कि जो प्राचीन मान्यतायें रही हैं और जो समाज के उत्थान और विकास का रहा है, विषमता मिटाने वाला रहा है उनकी ओर भी हमारा ध्यान जाना चाहिये। जो शिक्षा की पद्धति सरल और सुगम रही है उसकी ओर भी हमारा ध्यान जाना चाहिये। यदि हम संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना कर दें और वहां नियम और कानून ऐसे बनायें कि वहां पर संस्कृत के विद्यार्थी और संस्कृत को पढ़ने वालों की तादाद हो या न हो और संस्कृत विद्या को प्राप्त करने में उनको दिक्कत और परेशानी हो तो मैं समझता हूं कि इस उद्देश्य के प्रति न्याय नहीं होगा।

इसीलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब सदन इस विधेयक पर विचार करे तो इस भाव में प्रभावित न हो कि हमारे प्रदेश में एक संस्कृत विश्वविद्यालय स्थापित हो रहा है और हम सब से आगे बढ़ कर बाजी मार रहे हैं। सही मायने में अगर आगे बढ़कर बाजी मारने की बात है तो मैं आज भी कहना चाहता हूं कि सरकार को अपने बजट का काफी हिस्सा संस्कृत विद्या के पढ़ने पर खर्च करना चाहिये। आज जो भी संस्कृत के विद्वान् अज्ञात हैं और संस्कृत शिक्षा की संस्थायें प्रदेश में कोने-कोने में फैली हुई हैं उनकी सरकार खोज करे और उनके लिये समुचित धन का सरकार प्रबन्ध करे। तब जाकर संस्कृत का विकास हो सकता है। उसी तरह से मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार संस्कृत के विकास

को उसी ढंग पर करे। सरकार को और जितनी प्राचीन भाषायें हैं, अरबी हैं उनकी ओर भी सरकार का ध्यान जाना चाहिये। हम जानते हैं कि जब हम लोग छोटे थे तो हमारे घर पर भी अरबी के अध्यापक अच्छी उर्दू के जानने वाले अध्यापक हमारे पूर्वजों को पढ़ाने के लिये रहते थे बहुत कम उमर में मैं देखता था कि वह जो हमारे बड़े भाई थे उनको बराबर पढ़ाने आया करते थे जो उर्दू पढ़ाते थे। उस समय क्यों उर्दू और अरबी की पढ़ाई होती थी उसका भी एक विशेष कारण है। तो प्रसंगवश मैं यह कहना चाहता हूं कि संस्कृत का विकास और अरबी का विकास जिससे उर्दू निकली है उन तमाम भाषाओं का विकास हो। सरकार यह काम करे तो उससे हमको खुशी होगी। मगर यदि सरकार धन अपव्यय करने का वातावरण पैदा करती है तो उस भावना से इस समुचित उद्देश्य की प्राप्ति नहीं होगी।

मैं इस विधेयक की धारा को लेकर आपके सामने यह साबित करना चाहता हूं कि आज यह कांग्रेस हुकूमत जिस संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना के द्वारा देववाणी को प्रतिष्ठित करना चाहती है वह इसमें असमर्थ होगी। श्रीमन्, केवल प्रसंग के लिये मैं निवेदन करूंगा कि इसी तरह से गोरखपुर यूनिवर्सिटी विधेयक आया था। तब भी सरकार की ओर से तर्क दिया गया था कि हम पूर्वी जिलों के लिये एक विश्वविद्यालय बनाना चाहते हैं और वहां विद्यार्थी जुलाई से पढ़ने लगेंगे। मगर आप जानते होंगे कि यह सदन भी परिचित हो सकता है कि जुलाई से गोरखपुर विश्वविद्यालय में विद्यार्थी विद्याध्ययन नहीं कर रहे हैं। उसकी तमाम कमी और खामी और उनके तमाम दोष आज सब को विदित हो चुके हैं। उसी तरह से मुझे यह डर है कि यदि यह विधेयक पास भी हो जाय तो महज विधेयक के पास हो जाने मात्र से ही विश्वविद्यालय की स्थापना हो जाय इसी लिये मैं जोर देना चाहता हूं कि चाहे उस विश्वविद्यालय की स्थापना हो या न हो मगर यह सरकार देववाणी जो कही जाती है संस्कृत उसके उत्थान और विकास में और प्रयत्नशील हो।

इसीलिये मैं जोर देकर बार-बार यह कहना चाहता हूं कि जितनी संस्कृत की पाठ-शालायें जो देहातों में फैली हुई हैं जो जानी गयी हैं या नहीं जानी गयी हैं उन तमाम पाठशालाओं को बड़ी मात्रा में सरकार को सहायता प्रदान करनी चाहिये। इसीलिये मैं कहता हूं कि आज हजारों की संख्या में संस्कृत के विद्वान् जो इधर उधर छिपके हुये पड़े हैं उनकी विद्या का भी लाभ समाज को होना चाहिये। उसका भी प्रबन्ध सरकार की ओर से होना चाहिये। मैं देखता हूं कि वह प्रबन्ध सरकार की ओर से नहीं हो रहा है और मुझे डर है कि कहीं सरकार यह तर्क उपस्थित करके कि अब तो वह एक संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना कर रही है इसलिये अब इसके जरिये ही सारा पैसा खर्च करेगी और सारी पढ़ाई करेगी, तो एक प्रकार से संस्कृत की पढ़ाई पीछे हो जावेगी। हो सकता है कि कुछ व्यक्ति विशेष बड़े बड़े पदों पर आश्रित होकर २ हजार रुपया महीना या इससे भी ज्यादा रकम पावें मगर उससे संस्कृत विद्या की पढ़ाई नहीं हो पावेगी। उससे लोगों को संस्कृत का ज्यादा ज्ञान नहीं हो पावेगा।

यह विधेयक प्रवर समिति से वापस हो कर आया है। समिति में माननीय सम्पूर्णानन्द जी भी रहे हैं, और शिक्षा मंत्री जी से संबंधित यह विधेयक है तो उनका रहना तो अनिवार्य ही था और वह भी रहे हैं। हम देखते हैं कि इसमें हमारे नरदेव शास्त्री जी भी रहे हैं। मैं समझ सकने में असमर्थ हो रहा हूं कि ऐसे विद्वान् लोगों के रहते हुये भी जैसा विधेयक आज इस सदन में प्रस्तुत होना चाहिये था वह हमारा इच्छित विधेयक नहीं आया है। श्रीमन्, मैं आपसे निवेदन करूंगा इस सरकार के द्वारा यह ज्ञान प्राप्त कराने की कृपा करें कि प्रति-कुलपति की व्यवस्था इस विधेयक में क्यों कर हुई। यह शब्द कहां से आया, किसके मस्तिष्क से आया, इससे कौन-सा ज्ञान वर्धन होगा? मैं सिद्धान्त के लिये ही कह रहा हूं। कुछ लोग इसका नाजायज फायदा, मेरी स्पष्टवादिता का, संकीर्ण दृष्टिकोण अपना कर सरकार बराबर लेती रही है। बनारस के नरेश को निजी ढंग से मैं जानता हूं और वह भी मुझे जानते हैं। मैं समझता हूं कि इस सदन के किसी सम्मानित सदस्य का जितना उनका संबंध होगा, मेरा उससे कुछ ज्यादा ही होगा तो कहीं यह न समझा जाय, उनके यहां यह जाकर न कहा जाय कि

[श्री राजनारायण]

आपका राजनारायण ने विरोध किया है। ऐसे किसी बड़े से बड़े व्यक्ति का विरोध करने के लिए मैं हर समय तैयार रहता हूं जो किसी पद पर नाजायज ढंग से आश्रित होना चाहता है। मैं नहीं जानता कि यह काशी नरेश की इच्छा रही है या नहीं मगर मैं जानना चाहता हूं सरकार के मुख्य मंत्री से और शिक्षा मंत्री से और प्रवर समिति के आदरणीय सदस्यों से कि काशीनरेश को क्यों यहां पर घसीटा गया। किस संस्कृत के वह विद्वान् हैं, किस प्रतिभा से वह सम्पन्न हैं? यह सही है कि अगर प्रभुनारायण जी रहे होते तो मैं जानता हूं कि वह संस्कृत के विद्वान् थे, उनको बड़े-बड़े श्लोक याद थे और जब बड़े-बड़े पंडित उनके सामने जाते थे तो वह एक-एक करके सारे श्लोकों को कह जाते थे। विद्या और राजनीति के क्षेत्र में उत्तराधिकार नहीं चलता है। महात्मा गांधी के पुत्र हीरालाल जी भी हुये। उनकी ख्याति अपनी जगह है और महात्मा गांधी की ख्याति उनकी जगह है। इसीलिये यह भी तर्क नहीं चल सकता कि वह काशी नरेश हैं इसलिये संस्कृत के विद्वान् ही होंगे। अभी दो तीन बरस हुए किसी तरह से उन्होंने बी० ए० की डिग्री प्राप्त की। मैं समझता हूं कि उन्हें समाज शास्त्र का भी कम ज्ञान होगा। उनको यहां बैठा दिया गया और नियमों के पालन में उनको गोद ले लिया गया। आजमगढ़ जिले के अन्दर सूरजपुर गांव में पैदा होने वाला व्यक्ति काशी नरेश के पद पर आसीन है। मैं उनकी इज्जत करता हूं, वे नवयुवक हैं, अवस्था उनकी कम है। मगर उनकी इज्जत करने का मतलब यह नहीं कि उनको लाकर बिठा दिया जाय इतने बड़े स्थान पर और उपकुलपति के न रहने पर, कुलपति के न रहने पर वह अध्यक्ष के पद का आसन ग्रहण करें और तमाम कार्य उनकी अध्यक्षता में सम्पन्न हो। इस सदन में काशी का नाम लेकर बहुत खेला नहीं जा सकता। काशी के नाम के साथ जो प्रतिभा और ज्ञान जुड़ा हुआ है, सभ्यता और संस्कृति जुड़ी हुयी है तो मैं सम्मानित सदन के माननीय सदस्यों से यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि वे उन पुरानी आंखों से यदि उसको आंकेंगे और देखेंगे तो वे गलती करेंगे। इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि सरकार की ओर से क्या तर्क है कि काशी नरेश को प्रतिकुलपति बनाया जाय? क्यों बनाया जाय? एक व्यक्ति विशेष को इतने बड़े संस्कृत के क्षेत्र में घसीट कर लाने का कौन-सा न्याय है, किस तरह से उसके द्वारा देववाणी और देवभाषा को सरकार प्रतिष्ठित करने जा रही है?

आपने देखा होगा कि प्राचीनकाल में जो गुरू या शिक्षक रहते थे उनके सामने बड़े-बड़े राजा भी नतमस्तक हो जाते थे। विद्वता और ज्ञान के सामने राजशक्ति नतमस्तक होती थी लेकिन आज मैं देख रहा हूं कि राजशक्ति के सामने ज्ञान की शक्ति को नतमस्तक कराया जा रहा है। महज काशी नरेश हो जाने से, ज्यादा पैसा हो जाने से यह सरकार शायद यह इच्छा रखती है कि काशी नरेश से बहुत-सा धन प्राप्त हो जायगा या उनको प्रतिकुलपति के पद पर रख कर किसी और सरकारी इच्छा की प्राप्ति यह सरकार कराना चाहती होगी। जब तक सरकार की वह इच्छा और वह भावना हमारे सामने व्यक्त न हो तब तक उनके बारे में मैं ज्यादा नहीं कह सकता। मैं आपके द्वारा इतना ही पूछना चाहता हूं और इस आदरणीय सदन के सम्मानित सदस्यों से यह जानने का हक रखता हूं और इस सदन के सम्मानित सदस्य यह बतायें कि वह काशी नरेश जिनकी शिक्षा जगत में कोई ख्याति नहीं है, शिक्षा जगत में कोई प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं है, शिक्षा जगत की कोई जानकारी प्राप्त नहीं है उनको संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति के पद पर आसीन करना कहां तक न्यायसंगत है। उससे सरकार देवभाषा का विकास नहीं कर सकती, उत्थान नहीं कर सकती, उसका परिवर्द्धन नहीं कर सकती। यह सरकार का ढोंग है। इस सरकार के जमाने में जो संस्कृत की उपेक्षा हुई है उस उपेक्षा पर परदा डालने के लिये यह विधेयक उपस्थित किया गया है। इस लिये जब माननीय सदस्य इस विधेयक पर अपना मत व्यक्त करें तो इन सब बातों को हृदयंगम करके करें। इस संस्कृत के लिये इस सरकार ने क्या किया? संस्कृत के अध्यापकों को बराबर अंग्रेजी जानने वाले अध्यापकों से हेय माना गया है। क्या यह बात सत्य

नहीं है ? श्रीमन्, आप मुझसे ज्यादा जानते होंगे क्योंकि आज तो इस जगत का सारे मूल्यों का अंकन होता है पैसे में । चाहे कोई कितना ही प्रतिष्ठित हो, चाहे कोई कितना ही धन प्राप्त करने वाला हो, चाहे किसी दूसरे कि कमाई पर आज यह समाज चल रहा हो, मगर आप जानते हैं कि उनको असभ्य कहा जाता है, उनको देहाती कहा जाता है ।

आज सारी सभ्यता को विकसित करने वाले, धन को पैदा करने वाले खेतिहर मजदूर और किसान मजदूर हैं, जिनको असभ्य कह कर इस सभ्यता के जगत में चलने वाले हम लोग आज अपने को भाग्यशाली कहते हैं । वही पुरानी दकियानूसी, साम्राज्यशाही, तानाशाही मनोवृत्ति आज इस सरकार की संस्कृत विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में हमको झलकती है । अगर सरकार की वह मनोवृत्ति नहीं होती तो किसी माने में भी काशी नरेश को प्रतिकुलपति के पद पर यह सरकार आसीन करने के लिये प्रयत्नशील नहीं होती । इसलिये श्रीमन्, आप आगे देखेंगे कि जब इसके खंड-खंड पर वादविवाद आरम्भ होगा तभी मैं निवेदन करूंगा और निवेदन ही नहीं करूंगा बल्कि सादर, साग्रह निवेदन करूंगा कि काशी नरेश को प्रतिकुलपति के पद पर नहीं रखा जाय । मैं तो यह भी चाहता हूं कि प्रतिकुलपति का पद ही हटा दिया जाय । प्रतिकुलपति को रख कर किसी अच्छे उद्देश्य की प्राप्ति होने वाली नहीं है ।

श्रीमन्, मुझे खुशी है कि हमारी इस प्रवर समिति में दो सम्मानित सदस्य जो हमारे पूर्व के साथी रह चुके हैं और संभवतः जब यह समिति बनी तो हमारी इच्छा हुई कि वे लोग जरूर उस समिति में रहें । वे हैं श्री रामसुन्दर पांडेय और श्री गंगाधर मंठाणी । उन्होंने अपनी असहमति टिप्पणी भी लिखी है । मैं ऐसा समझता हूं कि जो समिति थी उसने उसकी उपेक्षा करके अच्छा काम नहीं किया है । मैं समझता हूं कि जो असहमति टिप्पणी लिखी गयी है कम से कम उन असहमति टिप्पणी लिखने वालों में दो की जगह तीन तो जरूर ही होने चाहिये थे। इसमें अगर श्री नरदेव शास्त्री जी का भी नाम मैं देखता तो मुझे अधिक प्रसन्नता होती । हां, उसमें श्री दीनदयालु शास्त्री भी थे । शास्त्री शब्द से ही मुझे कुछ मोह हो जाता है, कुछ प्रेम हो जाता है, कुछ श्रद्धा बढ़ जाती है । मैं चाहता हूं कि जिनके नाम के सामने शास्त्री शब्द का प्रयोग हो, वे मूक न रहा करें, अपने भावों को प्रकट किया करें । क्या कारण है कि उपकुलपति का स्थान पाने वाले व्यक्ति की तनख्वाह दो हजार रुपये मासिक रखी गयी है ? दो हजार ही नहीं बल्कि यदि उसकी भाषा को देखा जाय तो दो हजार से भी अधिक की ही गुंजाइश है । क्यों, क्या कारण है ? देवभाषा को प्रतिष्ठित कराने के लिये दो हजार से ज्यादा ही उपकुलपति को तनख्वाह पाने की क्या आवश्यकता है ? यह मैं साफ कहना चाहता हूं कि कहीं इसका यह अर्थ न लगाया जाय कि जब अन्य विश्वविद्यालयों के कुलपति और उपकुलपति दो हजार और ढाई हजार रुपया तनख्वाह पाते हैं तो राजनारायण संस्कृत विश्वविद्यालय के लिये यह आपत्ति क्यों करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं, यह खेल खेला जा सकता है । मैं समझता हूं कि सरकार की ओर से यह तर्क उठाया जा सकता है कि एक तरफ तो हमारा कहना यह होता है कि संस्कृत विद्वानों की तनख्वाह में भी वृद्धि हो और अंग्रेजी जानने वालों के समकक्ष हो । दूसरी तरफ मैं यह कहता हूं कि २ हजार या उसके भी ज्यादा उपकुलपति को वेतन क्यों किया जाय, मैं जब यह कहता हूं तो इसके साथ ही साथ मैं यह भी कहता हूं कि जहां जहां भी विश्वविद्यालयों के उपकुलपति को २,००० या २,५०० का वेतन दिया गया है वहां वहां ही हमने बराबर उसका विरोध किया है और आगे भी हम इस प्रकार का बराबर विरोध करेंगे, इन गरीब और दरिद्र देश में जिसके देहात की आय १९२ रुपया साल प्रति व्यक्ति है वहां पर देवभाषा की प्रतिष्ठा कराने के लिये जो उपकुलपति रखा जाय उसे २ या ढाई हजार का वेतन दिया जाय यह कहां तक उचित है । क्षमा करें, हमें संस्कृत के वह विद्वान, जो इससे प्रसन्न होने के लिये लालायित होते हैं, वह संस्कृत के जानकार इस बात को भूल जायं कि यदि एक उपकुलपति का दो या ढाई हजार रुपये का वेतन होगा

[श्री राजनारायण]

तो इसके माने यह नहीं हैं कि यह सरकार संस्कृत वालों के प्रति आदर का भाव रखने लगी है। पता नहीं सरकार की दृष्टि में उपकुलपति कौन हो, प्रतिकुलपति तो काशी नरेश होंगे मगर उपकुलपति के लिये कौन दृष्टि में है यह अभी तक व्यक्त नहीं है और उसी व्यक्ति को देखकर दो ढाई हजार की बात की जा रही है।

श्री शिवनारायण---किसी बनारस वाले को ही बनाया जायगा।

श्री राजनारायण---मैं यह साफ कहना चाहता हूं कि चाहे वह बनारस का हो या बस्ती का हो कोई भी बनाया जाय इससे हमें कोई मतलब नहीं मगर यदि वह गलत ढंग पर बनाया जाता है और ज्यादा पैसा लेता है तो हमारे लिये बनारस और बस्ती में कोई भेद नहीं है, हमारे सामने आदर्श, लक्ष्य और उद्देश्य है और इसीलिये कहा गया है कि सर्वाहारी के लिये मुल्क की सीमा नहीं है प्रालीटेरिएट के लिये कोई देश की सीमा नहीं है। श्री शिवनारायण जी क्षमा करें यदि कोई प्रतिभा सम्पन्न व्यक्ति बस्ती का होगा और बनारस का उससे कम प्रतिभा सम्पन्न होगा तो वह हमेशा के लिये हमारी तरफ से गारन्टी कर लें तो मैं बनारस वाले को कम और बस्ती वाले को अधिक स्थान दूंगा। इसमें बनारस या बस्ती की कोई बात नहीं है, वह कहीं का हो, अल्मोड़े का हो, गढ़वाल का हो, कहीं का भी हो, लेकिन वह प्रतिभा सम्पन्न व्यक्ति होना चाहिये और उसी को उस स्थान पर आना चाहिये। अब यहां यह प्रश्न उठता है और उसका उठाना भी उचित है कि एक ओर तो हम उद्देश्य और कारणों में यह कह रहे हैं कि "हमारे राष्ट्र की संस्कृति की संरक्षिका तथा इस देश की राजभाषा हिन्दी की जननी, दोनों ही रूपों में संस्कृत का महत्व सर्वविदित है।" अब यदि यह कहा जाय कि यह जो संस्कृत विश्वविद्यालय खोला जा रहा है, राष्ट्र की संस्कृति की सुरक्षा के लिये क्या हमारे राष्ट्र की संस्कृति है ? क्या राष्ट्र की संस्कृति श्री नरदेव शास्त्री के देखने से प्रकट होगी या माननीय हरगोविन्द सिंह को देखने से प्रकट होगी, उनमें से एक तो हमारे शिक्षा मंत्री हैं और दूसरे इस सदन के सम्मानित सदस्य हैं और वे इस प्रवर समिति के सम्मानित सदस्य भी रह चुके हैं तो कहां से इसमें राष्ट्र को संस्कृति की प्रतिष्ठा के लिये और संरक्षा के लिये इस संस्कृत विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा हो रही है। इसका भी उत्तर सरकार की ओर से होना चाहिये। क्योंकि प्राचीन संस्कृत के नाम पर आपको भी याद होगा श्रीमन्, कि उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व, मुख्य मंत्री को बाबा बोलन्द बद्रीनाथ की उपाधि दी गई थी जबकि बद्रीनाथ टेहरी और गढ़वाल की रियासत में मिलाया गया था। मैं जानना चाहता हूं कि यहां पर बड़े-बड़े सम्मानित विद्वान बैठे हुये हैं, किस संस्कृति के आधार पर बुलायी गयी थी और किस प्राचीन सभ्यता के आधार पर दिलाई गयी थी। एक प्रदेश का मुख्य मंत्री, एक प्रदेश का शासक जनतंत्र व्यवस्था में चुन कर आया हुआ जब टेहरी और गढ़वाल की रियासत टूटी तो एक बड़ी सभा में बाबा बोलन्द बद्रीनाथ की उपाधि प्राप्त हो तो क्या यही संस्कृति की रक्षा होगी। मैं जानना चाहता हूं श्रीमन्, काशी के अन्दर जबकि ब्राह्मणों के राष्ट्रपति से चरण धुलाये गये क्या इसी संस्कृति की रक्षा के लिये विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है।

मैं जानना चाहता हूं श्रीमन्, कि काशी के अन्दर जो हरिजन विश्वनाथ मंदिर प्रवेश का आन्दोलन चल रहा है क्या उस संस्कृति की स्थापना के लिये विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है।

श्री उपाध्यक्ष---इसका विधेयक से कोई संबंध नहीं। आप विषय पर आने की चेष्टा करें।

श्री राजनारायण---मैं आपकी आज्ञा को शिरोधार्य करते हुये यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे राज्य की क्या संस्कृति है। इस सदन के कोई सम्मानित सदस्य हमें

बतलायें उनके नुक्तेनजर से, उनके प्वाइन्ट आफ व्यु से राष्ट्र की संस्कृति क्या मानी जायगी। क्या यह वर्ग विद्वेष और वर्ण विद्वेष को प्रतिष्ठित करने वाली संस्कृति जो है वह राष्ट्र की संस्कृति मानी जायगी। राष्ट्र की संस्कृति वह मानी जायगी जो वर्णों में समता का भाव, आर्थिक समानता का भाव लावे। जब हम इस विधेयक को देखते हैं और जो राष्ट्र की संस्कृति का शब्द यहां आया है तो इस अवसर पर भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि दुनिया में बराबर एक चक्र चल रहा है, क्योंकि कास्ट जो है वह क्लास में परिणत होता जाता है और क्लास कास्ट में परिणित होती जाती है। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि यहां पर जो तनख्वाहों की विषमता रक्खी गई है, जो यहां पर ढाई हजार और दो हजार रुपया महीना उपकुलपति के लिये रखने की व्यवस्था की गई है यह एक तरह से आर्थिक विषमता का द्योतक है और जो सरकार आर्थिक विषमता की द्योतक हो और आर्थिक विषमता के सिद्धांत को लेकर चलने वाली हो वह सामाजिक व्यवस्था को कभी भी नहीं मिटा सकती? जब सामाजिक विषमता को मिटाने का संघर्ष चलता हो, आर्थिक व्यवस्था को मिटाने का संघर्ष चलता हो तो उसमें से एक को भी ढीला करने के मानी हैं कि दूसरे को कायम करना। श्रीमन्, आप देख रहे हैं कि आज बड़ा अनर्थ हो रहा है। मैं विनम्रता से निवेदन करना चाहता हूं, आदर के साथ आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि अब शब्दों के साथ खेल नहीं होना चाहिये। भावों के साथ खेल नहीं होना चाहिये। भावनाओं को उकसा कर खेल नहीं होना चाहिये। देखा जा रहा है कि संस्कृति, संस्कृति, संस्कृति का नाम लेते लेते तमाम उन प्राचीन सभ्य मान्यताओं को ठुकरा कर तमाम बर्बरता के योग्य काम कराये जा रहे हैं और बर्बरता के योग्य काम कराने के लिये हम से कहा जा रहा है कि एक आदमी को ढाई हजार रुपया माहवार तनख्वाह दो। वहां के प्रोफेसर की, अध्यापक की तनख्वाह क्या हो, चपरासी की तनख्वाह क्या हो, वहां के विद्यार्थियों की फीस क्या हो इसकी कोई व्यवस्था नहीं है।

श्री रामसुभग वर्मा (जिला देवरिया)—कोरम नहीं है।

(घंटी बजाई गई और कोरम पूरा होने पर कार्य पुनः आरम्भ हुआ।)

140 श्री राजनारायण—तो मैं यह निवेदन कर रहा था इस आदरणीय सदन से श्रीमन्, आपके द्वारा कि यह सरकार को बताना चाहिये कि जब हमारे प्रदेश में इस भारत भूखंड पर देव-भाषा प्रतिष्ठित थी तो उस समय किस तरह का समाज था। क्या हम उन बातों को भूल कर यदि आज चलेंगे और उसका तनिक भी ख्याल नहीं करेंगे तो महज संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना मात्र से हमारे राष्ट्र की संस्कृति की सुरक्षा होगी, क्योंकि श्रीमन्, मैंने पहले ही उद्देश्य और कारण का अच्छी तरह से अवलोकन किया था। उद्देश्य और कारण का अवलोकन करके मैं यह समझ रहा था कि आज हमारे राष्ट्र की संस्कृति वह नहीं है जो प्राचीन काल में थी।

एक बात और कहना चाहता हूं, जब यह संस्कृत विश्वविद्यालय का विधेयक हमारे सामने आने वाला था तो मुझसे कुछ संस्कृत के विद्वान मिले थे। उन संस्कृत के विद्वानों का कहना था कि आज भी ऐसी पुस्तकों को विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता है जिनमें वर्ण व्यवस्था को जन्मना मानने की बात है और जन्म वर्ण व्यवस्था को जन्मना मान कर समाज को चार भागों में प्रतिष्ठित करने की बात है और उन्होंने हमसे कहा कि जब इस विधेयक पर चर्चा हो तो यह भी बात आनी चाहिये कि जब संस्कृत की पढ़ाई होगी तो इस संस्कृति की हमें रक्षा करनी चाहिये। उस संस्कृत में कौन सी संस्कृति हमारे सामने आयेगी। मैं आज इस सदन के द्वारा कहना चाहता हूं कि इस विश्वविद्यालय में ऐसी पुस्तकों को पढ़ाया जाना वर्जित किया जाना चाहिये, जिनके द्वारा आज समाज में विद्वेष फैलता हो, जिनके द्वारा आज यह माने जाने की भावना हो कि अगर कोई वेदमंत्र पढ़ेगा तो वह निकृष्ट हो जायगा या समाज के किसी व्यक्ति को वेदमंत्र पढ़ने और सुनने की इजाजत न हो। हमारे शिक्षा मंत्री लोग ध्यान देंगे, मैं उनसे भी निवेदन करना चाहता हूं कि इसकी कोई गारंटी और सुरक्षा होनी चाहिये।

[श्री राजनारायण]

पाठ्य पुस्तकें क्या होंगी ? संस्कृत की बात है, देववाणी की बात है। अगर देववाणी की बात है, अगर उसका यही अर्थ होता है कि हम ऐसी परम्परा को, ऐसी सभ्यता को लाकर पुनः प्रतिष्ठित कर दें, जिससे समाज विद्वेष की ज्वाला में भस्म हो जाय तो मैं चाहूंगा कि इस तरह की बात नहीं होनी चाहिये। इसीलिये मैं इस पर बार-बार जोर दे रहा हूं। मैंने इसमें देखा कि पाठ्यक्रम क्या होगा, क्या पढ़ाया जायगा। "विश्वविद्यालय की उपाधियों, उपाख्याओं तथा प्रमाण-पत्रों के लिये शिक्षण-पाठ्यक्रम अध्यादेशों और विनियमों द्वारा नियत किये जायेंगे।" मैं जानना चाहता हूं कि क्या पाठ्यक्रम होंगे, कौन-सा कोर्स पढ़ाया जायगा और उसके द्वारा किस ज्ञान की वृद्धि करायी जायगी।

हमें, श्रीमन्, आज इसका बड़ा भय और खतरा है, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि जहां तक मौखिक शब्द है यह सरकार भी, जहां तक वैधानिक शब्द है, कानूनी पहलू है वहां तक सरकार भी इस बात को मानती है कि हां आज किसी को अछूत मान कर किसी भी सार्वजनिक स्थान में जाने से रोका नहीं जा सकता है। मगर मैं यह देखता हूं कि हमारे प्रदेश के मुख्य मंत्री जब यह कहते हैं कि हमारे चार स्वरूप हैं, बनारस के नागरिक, जिस बनारस में यह संस्कृत विश्वविद्यालय प्रतिष्ठित हो रहा है, भारतीय नागरिक, उत्तर प्रदेश के एक अधिकारी और सनातन धर्मावलम्बी हिन्दू के नाते जो कार्य हम पर आयेंगे उन कार्यों को निबाहते हुये हरिजन प्रवेश आन्दोलन की तरफ चलूंगा तब हमारे सामने खतरा आता है। क्या बनारस की नागरिकता और भारतीय नागरिकता में दोनों में परस्पर विरोध है ? सनातन धर्मावलम्बी हिन्दू के क्या कर्त्तव्य हैं ? इसकी भी व्याख्या होनी चाहिये। क्या यह संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना उसी सनातन धर्मावलम्बी हिन्दुत्व, जो माननीय सम्पूर्णानन्द जी का है उसी को प्रतिष्ठित कराने के लिये की जा रही है ? और अगर उसी को प्रतिष्ठित कराने के लिये की जा रही है तो उसका विरोध प्रत्येक सम्मानित सदस्य को करना ही चाहिये। इसलिये मैं जरा आगाह करने के लिये सदन को बताना चाहता हूं। आज यह भी बातें हमारे देश में, हमारे प्रदेश में हो रही हैं। तो क्यों नहीं जब इतने दिनों से, तीन वर्षों से राष्ट्र की संस्कृति की संरक्षिका तथा इस देश की राष्ट्र भाषा हिन्दी के जननी दोनों ही रूपों में संस्कृत का महत्व सर्वविदित है, यहां के सम्मानित सदस्यों को मालूम था यहां की सरकार इस बात को जानती थी और तीन वर्षों से इस बात की मांग हो रही थी कि संस्कृत विश्वविद्यालय स्थापित किया जाय। तो सरकार ने क्यों नहीं इन बातों को समाज के सामने रखा कि क्या पाठ्यक्रम होगा, किस संस्कृत की पढ़ायी होगी, किन पुस्तकों की पढ़ाई होगी, किस विद्या का ज्ञान अर्जित किया जायगा, किसको एकत्रित और संकलित किया जायगा। कोई भी सुनवाई नहीं, कहीं भी इसकी चर्चा नहीं।

इस विधेयक में बराबर अध्यादेश, विनियमों और नियमों द्वारा तय करने की बात कही गयी है। कौन तय करेगा यही सरकार तय करेगी न ? इसलिये मैं चाहता हूं कि ज्यादा छूट, सारी ताकत, सारी शक्ति, सारी सत्ता इस सरकार के हाथ में सन्निहित न हो, जो सरकार एक उपकुलपति के लिये ढाई हजार रुपया रखती है, जो दो हजार से भी ज्यादा है और अध्यापकों और प्रोफेसरों की तनख्वाह की कहीं कोई चरचा नहीं। ऐसी सरकार के हाथ में यह बातें नहीं छोड़ी जानी चाहिये। इस सदन के सम्मानित सदस्यों को अच्छी तरीके से विचार-विनिमय कर अच्छी तरीके से इन बातों की कल्पना कर, आज यहां बैठ करके विचार करके बताना चाहिये कि हम इन विद्याओं का अध्ययन कराना चाहते हैं। इन-२ विद्याओं को प्रतिष्ठित कराना चाहते हैं और ऐसी पढ़ाई जो समाज में विद्वेष और वर्ण-विद्वेष की अग्नि प्रज्वलित करने वाली हो उसको नहीं चाहते। वर्ना खतरा होगा। स्वामी करपात्री जी हो सकते हैं इसके उप-कुलपति तो इस खतरे की ओर मैं केवल आगाह करना चाहता हूं प्रसंगवश आगे मैं चल रहा हूं।

श्रीमन्, अब देखा जाय कि जो नियम था लखनऊ यूनिवर्सिटी जिसके भूतपूर्व उपकुलपति यहां विद्यमान हैं, इलाहाबाद, आगरा, इन यूनिवर्सिटियों में, तीन विश्वविद्यालयों में जो व्यवस्था की गयी थी उस व्यवस्था से भिन्न उस यूनिवर्सिटी में जहां देववाणी विकसित करने की बात की जा रही है कौन सा नियम है ? कौन सा आधार है, इस विधेयक का कौन सा हिस्सा आज अंग्रेजी की पढ़ाई या अंग्रेज साम्राज्यशाही हुकूमत ने जो यूनीवर्सिटी की स्थापना की थी उस जमाने का जो कायदा कानून बना उस कायदे कानून में इस वर्तमान कांग्रेस हुकूमत ने जो संशोधन किये उनसे भिन्न इस देववाणी को प्रतिष्ठित करने वाली यूनिवर्सिटी में कौन सी धारा है, कौन सी बात है। कैसे आज इस सदन को पता चल पायेगा कि यह सच्ची संस्कृति की प्रतिष्ठा करने की संस्कृत की पढ़ाई करेगी। बताया जाय। इस सदन को समझाया जाय। सदन के सम्मानित सदस्यों को इसकी जानकारी करायी जाय। वहीं गवर्नर, वहीं राज्य पाल कुलपति होंगे जो लखनऊ, आगरा और इलाहाबाद के हैं। वहीं इस देववाणी, देव भाषा पढ़ायी जाने वाली यूनिवर्सिटी के भी कुलपति होंगे। एक ऐसा नर प्राप्त हो गया है जो कि शिक्षा से संबंधित जितनी शिक्षा संस्थायें हों सब पर आरूढ़ होने की ताकत रखते हैं। अंग्रेजी का ज्ञान, वह भी ठीक। हिन्दी का ज्ञान वह भी ठीक। संस्कृत का ज्ञान वह भी ठीक। कोई मर्ज नहीं जिसका इलाज उस नर के पास न हो। माना जा रहा है आज के राज्यपाल ही सही माने में नरदेव हैं। क्या मामला है ? कहां हम जा रहे हैं। बौद्धिक परतंत्रता की बेड़ी में हम अब भी जकड़े हुये हैं। अब भी हमें कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिल पा रहा है जिसको संस्कृत विश्वविद्यालय का कुलपति बना पायें। वहीं राज्यपाल। किसी एक राज्य पाल से मेरा मतलब नहीं। मेरा मतलब है उस प्रणाली से यह शिक्षा प्रणाली दूषित है यह शिक्षा प्रणाली अपूर्ण है, यह शिक्षा प्रणाली गुलाम पैदा करने वाली बनायी गई थी और मैं देखता हूं कि आज भी हम उसी बौद्धिक परतंत्रता की बेड़ी में जकड़े हुये हैं। आज भी हमारे मुल्क में गुलाम बनाने की, पहले अंग्रेजों के गुलाम थे। आज कांग्रेस गुलाम होने की व्यवस्था की जा रही है....

एक सदस्य—क्या यार ?

श्री राजनारायण—क्या यार कहने से कोई मामला हल होने वाला नहीं है। शांति के साथ सुनिये और शांति के साथ जवाब दें। यह न समझें कि व्यक्तिगत ढंग से आपका आदर नहीं करता हूं। मगर इस समय जो भाव आपने व्यक्त किया उसका मैं विरोधी हूं। श्रीमन्, कह सकते हैं वही बात रोज २ तो उसी तरह का विधेयक आ रहा है रोज २, नये नये विधेयकों को ला करके हर शिक्षा संस्था पर राज्यपाल को लादने की परिपाटी चलाई जा रही है तो रोज-रोज हम क्या कहेंगे। जब सरकार की ओर से कोई बदलाव हो, सरकार की ओर से कोई परिवर्तन हो, सरकार की ओर से यदि इतना भी कह दिया जाता कि मुख्य मंत्री संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति होंगे तब भी मैं दूसरा तर्क देता, मगर अभी तक तो राज्यपाल ही पर अड़े हुये हैं। तो राज्यपाल ही के संबध में तर्क दे रहा हूं। क्यों राज्यपाल बनाये जायं इस संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति ? कोई जवाब है ? क्या ज्ञान है संस्कृत का राज्यपाल को। कौन सा राज्यपाल इस प्रदेश में कब आ जायगा ? तमाम अंग्रेजी प्रणाली में पलने वाले देश के प्रदेश के राज्यपाल, वह संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति बनाये जायं, आखिर इसकी कहीं पराकाष्ठा होगी, देववाणी, देवभाषा इस तरह से प्रतिष्ठित की जायगी।

श्रीमन्, मैं आगे आपसे निवेदन कर रहा हूं। निरीक्षण। निरीक्षण को देखा जाय। जिस तरह से लखनऊ विश्वविद्यालय, जिस तरह से इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जिस तरह से आगरा विश्वविद्यालय में निरीक्षण का सारा अधिकार सरकारी हाथ में सुरक्षित है उसी तरह से निरीक्षण का यहां भी अधिकार है। राज्य सरकार शिष्ट परिषद् को ऐसे निरीक्षण अथवा जांच के परिणामों के विषय में अपने विचार ज्ञापित करेगी और प्रतिवेदन पर शिष्ट परिषद् तथा कार्यकारिणी परिषद् का मत जान लेने के पश्चात् विश्वविद्यालय को ऐसी कार्यवाही के संबंध में परामर्श देगी जो की जानी चाहिये। अंतिम अधिकार सरकार

[श्री राजनारायण]

के हाथ में सुरक्षित है। सरकार विश्वविद्यालय को जिस ढंग से चाहेगी निरीक्षण करके जो काम करना चाहेगी वही काम करायेगी। कहीं भी कोई हमारे देश में देवभाषा, देववाणी के प्रतिष्ठित करने के लिये इस तरह का सरकारी पंजा नहीं गड़ा था। इस तरह से सरकारी हाथों में सारी शक्ति सुरक्षित नहीं थी। तो एक विभिन्न परिस्थिति को पैदा कर एक दूसरे उद्देश्य की प्राप्ति की इच्छा रखने वाली हुकूमत, यदि यह कहा जाय कि केवल धुप्पल मारने के लिये यह काम कर रही है तो क्या हर्ज है ?

श्रीमन्, आगे देखा जाय। खैर, प्रतिकुलपति के बारे में तो मैं पहले ही कह चुका हूं कुछ नये सदस्य आये हैं, वह हमारे भाव को फिर सुन लें एक वाक्य में। प्रतिकुलपति रखे जाने के हम विरोधी हैं और यदि रखा भी जाय तो उस प्रति कुलपति के पद पर काशी नरेश के रखे जाने का हम विरोध करते हैं। काशी नरेश के प्रति सम्मान और आदर का सब भाव रखते हुए हम इसका विरोध करते हैं। और मैं उनको भी पत्र लिखूंगा, निजी पत्र लिखूंगा कि वह भी अपनी प्रतिष्ठा को सुरक्षित रखने के लिये इस पद को ग्रहण करने से इंकार करें। संस्कृत के ज्ञाता नहीं, शिक्षा के जगत में कोई ख्याति नहीं, उन्हें इस पद को नहीं लेना चाहिये। जैसा कि अभी यहां रूस से मार्शल बुलगानिन और निकिता ख्रुश्चेव आये हुये थे। यहां की बहुत सी यूनिवर्सिटियों से उनको पदवी देने का इन्तजाम था। लेकिन उन्होंने साफ कह दिया कि हम उसके अधिकारी नहीं हैं। हमारे यहां रूस में पढ़कर डिग्री ली जाती है, इस तरह की आनरेरी डिग्री लेने की हमारे यहां प्रथा नहीं है। तो मैं काशी नरेश से भी यही चाहूंगा और मैं उनसे अपील करूंगा कि यह हुकूमत जिस पद पर उनको प्रतिष्ठित करने की व्यवस्था कर रही है वे स्वतः उसे ठुकरायें और इस बात को प्रतिष्ठित करें कि यदि उसके अन्दर योग्यता न होते हुए किसी बड़े पद पर उन्हें बैठाने की सरकार कोशिश करती है तो मैं उस पद को लेने से इन्कार करता हूं। यह उनके लिए भी अपील है और इस सरकार के लिए भी अपील है कि बाबा काहे को उनको बैठा रहे हो। वह बेचारे सीधे-सादे, संस्कृत के ज्ञाता नहीं, कोई शिक्षा जगत के विद्वान नहीं, बेचारे कम उम्र के नवयुवक सीधे-सादे भोले-भाले, उनको खुश करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए और मैं जहां तक समझ पाया हूं अब उनके पास कोई विशेष आमदनी भी नहीं रह गई है जिसको कि यह सरकार उनसे लेना चाहे, लेकिन फिर भी वह पता नहीं क्या चाहती है।

आगे मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि सब वही प्रणाली है श्रीमन् वही कोषाध्यक्ष, वही पदाधिकारियों के अधिकार और कर्तव्य, विश्वविद्यालय के प्राधिकारी कौन होंगे ?

जरा उसको देख लिया जाय, कुलपति, प्रतिकुलपति इत्यादि। कुलपति राज्यपाल होगा जो किसी समय संस्कृत का विद्वान होना तो क्या संस्कृत का "अ, ब, स" भी नहीं जान सकता है और वह संस्कृत का शून्य का ज्ञान रखने वाले भी हो सकते हैं और क्या संस्कृत रहती है ऐसे व्यक्ति को कुलपति के पद पर रख कर, जैसा कि कहा जाता है कि प्राचीन संस्कृति की रक्षा के लिए संस्कृत विश्वविद्यालय की रचना कर रहे हैं, यह हमारा भ्रम ही तो होगा। इसके बाद उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार के शिक्षा संचालक, ये सारी बातें जो पहले के विधेयकों में हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी और आगरा यूनिवर्सिटी के, उसी तरह से कुछ इधर-उधर से एक आध शब्द हेरफेर करके यह संस्कृत विश्वविद्यालय का विधेयक हमारे सामने रख दिया गया और कहा जा रहा है भावनाओं को उकसाने के लिए, हिन्दू समाज को भ्रम में डालने के लिये कि अब यह बढ़िया सरकार आई है जो कि प्राचीन संस्कृति की रक्षा करेगी संस्कृत विश्वविद्यालय के द्वारा। मैं आज समाज को भी आगाह कर देना चाहता हूं कि ऐसी भ्रामक भावनाओं के फेर में न पड़े, वरना यह समाज जल कर राख होगा, क्षार होगा। इसके बाद यह प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी रख दी गयी है शिष्ट मंडल के लिए। यह शिष्ट परिषद् जो होगी इसके लिए वह श्रेणियां रखी गयी हैं। यह श्रेणी-विहीन समाज बनाने के विरुद्ध श्रेणी युक्त समाज

बनाने के लिए ऐसा विधेयक लाया जा रहा है तमाम श्रेणियों में बांट करके सरकार कैसे कहती है कि श्रेणी विहीन समाज बनेगा, जरा इसका भी अन्दाज लगाएं सम्मानित सदस्य।

फिर कार्यकारिणी, शिक्षा सभा के अधिकार देखिये। विद्वत् परिषद् विश्वविद्यालय की शिक्षा संस्था होगी जिसको कहेंगे अकेडेमिक बाडी, "इस अधिनियम, परिनियमों तथा अध्यादेशों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए" यानी सब सरकार के हाथ में सुरक्षित है, इसको ख्याल कीजियेगा, "विश्वविद्यालय में शिक्षण तथा परीक्षा के स्तर का नियंत्रण तथा सामान्य विनियमन करेगी और उसके रक्षण के लिए उत्तरदायी होगी और ऐसे अन्य अधिकारों का प्रयोग तथा अन्य कर्तव्यों का पालन करेगी जो परिनियमों द्वारा उसे प्राप्त हो या उस पर आरोपित किये गये हों। उसे शिक्षा सम्बन्धी समस्त विषयों पर कार्यकारिणी परिषद् को परामर्श देने का अधिकार होगा"। क्या वह जो विद्वत् परिषद् विश्वविद्यालय की शिक्षा संस्था के लिए बनायी जा रही है कहीं से भी उसको कोई स्वतन्त्रता है कि वह किस ढंग की पढ़ाई पढ़ाये? क्या शिक्षा का स्तर हो? इसमें नहीं है। जो सरकार चाहेगी, जिस रूप में सरकार चाहेगी उस रूप में सरकार करेगी। इस सदन के सम्मानित सदस्यों को भी फिर कुछ कहने की गुंजायश नहीं रहेगी। फिर यह कहा जायगा कि यह तो विधेयक पास हो गया, यह कानून बना हुआ है, सदन के सम्मानित सदस्यों का बनाया हुआ है, इसमें सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। फिर है "छात्र कल्याण परिषद्"। नाम बड़ा सुन्दर है, दिव्य है। यदि इस नाम को देखा जाय तो "विश्वविद्यालय अपने छात्रों को आवास, स्वास्थ्य तथा कल्याण सम्बन्धी प्रबन्धों की देखरेख एवं उनमें सामाजिक तथा बौद्धिक जीवन की अभिवृद्धि के लिए एक छात्र कल्याण परिषद् की स्थापना करेगा। उक्त परिषद् के संघटन तथा उसके कृत्यों की व्यवस्था अध्यादेशों द्वारा की जायगी"।

श्रीमन्, कहा जा रहा है कि कोरम नहीं है।

(कोरम के लिए घंटी बजायी गयी।)

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)—उपाध्यक्ष महोदय, [यह बतला दिया जाय कि आप कितना समय लेंगे, ताकि और लोग भी बोल सकें। कोरम भी पूरा नहीं हो रहा है

श्री उपाध्यक्ष—कोरम पूरा हो जाने दीजिये।]

(कोरम पूरा होने पर कार्य पुनः आरम्भ हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—(श्री राजनारायण से) आप अपना भाषण जारी रखें।

श्री राजनारायण—मैं आपकी आज्ञा से अपना भाषण जारी कर रहा हूं। लेकिन मेरा आप से निवेदन यह है कि जो हमारे भाषण में बाधक हैं। उनको भी रोकिये।

छात्र कल्याण परिषद् कितना बढ़िया नाम है। जब यह समाचार पत्रों में प्रकाशित होगा तो संस्कृत के विद्यार्थी मुग्ध हो जायंगे कि अब तो सरकार विद्यार्थियों के कल्याण की खोज खबर लेने लगी। लेकिन क्या व्यवस्था है, कुछ भी नहीं। छात्र कल्याण परिषद् के संगठन, कांस्टीटयूशन तथा उनके कृत्यों की व्यवस्था अध्यादेश द्वारा जारी की जायगी और उस समय देखा जायगा कि यह परिषद् कैसे बनेगा उसके क्या कर्तव्य होंगे और उनके कर्तव्यों के पालन करने के लिये क्या गारंटी होगी, क्या सुरक्षा होगी।

मैं इस अवसर पर यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसको बनाते समय सरकार को केवल इस मनोभाव से प्रभावित नहीं होना चाहिये कि छात्रों को सरकारी डंडे के नीचे रखा जाय। दंड विधान के लादने की भावना से सरकार ओतप्रोत न हो। उपाध्यक्ष महोदय, प्रसंगवश मैं आपकी सेवा में निवेदन करना चाहता हूं कि आज शिक्षा के क्षेत्र में इतनी अराजकता फैली हुई है कि मुझे बड़ी हैरत है, परेशानी है, शिक्षा मंत्री जी यहां

[श्री राजनारायण]

मौजूद हैं मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि बनारस में एक जखनी हायर सेकेंडरी स्कूल है, वहां के विद्यार्थियों ने दो साल तक रेग्यूलर फीस दी और उन्होंने इम्तहान दिया, लेकिन बोर्ड ने उनका परीक्षाफल रोक दिया। वह दौड़े हुये हमारे पास आये। मैंने बोर्ड के सेक्रेटरी को फोन किया तो बतलाया कि वहां पर ऐग्रीकल्चर. . . . .

श्री उपाध्यक्ष—संस्कृत विद्यालय की बात है।

श्री राजनारायण—वहां संस्कृत की पढ़ाई होती है और हर जगह हो रही है। श्रीमन्, मैं ब्योरे में नहीं जा रहा हूं, प्रसंग के लिये निवेदन कर रहा हूं कि जो छात्र-कल्याण परिषद् गठित कर रहे हैं वह कैसा कल्याण करेगा इसका मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि सेक्रेटरी बोर्ड ने कह दिया कि वहां पर ऐग्रीकल्चर रिकगनाइज नहीं था इसलिये अब यह प्राइवेट फीस जमा करें तो परीक्षाफल निकाला जायगा। तब विद्यार्थियों ने फीस देकर कपना परीक्षाफल लिया। इस जिले के अन्तर्गत जहां से मुख्य मंत्री जी सुशोभित हैं और उस जिले के अन्तर्गत जहां से कमलापति जी सुशोभित हैं, सारी बातें हो रही हैं। सरकार अपने हाथ में अधिकार ले रही है। श्रीमन्, इतना अनर्थ हो रहा है कि जैसा चाहते हैं मनमाने तरीके से रिकगनाइज करते हैं और मनमाने तरीके से मान्यता छीनते जाते हैं। तो इस सरकार के हाथ में हमें इस संस्कृत विश्वविद्यालय से संबंधित छात्र कल्याण परिषद् जो हो उसको बनाने का अधिकार नहीं देना चाहिये। क्यों न इस सदन के सामने छात्र कल्याण परिषद् किस तरह से गठित किया जायगा, उसके क्या कर्तव्य होंगे, यह सब सरकार रखे। मैं इसलिये कह रहा हूं श्रीमन् कि बार-बार इसके उद्देश्य और कारण में "देववाणी" और "राष्ट्रीय संस्कृति" इन अच्छे शब्दों का प्रयोग किया गया है। संस्कृत विनियम का प्रयोग किया गया है। तो उस संस्कृत विनियम को आधुनिक ढंग पर अनुसंधान हो, इसका विकास हो, यह हम सब लोग चाहते हैं। मगर आप हमें बतायें कि छात्र कल्याण परिषद् को नियमित करने का, उसके कर्तव्यों को निर्धारित करने का सारा अधिकार सरकार के हाथ में सौंप करके क्या यह सदन समझ सकता है कि सही माने में उनका कल्याण होगा?

निश्चित माने में आज जो परिपाटी शिक्षा के क्षेत्र में इस सरकार ने चला रखी है उससे छात्रों का कल्याण नहीं हो रहा है। आज जो छात्रों के ऊपर अनुशासन विहीन होने का दोषारोपण किया जाता है यदि उसे देखा जाय तो यह सरकार की शिक्षा प्रणाली है, यह सरकार की संकुचित नीति है जो इसकी जिम्मेदार है। सरकार जिस शिक्षा संस्था को बढ़ावा देना चाहती है मनमाने ढंग से अनुदान उसे देती है। सरकार के पास न कोई नियम है और न कोई कायदा है और न कोई समानता का सिद्धान्त है। इस प्रकार छात्रों का कल्याण नहीं हो सकता। छात्रों का कल्याण यदि यह सरकार करना चाहती है तो आज इस सरकार को छात्र कल्याण परिषद् में ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये जिसमें छात्रों का प्रतिनिधित्व हो, जिसमें ऐसे लोगों का प्रतिनिधित्व हो जो सरकारी हस्तक्षेप से मुक्त हों, जो सही माने में छात्रों को सुन्दर सदुपदेश देकर सच्चे समाज का निर्माण कराना चाहते हैं। महज सरकारी अध्यादेशों के द्वारा छात्र कल्याण परिषद् का निर्माण होना और इस सदन के सम्मानित सदस्यों को उस पर राय देने का उस समय कोई अधिकार न रह जाना मैं बिल्कुल ही अनुचित समझता हूं। सरकार की शिक्षा-प्रणाली को देखते हुये, सरकार की पुरानी कमियों और खामियों को देखते हुये और आगे भी यह देखते हुये कि आज यह सरकार जिस तरीके से इस विश्वविद्यालय के संबंधित नियमों और उपनियमों को बना रही है, उन नियमों और उपनियमों को रखते हुये हमारे चाहे हुये उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पायेगी।

मैं इस सदन का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। मैं आज इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि आज जिस रूप में उद्देश्य और कारण हमारे सामने रखे गये हैं, संस्कृत

विद्या का उत्थान करना, समाज का उत्थान करना, प्राचीन संस्कृति की सेवा करना, उसके लिये यदि संस्कृत विश्वविद्यालय का विधेयक प्रस्तुत हो तो उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा होनी चाहिये। संस्कृत विश्वविद्यालय का निर्माण होना चाहिये। मगर जैसा मैंने कहा था, सरकार की ओर से यह भी तर्क हो और उसका उत्तर हो कि अगर आज काशी विश्वविद्यालय में संस्कृत विभाग था उसको ही अगर यह सरकार ज्यादा सहायता देती और उसके द्वारा ही इस उच्च उद्देश्य को प्राप्त करना चाहती तो सरकार के रास्ते में क्या बाधा, क्या दिक्कत थी? मैं यह देख रहा हूं कि वहां पर नवीनतम और प्राचीनतम दोनों विद्याओं का समन्वय होता और साथ-साथ संस्कृत के विद्यार्थी आधुनिक ज्ञान-विज्ञान को लेने वाले विद्यार्थियों के साथ चलते, मिलते-जुलते, सामूहिक ढंग से रहते, कोआप-रेटिव लाइफ में चलते, एक-दूसरे से उनको सहयोग मिलता। मगर एक पूर्णरूपेण संस्कृत विश्वविद्यालय को अलग करके और वहां पर वही पुराने और दकियानूसी ख्यालात और जो संकुचित नीतियां आज शिक्षा संस्थाओं में चल रही हैं उनको चला कर सरकार उद्देश्य की प्राप्ति कैसे कर सकती है? सही माने में यदि संस्कृत की सुरक्षा होनी है, सही मानों में यदि देववाणी को प्रस्तुत कराना है तो कम से कम इस संस्कृत विश्वविद्यालय में सरकार का हस्तक्षेप कम होना चाहिये, सरकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिये।

मुझे एक मित्र ने बताया कि राम के चरणों में वशिष्ठ को नहीं झुकाना चाहिये वशिष्ठ के चरणों में राम को झुकाना चाहिये। इन शब्दों के साथ में आज इस सरकार से निवेदन करूंगा कि वह इस विधेयक को अच्छा हो वापस ले और जब हम वापस लेने की बात कहते हैं तो हम अपने उस तर्क को भी कह देना चाहते हैं जिसका लाभ यह सरकार न ले कि हम संस्कृत विद्या के ही विरोधी हैं। तो मैं इसलिये कहता हूं कि इस विधेयक को सरकार वापस ले और इससे अधिक सुन्दर, समुचित स्वरूप का विधेयक लावे। सरकार अपने प्रदेश में फैली हुई जो शिक्षा संस्थायें हैं उनमें मुक्तहस्त से, उदारता से, अनुदान दें। संस्कृत के अध्यापकों को प्रतिष्ठा प्रदान करे और उनमें और अंग्रेजी के अध्यापकों में जो विषमता है उसको मिटाये और हर संस्कृत के विद्यार्थी को जितने पैसे की आवश्यकता हो, शिक्षा संस्थाओं को संचालित करने में जितने पैसे की आवश्यकता हो, उनके विद्यार्थियों को समुचित ज्ञान कराने में जिन पैसों और साधनों की आवश्यकता हो उन तमाम को सरकार जुटाये। सरकार आज प्रदेश में जो १७ हजार संस्कृत की शिक्षा संस्थायें फैली हुई हैं उनके लिये सहूलियत पैदा करे और वहां पढ़ने और पढ़ाने के लिये अध्यापकों के लिये अनुदान दे और जितनी सरलता और सहूलियत उनके लिये सरकार कर सकती है वह उसको करना चाहिये। उसी के साथ-साथ यह कहना है कि जो विश्वविद्यालयों के अन्तर्गत संस्कृत विभाग हैं उनमें यदि पैसे की कमी से उन्नति रुकी हुई है तो उनको बड़ी मात्रा में सरकार को पैसा अपनी ओर से देना चाहिये। उसी के साथ-साथ इस समय अभी जो बनारस में संस्कृत कालेज रहा है उसमें जो धन की कमी है और जो वहां अव्यवस्था है उसको भी सरकार की ओर से अविलम्ब दूर किया जाना चाहिये। मैंने इस सदन में बारबार निवेदन किया है कि इन तमाम कमियों और खामियों को दूर करके ही सरकार सही मानों में संस्कृत पढ़ाई को आगे बढ़ा सकती है। आज भी वे गरीब विद्यार्थी चुटकी मांग कर, सीधा लेकर संस्कृत पाठशालाओं में जाते हैं उनके इस काम को रोकना चाहिये और ऐसी परिस्थिति पैदा करनी चाहिये कि विद्यार्थियों को सीधा मांगकर पढ़ने की हालत बिल्कुल न रहे बल्कि वे स्वयं अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करके पढ़ सकें।

उसके साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि सरकार की ओर से संस्कृत विश्वविद्यालय खुलेगा तो सरकार को यह भी चाहिये कि और जितनी भाषायें हैं जिनकी ओर हम लोगों का कम ध्यान हो सकता है जैसे अरबी आदि उनकी तरफ भी हमारा ध्यान जाना चाहिये, उर्दू की ओर भी जाना चाहिये उसका भी समुचित ध्यान इस सरकार को रखना चाहिये ताकि समाज के अन्दर आज किसी को यह कहने का साहस न हो कि यह सरकार तो

[श्री राजनारायण]

संस्कृत भाषा को बढ़ाना चाहती है और उर्दू को निकालना चाहती है या अरबी की पढ़ाई जो होती थी उसको नुकसान पहुंचाना चाहती है। हम चाहते हैं कि आज समाज में समता का भाव हो, बराबरी का भाव हो, सम समाज हो और उस सम समाज के लिये आज किसी प्रकार की ऐसी भावना जो हिन्दी और उर्दू के विद्वेष को बढ़ाये, जो हिन्दू और मुसमानों के विद्वेष को बढ़ाये और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के विद्वेष को बढ़ाये यह सब भावनायें विलुप्त हों और इसके लिये मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी के वह भाव भी जिसके द्वारा वह कहते हैं कि हम सनातन धर्मावम्बी हिन्दू होने के नाते हरिजन मन्दिर प्रवेश की समस्या को सुलझायेंगे प्रतिष्ठित करना चाहिये। आज हरिजन मन्दिर प्रवेश की समस्या उसी बनारस में हो रही है जहां पर प्राचीन संस्कृति की प्रतिष्ठा के लिये हम इस विश्वविद्यालय की स्थापना करने जा रहे हैं। जहां पर कि हरिजन मन्दिर प्रवेश में बाधा हो, उस बाधा की भी मुक्ति इस विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा में सहायक होगी। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि इन तमाम बातों को, इन तमाम कुरीतियों को हमको इन तमाम संकुचित विचारधाराओं को रोक कर, थाम कर, उन्हें दूर करना है और इस संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना करनी है। अगर ऐसा हो तो हमारा जो उद्देश्य है और जो कारण है इस विधेयक का, उसकी पूर्ति हो सकती है। इन शब्दों के साथ मैं बैठता हूं।

श्री सीताराम शुक्ल---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अपने व्याख्यान पर बोलने से पहले, कहीं गलतफहमी न हो जाय इसलिये, भाई राजनारायण जी से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरा मतलब यही जानने से था कि वह कितनी देर और बोलेंगे। मेरा उनको अपमानित करने का कोई इरादा नहीं था और अगर उनका ऐसा ख्याल है तो मैं माफी चाहता हूं।

यह विधेयक आया है और इसके आने से बहुत दिनों का अरमान पूरा हुआ। जिस खूबसूरती के साथ हमारे विरोधी दल के नेताओं ने इसका विरोध किया उसके लिये मैं उनको मुबारकबाद देता हूं। मैंने देखा कि विधेयक कम्प्लीट है, अच्छा है, लेकिन मैं तारीफ करता हूं कि त्रिपाठी जी ने जिस खूबसूरती के साथ उसका विरोध किया, हमारे राजनारायण जी ने भी जिस अच्छाई के साथ उसका विरोध किया वह वाकई में काबिले तारीफ है। विरोधी की तारीफ वही है कि वह जो विरोध करे.....

श्री राजनारायण---आप गलत समझे हैं।

श्री सीताराम शुक्ल---मेरी बदकिस्मती है कि मैं आपको गलत समझता हूं। अब इस के बाद मैं अपने माननीय मंत्री जी को, इस विभाग के कर्मचारियों को मुबारकबाद देता हूं इस बिल के ले आने पर और इसके सिलसिले में मुझे अर्ज करना है कि इसका नाम जो वाराणसेय रखा गया है मुझे कुछ खटकता है। मैं यह तो मानता हूं कि हिन्दी को कंपलीट करने में, भाषा को बनाने में संस्कृत से शब्द लेने होंगे, क्योंकि गुजराती, मराठी, हिंदी, बंगाली आदि जितनी भाषायें निकली हैं वह सब संस्कृत से ही निकली हैं, अतः यदि नये शब्दों को संस्कृत से ही लिया जाय तो सब भाषाओं के समझने वालों को ही आसानी होती है। इस विचार का मैं हूं। अगर हमको हिन्दी में शब्द लेने होंगे तो हम यथासंभव कोशिश करेंगे कि वह शब्द संस्कृत से ही लिये जायं, मगर मेरी समझ में यह नहीं आता कि काशी क्यों नहीं रखा गया। वाराणसेय बहुत पुराना शब्द है, इसलिये उसे लेना चाहिये, लेकिन उसको ज्यादा लोग जानते नहीं और बहुत से तो उसका उच्चारण भी नहीं कर पाते। इसलिये मंत्री जी यहां बैठे हैं वह बतला दें कि क्यों काशी के स्थान पर इसका प्रयोग किया गया। क्या वाराणसेय का मतलब काशी कहने से हल नहीं होता। मेरी तो राय यह है कि आपका मतलब काशी से भी हल हो जायगा। लेकिन अगर यह तर्क

है कि पुराना है इसलिये इसको रख दिया जाय तो मैं कहना चाहूंगा कि इससे नुकसान हो सकता है, क्योंकि हर पुरानी चीज को न तो अपनाना चाहिये और न हर नयी चीज को ठुकराना चाहिये। दोनों से नुकसान हो सकता है। जरूरत जैसी हो वैसा हमको करना चाहिये। तो मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय इस बात पर प्रकाश डालें कि इसको रखने की क्या जरूरत है। मेरी अक्ल में वहां पर काशी रखना ही उचित होगा। माननीय प्रधान मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी फरमाया था कि काशी रखना अच्छा होगा, लेकिन हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि नहीं वाराणसेय ही होना चाहिये। मैं यह जानना चाहता हूं कि ऐसा क्यों होना चाहिये, इस पर रोशनी डाली जाय तो अच्छा होगा।

अब इस मुल्क में संस्कृत विश्वविद्यालय की आवश्यकता है इसको कोई इंकार नहीं कर सकता और इस पर प्रकाश डालने की कोई जरूरत नहीं। जरूरत इस बात की है कि इसको कामयाब कैसे बनाया जाय। भाई राजनारायण जी चले गये, मैं उनसे सहमत हूं कि कोई राजा है लिहाजा उनको प्रतिकुलपति बना दिया जाय यह मुनासिब नहीं होगा। या कोई पैसा देता है बड़ा भारी दानी है, इसलिए उसको आप बना दें यह भी मुनासिब नहीं होगा। जब तक कि वह कला का जानन वाला न हो तो उसको बनाना उचित नहीं मालूम होता है। अगर वह दानी है तो उनकी वहां पर फोटो लगा दी जायगी। मगर वह दानी है तो दानी होने से विद्वान् कैसे हो गये। इसलिये मैं बड़े अदब के साथ अर्ज करता हूं कि इस मसले पर विचार किया जाय। अगर कोई खास बात न हो तो इसमें उनका नाम नहीं आना चाहिये।

दूसरी बात यह कही गयी कि कुलपति वही होंगे जो कि और विश्वविद्यालयों के कुलपति हैं। हमारे राज्यपाल के लिये कहा गया कि वह संस्कृत नहीं जानते हैं और हिन्दी भी नहीं जानते हैं तो उनको कैसे बना दिया उसका कुलपति। यह एक तरह से अप्रत्यक्ष कटाक्ष कर दिया है। मेरा ख्याल है कि हमारे राज्यपाल महोदय को बहुत कम लोग जानते हैं। मैं अर्ज करता हूं कि हिन्दुस्तान में आज इस टक्कर के लोग बहुत कम हैं जो हर एक जबान जानते हैं। ऐसा हो सकता है कि कोई लोग संस्कृत ही जानते हों, हिन्दी जानते हों या अंग्रेजी जानते हों, लेकिन यह तो इन सब भाषाओं के अलावा बहुत अच्छी गुजराती भी जानते हैं और लिखने में बहुत सिद्धहस्त तथा बोलने में सोचने में बहुत दक्ष हैं। यह सब सौन्दर्य एक स्थान पर इकट्ठा हो गया है। हवा के साथ चलना तो आसान हुआ करता है, लेकिन सही बात कह डालना कठिन होता है। हमारे राज्यपाल में वह खूबियां हैं जो उन्होंने अपने जीवन में पेश की हैं। जिस वक्त पाकिस्तान की आवाज उठाई गयी थी तो यही एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने यह फरमाया था कि भारत अखंड रहना चाहिये। जब हमारे राजगोपालाचार्य महोदय ने, उस चाणक्य ने यह कहा था कि पाकिस्तान मान लो तो ठीक रहेगा उस वक्त यही ऐसे आदमी थे जिन्होंने यह कहा था कि नहीं, भारत को अखंड रहना चाहिये। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि जेल जाना आसान है, चक्की पीसना आसान है, लेकिन अपनी इज्जत को खतरे में डालना बड़ा मुश्किल काम है। इतने बड़े आदमी के विरोध में अपनी जबान खोलना इन्हीं का काम था, जिनके अन्दर भगवान ने इतनी सारी खूबियां दी हैं। अगर आपको सारी खूबियां देखनी हों तो इन राज्यपाल में देख लीजिये। यदि यह संस्कृत विश्वविद्यालय इनके हाथ में सुरक्षित नहीं रहेगा तो फिर किसके हाथ में रहेगा। ऐसे आदमी तो बहुत मुश्किल से मिलते हैं। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि आपने एक बात तो सही कही, लेकिन दूसरी बात गलत कही। हमारे यहां ऐसे राज्यपाल मौजूद हैं।

दूसरी बात यह है कि इसके प्रचार के लिये कुछ बातों की जरूरत है। अगर हम चाहते हैं कि संस्कृत का प्रचार हो और संस्कृत की पढ़ाई काफी हो तो जरूरत है कि इस के विद्वानों की कदर की जाय उनकी प्रतिष्ठा की जाय। उनके सामने जो आर्थिक कठिनाई है उनको भी दूर किया जाय। मेरी प्रार्थना है कि सरकार नौकरी देते वक्त अगर यह

[श्री सीताराम शुक्ल]

देखे कि अंग्रेजी और हिन्दी के साथ-साथ वह संस्कृत भी कितनी जानता है तो इससे संस्कृत की उन्नति होगी ।

श्री रामसुभग वर्मा---उपाध्यक्ष महोदय, इस समय हाउस में कोरम नहीं है ।

(घंटी बजायी गयी और कोरम पूरा होने पर पुनः सदन की कार्यवाही आरम्भ हुई ।)

श्री सीताराम शुक्ल---इस लिए मैं अर्ज कर रहा हूं कि संस्कृत के विद्वानों को सरकारी नौकरियों में तरजीह दी जाय । मैं माननीय मंत्री जी से अदब से अर्ज करता हूं कि परीक्षाओं में यह देखा जाय कि यह संस्कृत कहां तक जानता है ।

दूसरी बात यह है कि संस्कृत का साहित्य बहुत अच्छा है । अगर किसी अच्छी चीज को केवल हम अपने ही पास रखते हैं तो हम बेइन्साफी करते हैं । अच्छी चीज सबके लिये होती है जैसे चन्द्रमा और सूर्य हैं, ये किसी एक के नहीं हैं, सबके हैं । वैसे ही साहित्य सबके लिये है । जब हम नैपोलियन बोनापार्ट के इतिहास को पढ़ें तो भले ही वह ईसाई थे मगर उससे हमें लाभ होता है, इसी प्रकार हजरत मुहम्मद साहब मुसलमान थे मगर उनके साहित्य को पढ़ने से हमें लाभ होता है । संस्कृत में बहुत सी खूबियां हैं, क्योंकि यह बहुत पुरानी भाषा है । यह सही है कि अंग्रेजी का विद्वान् अच्छा काम कर सकता है, लेकिन अगर वह संस्कृत भी जानता हो तो और भी अच्छा काम कर सकेगा । अगर कोई अरबी का विद्वान् है और वह हिन्दी या संस्कृत भी जानता है तो अधिक अच्छा कार्य कर सकता है । अगर कोई इंगलैन्ड का अंग्रेजी का विद्वान संस्कृत भी जानता है तो वह और अधिक अच्छा कार्य कर सकेगा । अगर संसार को हम अपनी संस्कृत की खूबियां नहीं बताते हैं तो मैं समझता हूं कि हम संसार के प्रति इंसाफ नहीं करते हैं । अभी चन्द दिन की बात है, अभी तक लोग नहीं जानते थे, बनारस की साड़ी इंग्लैन्ड में पहुंच गई । महारानी एलिजाबेथ ने उसे पहना । उसकी अब इतनी मांग बढ़ गयी है कि जिसकी हद नहीं । फर्रुखाबाद की छपी छींट और मदरास के कपड़ों की मांग बढ़ गयी और हिन्दुस्तान की छोटी-मोटी चीजों को भी अब बाहर की पब्लिक जान गई है । अगर बाहर के लोग हमारे संस्कृत के साहित्य को भी जान जावेंगे, जिसके अन्दर भन्डार और जवाहर भरा पड़ा है, तो कितना लाभ होगा ? इससे हमें आर्थिक लाभ भी होगा । इस विश्वविद्यालय की कोशिश होनी चाहिये कि संस्कृत के ग्रन्थों को अरबी, अंग्रेजी, जर्मन इत्यादि भाषाओं में अनुवाद करावे । तो मैं आपसे अर्ज करता हूं कि इसकी तरफ सारी दुनिया दौड़ पड़ेगी । साथ ही आजकल संस्कृत के विद्वानों पर जो आक्षेप किया जाता है कि वह भोले-भाले होते हैं वह सब तो मुनासिब नहीं है । लेकिन कमजोरी को छिपाना भी नहीं चाहिये । इसलिये अर्ज करता हूं कि जहां अंग्रेजी का विद्वान् व्यवहार कुशल होता है उसके मुकाबिले संस्कृत का विद्वान् सांसारिक बातें नहीं कर सकता । मैं सबको तो नहीं कहता हूं । संस्कृत के विद्वानों में भी कुछ ऐसे हैं जो अंग्रेजी का एक अक्षर भी नहीं जानते मगर अच्छी सूझ-बूझ के हैं तथा उत्तम वक्ता और लेखक हैं । मगर मेजारिटी में अंग्रेजी का पंडित ज्यादा अच्छा होता है । हालांकि चरित्र में संस्कृत का पंडित आगे बढ़ा रहता है इस कमी को हमें दूर करना चाहिये । हमें ऐसा वातावरण पैदा करना चाहिये कि संस्कृत के विद्वान अंग्रेजी के विद्वानों से किसी मानी में कम न हों । ताजे अखबार और ताजी खबरें संस्कृत के विद्वानों को भी मिलनी चाहिये । ताकि वह भी अपटूडेट रहें । मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि अरबी के मौलवी अच्छी तकरीर कर लेते हैं, अंग्रेजी के विद्वान् भी अच्छी स्पीच दे लेते हैं, लेकिन संस्कृत के विद्वान् अच्छे नहीं बोल पाते हैं । बोलते भी हैं तो १०० में १-२-४ ही बोल पाते हैं नहीं तो संस्कृत के श्लोकों का जब वे अर्थ करते हैं तो खुद ही करते हैं और खुद ही समझते भी हैं । संस्कृत में जवाहरात भरे पड़े हैं, किन्तु केवल डिग्री प्राप्त करने और अध्यापन की नौकरी पा जाने से पूरा काम नहीं बनेगा । अगर वह

बोल भी नहीं सकेगा तो उसको ज्यादा फायदा हो सकेगा और संसार में संस्कृत की ज्यादा मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। इसके लिये वक्ताओं और कथावाचकों की जरूरत है। जब इस में प्रचारक हो जायंगे तो चार चांद लग जायेंगे और इसकी प्रतिष्ठा और आगे बढ़ेगी मैं केवल हिन्दुओं को नहीं कहता हूं बल्कि दूसरे धर्मावलम्बियों ने उसके लिये कहा है कि यह 'यावत्चन्द्र दिवाकरौ'। यानी सूर्य और चन्द्रमा जब तक रहेंगे तब तक यह कायम रहेगी। श्री मैक्स मूलर ने कहा है कि यावत स्थास्यन्ति गिरयः; सरितश्चमहीतले। तावत् ऋग वेद महिमा लोकेषु प्रचरिष्यति। अर्थात् जब तक पहाड़ मौजूद हैं और नदियां पृथ्वी पर वर्तमान हैं तब तक संसार में ऋग वेद की महिमा कायम रहेगी।

खानखाना अब्दुल रहीम ने संस्कृत के बड़े सुन्दर श्लोक लिखे हैं—

"आनीता नटवन् मया तव पुरः श्रीकृष्ण! या भूमिका।
व्योमाकाश खखाम्बराब्धि वसुवस्त्वत् प्रीतयेऽद्यावधि।
प्रीतस्त्वम् यदि चेन्निरीक्ष्य भगवन् स्वप्रार्थितं देहि मे।
नो चेद् ब्रूहि कदापि मानयपुन स्त्वेतादृशीं भूमिकाम्।।"

हे भगवन तेरी नाट्यशाला में मैंने ८४ लक्ष रूप रक्खे यदि आप प्रसन्न हैं तो मेरी जो मांग है वह मुझे आप दीजिये अर्थात् मोक्ष दीजिये। और यदि कार्य पसन्द नहीं है, मेरा एक्टिन्ग अच्छा नहीं है तो हुक्म दीजिये कि आपके सामने मैं रूप बदल कर और न आऊं अर्थात् मोक्ष दीजिये।

एक दूसरा श्लोक बड़ा सुन्दर ही उन्होंने लिखा है—

"रत्नाकरोऽस्ति सदनं गृहणी च पद्मकिदेय
मस्तिभवते जगदीश्वराय।
राधागृहीतमनसे मनसेच तुभ्यं,
दत्तं मया निजमनस्तदिदं गृहाण।"

हे भगवान् समुद्र में जवाहारात पैदा होते हैं, वह आपका घर है लक्ष्मी आपकी पत्नी हैं, आप इतने बड़े अवश्य हैं लेकिन आपके पास एक चीज नहीं है। आपका मन श्री राधिका जी ने चुरा लिया है, मैं अपना मन आपको देता हूं, इसे कबूल कीजिये। यह श्लोक अब्दुल रहीम खानखाना ने लिखा है। अगर संस्कृत का इस प्रकार प्रचार किया जाय तो बड़ा भारी कल्याण होगा। अब बहुत से दूसरे सदस्य बोलना चाहते हैं इसलिये अधिक समय न लेकर समाप्त करता हूं।

*श्री शिवनाथ काटजू (जिला इलाहाबाद)—मान्यवर, मैं इस विधेयक का समर्थन कर रहा हूं। अभी मेरे मित्र माननीय राजनारायण जी ने अपना भाषण यहां दिया। उन्होंने अपने भाषण के अन्त में जो कुछ बातें कहीं मैं उनको बहुत ही मुनासिब समझता हूं, और मेरा ख्याल यह है कि उनका उद्देश्य केवल यही था कि जाति भेद को फैलायें, इश्तियाल दें, मैं तो यह कहूंगा कि उनका यह काम मिश्चिक्यिस था। श्रीमन्, उन्होंने यह कहा कि संस्कृत का विश्वविद्यालय खोला जा रहा है। उर्दू की तरक्की क्यों नहीं करते, अरबी की इशात क्यों नहीं करते, इस तरह की बातों से और जातियों में असंतोष होगा। श्रीमन्, इस तरह की बातें इस सदन में करना जिसका उद्देश्य केवल आगे का एलेक्शन हो और जनता के सम्मुख या एक विशेषवर्ग की सहानुभूति प्राप्ति की चेष्टा हो, बिलकुल बेजा और अनुचित है।

(इस अवसर पर ३ बजकर ५८ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

जहां तक इस विधेयक के ध्येय का सम्बन्ध है, मैं इसको एक बड़े गौरव की बात समझता हूं कि शताब्दियों के बाद हमारे प्रान्त ने और हमारी प्रान्तीय सरकार ने संस्कृत

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री शिवनाथ काटजू]

भाषा की शिक्षा के लिये उचित कार्यवाही ही की है। यह बड़ी पुरानी मांग थी और यह उचित ही है कि इसका आरम्भ उत्तर प्रदेश से हो। श्रीमन्, संस्कृत का हमारी संस्कृति में जो स्थान है, संस्कृत में जो हमारा साहित्य छिपा है, संस्कृत के लिये जो हमारी देन है उसके ऊपर मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। जहां तक इस विश्वविद्यालय के लिये इस विधेयक की रूप-रेखा रखी गयी है उस पर मैं कुछ निवेदन करूंगा। हमारे सामने लखनऊ, आगरा और प्रयाग विश्वविद्यालय के अनुभव हैं और उन्हीं अनुभवों को देखते हुए इस संस्कृत विश्व-विद्यालय की भी रूप रेखा रखी गयी है। अभी मेरे एक मित्र ने नाम के सम्बन्ध में कहा कि काशी यदि होता तो उचित होता। काशी और वाराणसी तो एक शब्दों का भेद है। यही निश्चय किया गया और जो निश्चय हुआ वही सदन को मेरे ख्याल में स्वीकार होगा।

जहां तक कुलपति का सम्बन्ध था एक सुझाव रखा गया था कि कुलपति राज्यपाल मुकर्रर करें लेकिन उसको सेलेक्ट कमेटी ने नहीं माना और जिस तरह से और विश्वविद्यालयों में प्रान्त के राज्यपाल कुलपति होते हैं उसी तरह से यही कुलपति रखे गये। श्रीमन्, इस सम्बन्ध में पिछले दो-तीन सालों में कई बार काफी वाद-विवाद हुआ। मैं मूथम कमेटी की रिपोर्ट की तरफ भी सदन का ध्यान आकर्षित करूंगा। उसमें भी कहा गया है कि अब हमारे प्रान्त में विश्वविद्यालय बढ़ते चले जा रहे हैं और अब तक जो परम्परा चली आ रही है कि विश्व विद्यालय के कुलपति गवर्नर महोदय हों उसमें कुछ परिवर्तन करने के लिये भी सुझाव आये, लेकिन उचित यही समझा गया कि जहां वाइस चांसलर की नियुक्ति में इतने झगड़े होते हैं, अगर कुलपति को भी चुनना होगा या और कोई व्यक्ति होगा तो सम्भव था इसके अन्दर भी मतभेद हो उससे ज्यादा लाभ न हो, इस वास्ते कुलपति राज्यपाल महोदय को ही रखा गया, वही व्यवस्था यहां भी रखी गयी है। मेरा अपना ख्याल था कि अगर संस्कृत विश्वविद्यालय की नवीनता को देखते हुए उस पुरानी पद्धति को हटा कर अगर देश के गण-मान्य संस्कृत साहित्य के किसी पंडित को कुलपति रखते जैसा कि पहले सुझाव था तो कोई नामुनासिब बात नहीं होती। लेकिन उस सुझाव को कमेटी ने मंजूर नहीं किया और यही निश्चय किया कि राज्यपाल महोदय ही इसके कुलपति होंगे।

जहां तक महाराज बनारस का सम्बन्ध है, मैं इसको बहुत सुन्दर समझता हूं कि उनको प्रो-चांसलर रखा गया है। श्रीमन्, महाराजा विभूति नारायण सिंह काशी के महाराजा हैं और वह केवल काशी के महाराजा ही नहीं है वरन् उनके व्यक्तित्व की जहां तक मुझे जानकारी है काशी में उनका अच्छा नाम है और उनका एक ऐतिहासिक स्थान है और अगर उनके इतिहासिक स्थान की मान्यता को स्वीकार करते हुए उनको वहां आजीवन प्रो-वाइसचांसलर का पद दिया गया है तो मैं उसका स्वागत करता हूं और मेरा अपना विचार है कि आजकल के महाराजा बनारस या जो काशी नरेश हैं वह इसके लिये बहुत उपयुक्त हैं।

जहां तक वाइस चांसलर का सम्बन्ध है वहां भी जैसा कि मैंने निवेदन किया अनुभवों और तजुर्बों से लाभ उठाया गया है। वहां तीन आदमियों की एक कमेटी होगी, उनमें से एक को सरकार नियुक्त करेगी, एक सदस्य को संसद नियुक्ति करेगी और एक को ऐकेडेमिक कौंसिल करेगी, इन तीनों व्यक्तियों को मिला कर एक कमेटी होगी। वह उसके लिए एक सुझाव रखेगी और उसमें से राज्यपाल महोदय वाइस चांसलर की नियुक्ति करेंगे। यह व्यवस्था भी अनुभव और तजुर्बे से लाभ उठा कर रखी गई है और यह भी सर्व प्रकार उचित है।

जहां तक विश्वविद्यालय का विषय है उसको एक एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी बनाया गया है और उसके अन्तर्गत भिन्न-भिन्न स्थानों में कालेज और विद्यालय हो सकते हैं जहां शिक्षा और परीक्षा का प्रबन्ध होगा और उनकी मान्यता इस नए विश्वविद्यालय के द्वारा होगी। अभी यह एक नई चीज बन रही है सम्भव है इसमें कुछ बातें ऐसी हों जो आगे चलकर मुनासिब न मालूम पड़ें। आज तक वहां के लिए जो रूप रेखा रखी गई है वह वहां के पिछले तजुर्बे से रखी गयी है सम्भव है उसमें आगे कुछ ऐसी बातें हों कि उनमें परिवर्तन करना पड़े लेकिन जहां तक

इसका ढांचा है मैं निवेदन करूंगा कि वह सुन्दर है और उसमें कोई ऐसी बात नहीं मालूम पड़ती। जिसके लिए कहा जाय कि वह अनुचित है। जहां तक संस्कृत की शिक्षा का सम्बन्ध है आज वह समय आ गया है कि संस्कृत की शिक्षा की पद्धति में कुछ परिवर्तन किया जाय और संस्कृत के पंडित ऐसे न निकलें जो आगे जीवन में महसूस करें और उनके जीवन में एक प्रकार से किसी तरह का अभाव हो, अर्थात् उनकी शिक्षा ऊंची हो और उनको केवल प्राचीन पद्धति का ही ज्ञान न हो बल्कि आजकल संसार में जो लहर उठ रही है, जो नई विचाराधारायें हैं उनका भी उनको ज्ञान हो। मेरा अनुभव है और मुझे आशा है कि जब इस विश्वविद्यालय का कार्य आरम्भ होगा तो उसके छात्र न केवल संस्कृत के ही पंडित होंगे, बल्कि वह आधुनिक ज्ञान और विज्ञान के भी पंडित होंगे और अपनी प्राचीन परम्पराओं और अपनी संस्कृति के ज्ञान को वह इस प्रकार से आगे बढ़ायेंगे कि उसमें आधुनिक काल की नवीनताओं का भी मिश्रण हो। मैं इन शब्दों के साथ माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं क्योंकि उन्होंने आज हमारे प्रदेश में इस प्रकार की पद्धति का सूत्रपात किया है जो अपनी नवीनता में और आज की आवश्यकताओं में सर्वदा उचित है।

श्री नागेश्वर द्विवेदी (जिला जौनपुर)—अध्यक्ष महोदय, यह जो वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय, विधेयक सदन के सामने उपस्थित हुआ है मैं इसका हृदय से समर्थन करता हूं। मान्यवर आज हमारी सरकार शिक्षा के संबंध में जो कदम उठाने जा रही है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे देश में जो बड़े-बड़े विकास के कार्य हो रहे हैं उनमें से बहुत से महत्वपूर्ण हैं उनका जैसा नाम इतिहास में अमर रहेगा वैसे ही इतिहास की कड़ी में यह कार्य भी महत्वपूर्ण समझा जायगा। वास्तव में हमारी पराधीनता का ही यह दुष्परिणाम था कि आज तक संस्कृत साहित्य, संस्कृतवेत्ता हमारे देश में उपेक्षित रही जिसका इस देश में बहुत बड़ा व ऊंचा स्थान था और जिससे हमारे देश के कुछ ही पढ़े लिखे लोग नहीं बल्कि किसी जमाने में यहां के सभी लोग इस भाषा का आम तौर से अच्छा व्यवहार करते थे, इसी भाषा में सारा कार्य करते थे। बड़ा दुख होता था जब हम यह सुनते थे कि अफगानिस्तान में तो संस्कृत भाषा अनिवार्य विषयों में है लेकिन हमारे देश में इसकी उपेक्षा है यह प्रसन्नता की बात है कि हमारी सरकार का ध्यान इस तरफ गया है और इसके संबंध में वह उचित व्यवस्था करने जा रही है।

जहां तक इस बात का सवाल है कि काशी में संस्कृत विश्वविद्यालय रक्खा जा रहा है यह उसके लिये बहुत उपयुक्त स्थान है। काशी हमारी संस्कृति का और हमारी संस्कृत भाषा का आज से नहीं बहुत प्राचीन काल से केंद्र रही है। प्राचीन समय में हमारे देश में संस्कृत भाषा के दो ही केंद्र थे जो बहुत ख्याति प्राप्त कर चुके थे। एक तो बंगाल में नदिया शांतिपुर और दूसरा उत्तर भारत में काशी। लेकिन इन दोनों जगहों पर नाम मात्र को अब यह शिक्षा चल रही थी और लुप्त होने से बची रह गयी थी। आज भी इस संस्कृत को और उस संस्कृत भाषा को जो कुछ हम प्रभाव देख सकते हैं वह काशी की गलियों में देखने को सहज में ही मिल सकता है।

कुछ लोग इस भाषा के संबंध में कहते हैं, अपने विचार व्यक्त किये हैं कि यह भाषा मृत है यह इतनी कठिन है कि लोगों को समझना मुश्किल हो जाती है। मैं इस संबंध में अपने विचार व्यक्त कर देना चाहता हूं कि यह भाषा मृत नहीं है। यह अमर है। ऐसी भाषा संसार में मेरी दृष्टि से कोई नहीं है जिसका इतना सुबोध और अच्छा व्याकरण हो। दुनियां की और जितनी भाषायें हैं उनके संबंध में मैंने जो कुछ सुना है वह यही कि संस्कृत भाषा के व्याकरण के मुकाबले में किसी का व्याकरण नहीं है और इतने सुन्दर ढंग से इसकी शिक्षा दी जा सकती है कि यदि थोड़े दिनो तक कोई मनोयोगपूर्वक इसका अध्ययन करे तो आसानी से शब्दों की रचना, क्रियाओं की रचना और वाक्य बनाना वह सहज में जान सकता है। इसके अध्ययन के लिये प्राचीन शैली जो थी उसमें आगे चल कर कुछ इस तरह से आडम्बर

[श्री नागेश्वर द्विवेदी]

आ गया उसमें कुछ इस तरह से बातें भर गयीं कि लोगों को दुरूह सी मालूम होने लगीं। लेकिन आज हमारे नवीन विद्वानों ने ऐसी शैली अपना ली है कि उसमें सुबोधता फिर आ गई है। अगर कोई उसे मनोयोग से अध्ययन करे तो मैं समझता हूं कि जितनी आसानी से यह भाषा सीखी जा सकती है उतनी आसानी से और कोई दूसरी भाषा नहीं सीखी जा सकती। बहुत से लोग आक्षेप करते हैं कि यह बड़ी कठिन और दुरूह है वे इस बात को ध्यान में नहीं रखते कि हमारे ही देश में अंग्रेजी आयी, अंग्रेजी से हमारे देश की भाषाओं का किसी तरह का कोई संबंध नहीं था लेकिन हमारे देश के ही अधिकांश लोगों ने उसे सीखा। न भाषा साम्य था और न लिपि साम्य था फिर भी लोगों ने उसे सीखा और कहीं २ लोगों ने इतना सीखा कि अपनी मातृभाषा को भी भूल गये और वह संस्कृत भाषा जिसमें हमारे बचपन के कार्यक्रमों से क्रिया कलापों से लेकर मृत्यु पर्यन्त तक के तमाम क्रिया कलाप लिखे गये हों जिनके अधीन हमें अपने जीवन में व्यवहार में लाना होता है उस भाषा को लोग कठिन या दुरूह कहें, यह कहें कि उसका समझना मुश्किल है तो मैं समझता हूं कि ऐसी बातें केवल गैरजानकारी ही में कही जा सकती हैं।

जहां तक इस भाषा के अन्दर साहित्य की बात है मैं नहीं कह सकता हूं कि इसका साहित्य कितना अगाध है। जो लोग इसका अध्ययन करते जा रहे हैं वह भली भांति जानते हैं कि ज्यों-ज्यों संस्कृत साहित्य में घुस रहे हैं त्यों-त्यों इस अगाध साहित्य के अन्दर उन्हें बहुत बड़े ज्ञान का भंडार मिलता जा रहा है। जिन लोगों ने इस संबंध में अनुसंधान किये हैं चाहे वे हमारे देश के निवासी हों या विश्व के और किसी खंड के रहने वाले हों जितना ही आदमी उसका अध्ययन करता है उतनी ही प्रशंसा करता है। ऐसे लोगों ने इसे माना है अगर कहीं कुछ ज्ञान है तो संस्कृत साहित्य में ही भरा पड़ा है। हमारे देश के लोगों के लिये यह बात जरूर हो गई है कि पराधीनता के कारण लोगों का ध्यान इधर से विचलित हो गया और हम लोग धीरे-धीरे इस बात को भूलते गये और हमारे इस देश के लोगों को आकर्षित करने के लिये पाश्चात्य विद्वानों को सामने आना पड़ा और लोगों का इस तरफ जो ध्यान आकर्षित किया गया वह अंग्रेजी भाषा और दूसरी भाषाओं के माध्यम से ऐसी स्थिति में लोग फिर संस्कृत की तरफ आकर्षित हुये और उसकी वृद्धि में प्रयत्नशील हुए। इस संस्कृत भाषा के द्वारा जिस ज्ञान का प्रचार किया गया, प्रसार किया गया वह किसी जाति विशेष के लिये नहीं, किसी धर्म विशेष के लिये नहीं, किसी देश विशेष के लिये नहीं, वह तो यह कहा जा सकता है कि मानव मात्र के लिये और मानव से भी ऊपर अगर कोई है (देव नाम के) तो उनके लिये उसमें देशकाल की सीमाओं से बाधित कोई भी प्रश्न नहीं रखा गया। कोई भी संस्कार या आचरण नहीं बतलाया गया जिसमें कहा गया हो कि इस जाति या वर्ग के लिये ही यह है। उसमें इन बातों को ध्यान में रख कर ही सारी बातें समझायी गई हैं और सबको ऊंची और साम्य दृष्टि से देखा गया है। हर एक आदमी के जो कर्त्तव्य होते थे उनके स्वभाव और प्रकृति के अनुसार होते थे, उसके अनुसार निर्धारित करके यह शिक्षा दी गई। अपना-अपना धर्म और कर्म एक ढंग विशेष से व्यवहारित करने पर कोई भी आदमी ऊंचा से ऊंचा बढ़ सकता है। यहां तक की जीवन मुक्ति हो सकती है। इस तरह की संस्कृति, इस तरह की शिक्षा का उपदेश संस्कृत साहित्य में भरा पड़ा है। जिसका किसी न किसी रूप में कुछ प्रचार होता आया और अब इस तरफ हमारी सरकार का ध्यान गया है और वह चाहती है कि वह चीज सामने आये। संस्कृत शिक्षा के दो भाग होते हैं। एक तो उसका ज्ञान से संबंध होता है। दूसरा सदाचार से संबंध होता है, व्यवहार से संबंध होता है। वह केवल ज्ञान की शिक्षा देने वाली भाषा या साहित्य नहीं है। बल्कि उसमें सबसे अधिक, ज्ञान से अधिक उसमें व्यवहार पर और व्यवहार ऐसा अच्छा हो जो सदाचार की श्रेणी में आता हो उस पर जोर दिया गया है। यहां तक कि एक सूत्र कहा गया है——

आचारो प्रथमो धर्मः

आचार को हमारे यहां प्रथम धर्म माना गया है। ज्ञान को उतना महत्व नहीं दिया गया। जहां पर इस तरह का सदाचार हो, और जहां पर इस प्रकार के सदाचार का उपदेश दिया गया हो, जिस साहित्य में सदाचार और सदव्यवहार का उपदेश दिया गया हो। उस साहित्य में उस संस्कृति के अन्दर हम यह कहें जैसा कि कुछ लोगों ने कहा है, कि उसमें जाति द्वेष की बातें कही गई हैं, वर्ग द्वेष की बातें बतायी गई हैं। बिलकुल असत्य है।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि विधेयक के ऊपर आप आ जायं। संस्कृत साहित्य के ऊपर अधिक उसमें चरचा नहीं है।

श्री नागेश्वर द्विवेदी—कुछ लोगों ने।

श्री अध्यक्ष—आप कृपया विधेयक को दृष्टि में साथ लेते हुये, जरा विचार करें भाषण दें।

श्री नागेश्वर द्विवेदी—इस तरह से हम देखते हैं कि इसके अन्दर इस साहित्य के अन्दर इस शिक्षा के अन्दर, ऐसी बातें कभी नहीं कही गई। उस शिक्षा "का एक मूल मंत्र है जिसको सारा संसार जानता है वसुधैव कुटुम्बकम" का ही पाठ इस संस्कृत भाषा में पढ़ाया गया है। इसके अन्दर जो लोग उपेक्षा की बात करते हैं, मैं समझता हूं उनके इसके संबंध में अपनी जानकारी बढ़ा लेनी चाहिये।

एक बात और निवेदन करना चाहता हूं संस्कृत विश्वविद्यालय तो बन रहा है? लेकिन इस संबंध में हम इस बात को जरूर चाहते हैं कि जब यह संस्कृत विश्वविद्यालय बन रहा है, और वास्तव में संस्कृत विश्वविद्यालय कहलाने का उसको अधिकार भी है, क्योंकि और जो विश्वविद्यालय नाम की संस्थायें हैं वह किसी प्रांत विशेष में किसी क्षेत्र विशेष में सीमित हो जाती है। उस तरह की संस्थायें संसार के कोने-कोने में हैं। लेकिन जहां तक संस्कृत भाषा के विश्वविद्यालय का संबंध है वह तो भारत में यही होगा। और यह अपने ढंग पर कायम होगा। इसलिये इसको वह गौरव प्राप्त हो सकता है, इसका साहित्य विश्वविद्यालय साहित्य के अन्दर आ सकता है। इसलिये इसका नाम इस दृष्टि से तो उपयुक्त है ही लेकिन हम चाहते हैं कि इसमें इस तरह की व्यवस्था की जाय जिसमें संस्कृत साहित्य के जितने अंग हैं, वेद, वेदान्त, शास्त्र, उपनिषद, पुराण, ज्योतिष, वैद्यक, इनकी शिक्षा का सम्यक रूप से प्रबन्ध किया जाय और इससे जो स्नातक निकलें वे ऐसे उच्चकोटि के हों कि वास्तव भारतीय परम्परा को और जो हमारे देश की परम्परा रही है जिसका गुणगान पूर्वकाल ही में नहीं आज भी संसार कर रहा है। उसका धीरे २ प्रसार करें और उस प्रकाश को सारे विश्व में फैलाने का प्रयत्न करें। मैं समझता हूं कि सरकार इस तरफ ध्यान देगी।

जहां तक उसमें शिक्षा की शैली का संबंध है मैं समझता हूं कि कहीं ऐसा न हो कि विश्वविद्यालय का नाम देकर जो संस्कृत साहित्य की पुरानी परिपाटी रही है उसको हम एक दम परिवर्तित करके नई पाश्चात्य शैली को अपना लें जिससे नई शैली के दोष तो आ जायं और प्राचीन शैली के जो गुण हैं उनसे बंचित रह जायं। हम चाहते हैं कि प्राचीन शैली के गुण हमसे छूटने न पायें और नवीन शैली के गुण भी अपना लें और एक ऐसा रूप दें जो देशकाल से निर्बाध हो और जो देश के स्वस्थ विकास के लिये हो और संसार के कल्याण में सहयोगी हो सके। जैसा कहा गया है मैं नहीं समझ पाया कि जो संस्कृत विश्वविद्यालय बनने जा रहा है वह बनारस में किस जगह बनेगा। मैं ऐसा समझता हूं जैसा कि संकेत किया गया है यदि आज जहां संस्कृत कालेज है वहीं इस विश्वविद्यालय की स्थापना करने का सरकार का विचार हो तो एक बात जो मुझे दिखाई पड़ती है कि विश्वविद्यालय के लिये वहां पर्याप्त स्थान नहीं है। दूसरे वहां का जो वातावरण है, स्टेशन पास होने की वजह से वह स्थान न तो उपयुक्त है, न पर्याप्त है। इसलिये मैं चाहता हूं कि काशी नगरी से कुछ दूरी पर जहां पर इसके लिये अच्छा वातावरण हो, जहां पर काफी जमीन हो ऐसी जगह पर इस विश्वविद्यालय को बनाया जाय तो ज्यादा उपयुक्त होगा। किसी साथी ने शायद इसके पूर्व

[श्री नागेश्वर द्विवेदी]

चर्चा किया है, मैं भी अपने विचार इस संबंध में प्रगट करना चाहता हूं कि वास्तव में बनारस को, जिसका आजकल वाराणसी नाम रखा गया है, इसको श्रद्धा की दृष्टि से साधारण जनता काशी के नाम से ही पुकारती है और आज भले ही कागजों में उसका वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय नाम रखें, साधारण जनता उसे काशी संस्कृत विश्वविद्यालय के नाम से ही याद रखेगी। तो मैं भी चाहता हूं कि यदि इसका नाम काशी संस्कृत विश्वविद्यालय रखा जाता तो ज्यादा उपयुक्त होता और ज्यादा आदर और श्रद्धा का पात्र होता। मैं समझता हूं कि सरकार इस बात पर ध्यान रखेगी और सदन भी जब इसके खंडों पर विचार होने लगेगा उस समय इस पर विचार करेगा।

एक बात की मुझे और आशंका है। मैं चाहता हूं कि सरकार अभी से इस बात का आश्वासन दे। जैसा कि अभी तक होता आया है जो विश्वविद्यालय कायम किये जाते हैं उनमें जो पदाधिकारी होते हैं उनको अच्छे-अच्छे वेतन देने की बात होती है। जितना वेतन उनको दिया जाता है, अध्यापकों को दिया जाता है, उनकी आवश्यकता को देखते हुये उतना देना ही चाहिये लेकिन और विश्वविद्यालयों की आय का एक साधन शिक्षा शुल्क भी होता है। संस्कृत साहित्य जो आज तक जीवित रहा, उसका एक मुख्य कारण निःशुल्क शिक्षा रही। इसकी परम्परा रही है, चाहे गावों के अन्दर छोटे से छोटा अध्यापक दो चार विद्यार्थियों को ही पढ़ाता हो लेकिन कभी उसने शुल्क नहीं लिया और आज भी जो संस्कृत की पाठशालायें गांवों में चल रही हैं उनमें किसी तरह का शिक्षा शुल्क नहीं लिया जाता है। मैं चाहता हूं कि सरकार इस बात का आश्वासन दे कि इस विश्वविद्यालय से ऊंची से ऊंची डिग्री प्राप्त करने वाले से भी किसी प्रकार का शिक्षा शुल्क नहीं लिया जायगा और अगर इस तरह की व्यवस्था हो जाती है तो मैं समझता हूं कि बड़ी प्रसन्नता की बात होगी और संस्कृत साहित्य के प्रचार की दृष्टि से उचित और अनुकूल व्यवस्था होगी ;

हमारे साथी नारायणदत्त जी ने एक बात की इसी सदन में चर्चा उठाई और वह यह कि महाराज विभूतिनारायण सिंह को जो काशी नरेश हैं उनको जो इस विश्वविद्यालय का प्रतिकुलपति नियुक्त किया गया है इसका उन्होंने विरोध किया। मैं समझता हूं कि उनके विरोध करने का एक खास कारण यह रहा होगा कि उन्होने उनको एक राजा महाराजा की दृष्टि से देखा होगा। लेकिन हम लोग विधेयक में की गई इस व्यवस्था का हार्दिक समर्थन इसलिये करते हैं कि संस्कृत कालेज आज जो चल रहा है उसकी सहायता में, उसके चलाने में उनके राज्यकोष का, उनके धन का, उनके दान के धन का बहुत बड़ा अंश रहा है और उनकी रुचि हमेशा संस्कृत साहित्य के प्रचार में इतनी रही है, उसमें उन्होंने इतनी दिलचस्पी दिखायी है कि संस्कृत के विद्वान जिनको किसी प्रकार का वेतन न दिया जाता हो वह भी काशी नरेश के सदा से आभारी रहे हैं और आज भी मैं समझता हूं उनकी तरह इस कार्य में अधिक दिलचस्पी लेने वाला कोई दूसरा शायद ही मिले। और अगर उनके ऊपर जिम्मेदारी थोपी जाती है तो मैं समझता हूं कि आगे भी वह अपना इससे भी अधिक हार्दिक सहयोग देते रहेंगे और काशी के गौरव की रक्षा के लिये वह तन, मन, धन से उसको वृद्धि देने के लिये हर तरह से तैयार रहें। इस दृष्टि से जब हम सोचते हैं, देखते हैं तो यह बिलकुल उचित प्रतीत होता है। इसके पहले जब वह कुछ भी नहीं बनाये जा रहे थे तब भी उन्होंने संस्कृत के प्रचार में और संस्कृत कालेज की स्थापना में अपना बहुत कुछ सहयोग दिया है और आइन्दा भी अगर यह विश्वविद्यालय कायम रहा तो उनका हार्दिक सहयोग मिलता रहेगा। तो जिसका इस तरह सहयोग मिलता रहा हो हम उसकी उपेक्षा करें, उसका सहयोग न प्राप्त करें यह हमारे लिए उचित नहीं कहा जा सकता। तो सरकार ने जो इसकी व्यवस्था की है यह उचित ही किया है।

हमारी संस्कृत भाषा के बारे में अगर मैं कुछ इस तरह की बात कह दूं कि यह कैसी भाषा है, कितनी प्राचीन है, इसका संसार की भाषाओं से क्या संबंध रहा है तो अनुचित

न होगा। मैंने जो कुछ पढ़ा उसके आधार पर मैं जानता हूं मैंने समझा है कि बहुत से विद्वानों का यह कहना है कि संस्कृत भाषा दुनिया की तमाम भाषाओं की जननी है और इसके संबंध में अनेकों उदाहरण दिये गये हैं। हमारे देश की जितनी भाषायें हैं (प्रांतीय भाषायें हैं) उनके तो अधिकांश शब्द संस्कृत से ही लिये गये हैं। एक तरह से क्रिया पदों को छोड़ दें तो अधिकांश पदीय विन्यास और वाक्यांश संस्कृत के तद्भव और तत्सम पदों से ही निकले हैं। हमारा पड़ोसी देश ईरान है जहां की पुरानी भाषा फारसी रही है, उसका भी संस्कृत से बहुत साम्य रहा है, यह सर्वविदित बात है। यहां नहीं जब मार्शल बुलगानिन और ख्रुश्चेव यहां आये थे उनके जाने के बाद एक लेखमाला प्रकाशित हुई रूसी साहित्य के संबंध में और उसमें जो उदाहरण दिये गये उनके द्वारा इस बात को को सिद्ध करने की कोशिश की गयी कि रूसी भाषा के शब्द जितने यूरुप की दूसरी भाषाओं से साम्य नहीं रखते हैं उतना संस्कृत से साम्य रखते हैं। इतना ही नहीं, यूरुप के कुछ क्षेत्रों में, अगर मैं भूलता नहीं हूं तो वहां के लोग आमतौर से आज भी उस भाषा का प्रयोग करते हैं जो संस्कृत से बहुत कुछ मिलती जुलती है और दुनिया की जितनी भाषायें हैं उनमें जगह-जगह उदाहरण देकर इस तरह की समानता विद्वानों ने दिखलाई है कि संस्कृत भाषा के शब्दों और दूसरी भाषा के शब्दों में कितना साम्य रहता है। यह संस्कृत भाषा के गौरव की बात है कि दुनिया के दूसरे क्षेत्र के विद्वानों का ध्यान इस ओर इतना आकर्षित हो रहा है कि आज हम इस विषय में कुछ शरमिन्दा से हैं कि दुनिया के अन्य देशों में संस्कृत भाषा के इतने बड़े-बड़े विद्वान मिल रहे हैं और हमारे देश में कम मिल रहे हैं, और इस माने में उनको बड़ा कहते हैं कि न केवल संस्कृत का अध्ययन उन्होंने किया, बल्कि दूसरी भाषाओं का अध्ययन करके बाद संस्कृत का अध्ययन किया और जो कुछ समझा और अध्ययन किया उससे संस्कृत भाषा की तरक्की, उन्नति और प्रचार में बहुत बड़ा योग दिया। इस तरह से हम जब देखते हैं तो संस्कृत भाषा का महत्व दुनिया के लिये बढ़ जाता है। इसमें जिस संस्कृति और कल्याण का प्रचार किया गया है उसके द्वारा संसार का कल्याण होने वाला है, विश्व का कल्याण होने वाला है और इसके साहित्य में ऐसी बातें मिलती हैं कि आज संसार जिस चक्कर में पड़ गया उससे वह उसको उबारने वाला है। ऐसी दशा में यदि इस भाषा का हम प्रचार करें और उस कल्याण की वृद्धि करें तो वह हमारे भारतवर्ष के अनुकूल ही होगा। उत्तर प्रदेश की सरकार ने ही यह कदम उठाया है और काशी में जो विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रयास किया है यह बड़ा ही प्रशंसनीय कार्य है और इसके लिये हम सरकार को बार बार बधाई देते हैं और एक बार मैं फिर इस विधेयक का हार्दिक समर्थन करता हूं।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय के संबंध में जो विधेयक इस भवन के सम्मुख प्रस्तुत है उसका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं और उसके बाद इस सरकार को और विशेष कर शिक्षा मंत्री जी के लिये भी बधाई देता हूं। इस संबंध में जितने भाषण अब तक इस भवन में हुये उनको मैंने बड़े ध्यान से सुनने की चेष्टा की। सभी भाइयों ने इस बात को माना कि हमारे इस राष्ट्रीय जीवन में संस्कृत भाषा का विशेष महत्व है। यही नहीं, यह भी सभी ने माना कि हमारे देश की कम से कम यदि मैं सारे संसार की न भी कहूं, सभी भाषाओं की जननी संस्कृत भाषा है। हमारे देश की जो सांस्कृतिक और नैतिक परम्परायें हैं उनका आधार भी हम को संस्कृत भाषा में मिलता है। यदि हम साहित्य को लें तो साहित्य के सारे अंग, कविता, नाटक या जो भी लें, उसकी मैच्यारिटी, उसका जितना ज्ञान भंडार और परिपक्वता हमें संस्कृत भाषा में मिलती है उतनी किसी भाषा में नहीं मिलती। विज्ञान की खोज में हम यदि जायं तो हमें मिलता है कि उसका भंडार भी हमारी संस्कृत भाषा में बहुत बड़ा है। इतना जिस भाषा का इस देश में महत्व हो, यह एक बड़े दुख की बात है कि पिछले कई सौ वर्षों से इस भाषा की बड़ी उपेक्षा की गयी। और यह सही है कि यह भाषा बहुत कुछ आज निर्जीव सी हो चुकी है। मुझे इस संबंध में एक अंग्रेजी लेखक के वह शब्द याद आते हैं कि

"If you want to kill a nation kill its language." यदि तुम किसी देश को नष्ट करना चाहते हो तो उस देश की भाषा को नष्ट कर दो।

[श्री नवलकिशोर]

जब इस देश के अन्दर एक नई जान आई, आजादी के लिये एक नई प्रेरणा इस देश में पैदा हुई तब से हमारे देश के नेताओं का यह मत रहा कि यह भी आवश्यक है कि हमारे देश की जो आधार भाषा संस्कृत है, उसको फिर से जीवित करें। आज बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे उत्तर प्रदेश को और इसकी सरकार को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि उसने एक सुन्दर सा विधेयक इस संबंध में हमारे सामने पेश किया है। इस संबंध में जैसा कि कुछ भाइयों ने कहा मैं भी कह दूं और मुझे आशा भी है कि जिस उद्देश्य से हमने विधेयक को रखा है उसके लिये यह भी आवश्यक है कि संस्कृत भाषा को सरल बनाया जाय और इसके अन्दर जो एक सख्ती है और कुछ शब्द ऐसे हैं जो जनसाधारण की बोलचाल में नहीं आते हैं, उनको सरल बना दें तो मुझे विश्वास है कि यह जनसाधारण की भाषा बन सकेगी।

जहां तक सवाल इस बात का है कि इस विश्वविद्यालय की रूपरेखा क्या हो। मैं भी समझता था कि इस विश्वविद्यालय की रूपरेखा नई होगी। लेकिन जब मैंने इस विधेयक को पढ़ा तो देखा कि इसका पैटर्न करीब-करीब वही है जो अन्य विश्वविद्यालयों के लिये है। कहा यह जा सकता है कि यूनीफारमिटी रखने के लिये हमने ऐसा किया और यह भी धारणा हो सकती है कि एक रूपरेखा पहले बनी हुई थी इसलिये उसी को रख दिया, क्योंकि नई के बनाने में स्ट्रेन भी पड़ता है, वक्त भी लगता है और खोज भी करनी पड़ती है। जो कुछ भी कारण रहे हों मैं नहीं जानता, लेकिन अच्छा यह होता यदि संस्कृत यूनिवर्सिटी में नया पैटर्न पेश कर सकते होते।

इसके अन्दर इस बात का भी प्राविजन है कि जहां यह टीचिंग और ऐफीलियेटेड यूनिवर्सिटी है वहां देश भर का कोई भी कालेज इससे एफीलियेटेड हो सकता है। इसमें यह भी है कि दूसरे देशों के विद्यार्थी हमारे विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में बैठ सकते हैं। मैं इस प्राविजन का विशेष रूप से स्वागत करता हूं। इससे एक तो हमारे देश में एकता में सहायता मिलेगी और इसके साथ ही साथ विदेशों से सम्पर्क स्थापित होने में बड़ी सहायता मिलेगी।

इसके अलावा कुछ भाइयों ने जो उधर बैठते हैं बहुत सी ऐसी बातें कहीं जो उनकी दृष्टि में कमियां हैं, उनमें सुधार होना चाहिये। हमारे भूतपूर्व नेता विरोधी दल श्री राजनारायण जी ने बहुत सी बातें कहीं और एक बहुत लम्बा भाषण दिया। मैं नहीं जानता कि उनकी बातों का कुछ जवाब हो सकता है वह काम तो मैं शिक्षा मंत्री जी के लिये छोड़ता हूं। लेकिन हां कुछ लोगों ने यह कहा कि इसके अन्दर जो बोर्ड आफ संस्कृत एजूकेशन है उसको भी इसमें मर्ज किया जा रहा है, यह अनुचित सी बात है। मैंने पढ़ा तो कहीं भी मर्ज शब्द नहीं है। लेकिन यह है कि अब तक जो यह काम यह संस्थायें करती हैं वह सब काम इस विश्वविद्यालय के अन्तर्गत हुआ करेंगे। मैं समझता हूं कि यह सब उचित ही है। और जितना भी अध्ययन या परीक्षायें हों वह सब इसके अन्तर्गत ही होनी चाहिये ताकि यूनीफारमिटी आफ स्टैंडर्ड हो सकेगा।

चांसलर साहब की नियुक्ति के ऊपर भी कुछ आपत्ति की गयी। मैं इत्तफाक करता हूं अपने उन साथियों से जिनका यह मत है कि अगर हमारे गवर्नर महोदय इसके चांसलर न बनाये जाते, बल्कि कोई और संस्कृत का बड़ा विद्वान, संस्कृत का बड़ा ज्ञाता इसका चांसलर बनाया जाता तो ज्यादा अच्छा होता। यह सही है कि हमारे इस प्रदेश के जो ३-४ विश्वविद्यालय हैं, इलाहाबाद, लखनऊ, आगरा और गोरखपुर, उनके अन्दर यह प्राविजन है कि हमारे गवर्नर महोदय उसके चांसलर बनेंगे, और शायद उसी को ध्यान में रखते हुए यह उचित समझा गया हो कि उन्हीं को इस संस्कृत विश्वविद्यालय का भी कुलपति बनाया जाय। मगर मेरे खयाल में अच्छा यही होता कि यदि हम उन पर यह बोझा न डालते, क्योंकि कुछ लोगों का मत है कि जहां

एक से अधिक विश्वविद्यालय हों, वहां यह आवश्यक नहीं होना चाहिए कि गवर्नर महोदय को चांसलर बनाया जाय। चार युनिवर्सिटियों के वह पहले से ही चांसलर हैं। तो यदि यह बोझ हम उनके ऊपर न डालते और किसी दूसरे महानुभाव को, जैसा कि मैंने कहा, संस्कृत के किसी प्रकान्ड पंडित को इस पद का भार देते तो उचित होता।

मैं यह तो नहीं कहता कि कोई नयी बात का होना अच्छी बात नहीं होती मगर मैं अभी तक प्रो-चांसलर के पद की क्या आवश्यकता है इसको समझ नहीं पाया। आगरा युनिवर्सिटी बहुत बड़ी युनिवर्सिटी है। उसमें बहुत से कालेजेज हैं और हजारों विद्यार्थी हैं। उसके लिये हमको इस बात की आवश्यकता महसूस हुई कि हम एक प्रो-चांसलर के पद को बनायें। हमको इस पद की इलाहाबाद और लखनऊ में भी आवश्यकता नहीं महसूस हुई। गोरखपुर की बात मैं इसलिये नहीं कहता, क्योंकि वह तो अभी अच्छी तरह से स्थापित भी नहीं हो सकी है। मैं समझता हूं कि प्रो-चांसलर के पद की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन मेरा विरोध इसलिये नहीं है जैसा कि कुछ भाइयों ने कहा कि चूंकि महाराजा बनारस उसके आजीवन, प्रो-चांसलर बनाये जायेंगे इस विधेयक के द्वारा इसलिये उनको विरोध है, तो मुझको, मान्यवर, ऐसा कोई विरोध नहीं है। मैं व्यक्तियों से विरोध नहीं करता। मैं राजा महाराजाओं का कोई बहुत बड़ा उपासक भी नहीं हूं मगर साथ ही साथ अगर किसी के नाम के आगे राजा या महाराजा शब्द लगा हुआ हो तो मुझे इससे कोई चिढ़ भी नहीं है और न मैं यही समझता हूं कि कोई व्यक्ति यदि महाराजा हो तो वह बहुत निकम्मा आदमी है। जहां तक मुझे जानकारी प्राप्त हो सकी मुझे मालूम हुआ कि महाराजा बनारस उन व्यक्तियों में से हैं जिनका नगर में बड़ा मान है और उन्होंने संस्कृत की, चाहे वे उसके बड़े भारी ज्ञाता हों या न हों, बड़ी सेवा की है। उन्होंने उसको आगे बढ़ाने के लिये काफी पैसा दान में दिया है। मैं उनकी बहुत सराहना करता हूं और मुझे तो इसमें भी कोई आपत्ति नहीं है यदि उन्हें चांसलर बना दिया जाय। लेकिन मैं समझता हूं कि यह पद बेकार है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है।

यह भी एक शिकायत की गयी कि जहां तक वाइस-चांसलर का सवाल है इसके अन्दर वही पद्धति है जो हमने करीब-करीब दूसरी जगहों पर अपनायी है। एक फर्क है इसके अन्दर। अब तक हमारे बहुत से भाइयों का कहना था कि जो एकेडेमीशियन्स हों उनको वाइस-चांसलर बनाया जाय। इसमें इस बात का मौका दिया गया है कि जो संस्कृत के बड़े विद्वान हों उनको वाइस-चांसलर बनाया जाय और वह जो तीन आदमियों की कमेटी होगी उसके लिये यह है कि जो इस पद के लिये कंडिडेट्स की योग्यतायें हों उनका भी विवरण हमारे कुलपति के पास भेजा करें।

यह शिकायत की गयी कि एक्जीक्यूटिव और एकेडेमिक कौन्सिल का क्या कांस्टीट्यूशन होगा इसका कोई जिक्र इस विधेयक के अन्दर नहीं है। अच्छा होता अगर इनके निर्माण का क्या तरीका होगा वह भी इस विधेयक के अन्दर खोल दिया जाता, यद्यपि इसमें मुझे कोई विशेष आपत्ति की बात नहीं मालूम होती इसलिये कि जो स्टेट्यूट्स बनेंगे मैं यह आशा करता हूं कि चूंकि ये पहले स्टेट्यूट्स होंगे इस विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में इसलिये वे इस सदन के सामने अवश्य रखे जायंगे और इस सदन के सदस्यों को इस बात का मौका मिलेगा कि वे उन स्टेटयूट्स के ऊपर अपने विचार इस सदन के सामने पेश कर सकें। तो ऐसी स्थिति में यह कोई विशेष आपत्ति की बात नहीं है परन्तु हमने और विधेयकों में ऐसा किया था कि एक्जीक्यूटिव कौन्सिल और ऐकेडेमिक कौन्सिल का जो कांस्टीट्यूशन था वह उन्हीं विधेयकों के अन्दर दे दिया था। यह भी शिकायत की गई कि पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में इंटरफियरेंस की बात है। इसके अन्दर जो ३२वां क्लाज है उससे कुछ ऐसा आभास कुछ लोगों को हुआ और हमारे साथी नारायणदत्त जी को भी कि सरकार उसमें कुछ इंटरफियर करना चाहती है। मैं समझता हूं कि ऐसी बात नहीं है। यह महज उनका इंटरप्रिटेशन है जो गलत है। सिर्फ उसका इतना मतलब

[श्री नवलकिशोर]

था कि इस विश्वविद्यालय में दाखिला उनका होगा जो मध्यमा का इम्तहान पास कर चुके हों या ऐसे इम्तहान जो मध्यमा के इक्वीवैलेंट हों और जिसको स्टेट गवर्नमेंट ने मान लिया हो। तो उसके अन्दर पाठ्यक्रम में इंटरफियरेंस की बात मुझे नहीं दिखाई दी। मैं समझता हूं कि ऐकेडेमिक कौंसिल को पूरा अधिकार इस बात का होगा कि वह अपना पाठ्यक्रम निर्धारित करे। राजनारायण जी ने कहा कि इसमें यह पता नहीं है कि कौन सी किताबें पढ़ाई जायेंगी। मैं नहीं जानता कि किसी विधेयक में कौन सी किताबें पढ़ाई जायेंगी यह भी रखा जाता हो। उनकी बातों का जवाब जैसा मैंने कहा वह तो माननीय शिक्षा मंत्री जी ही देंगे।

वाइस-चांसलर की तनख्वाह इसमें दो हजार रुपये रखी गयी है। मान्यवर, आप जानते हैं इस सम्बन्ध में मेरे स्पष्ट विचार हैं कि तनख्वाहों के मामले में हमको कमी की बात सोचनी चाहिये। जिस समय आगरा यूनिवर्सिटी की बात थी तो हमसे कहा गया कि चूंकि लखनऊ और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में २,००० रुपया है इसलिये यहां भी रख दिया गया है, और जब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का विधेयक आया तो हमसे कह दिया गया कि चूंकि आगरा और लखनऊ यूनिवर्सिटी में ऐसी बात थी इसलिये वहां भी कर दिया गया है। लेकिन यह तो संस्कृत यूनिवर्सिटी है यह नई यूनिवर्सिटी है। इसमें हम कह सकते हैं कि संस्कृत हमारी मातृभाषा है और यही नहीं यह तमाम भाषाओं की जननी है उसके सम्बन्ध में हम यह विश्वविद्यालय बना रहे हैं। मैं जानता हूं कि हमारे संस्कृत के जो बड़े-बड़े ज्ञाता हैं उनकी एक सांस्कृतिक परम्परा रही है कि उन्होंने अपने जीवन में त्याग करना सीखा है। हमारे जो बड़े-बड़े विहार थे, तक्षशिला, नालन्दा आदि की जो यूनिवर्सिटियां थीं उसमें जो आचार्य लोग होते थे वह इसलिये नहीं पढ़ाते थे कि उनके लिये कोई आमदनी की बात थी या उनको कोई पैसा मिलता था। तो उसी मनोभावना से यह विश्वविद्यालय बनाना चाहिये और जब ऐसा है तो हमें एक नया चैप्टर खोलना चाहिये अपनी शिक्षा के इतिहास में, और इसको मैं समझता हूं कि यही एक अच्छा मौका था कि हम यहीं से शुरूआत करते और अपने इस विश्वविद्यालय के वाइस-चांसलर की तनख्वाह एक हजार रुपये से शुरू की जाती। मैं समझता हूं कि अब भी इसका मौका है कि हम इस बात के लिये सोचें और करें। यह भी एक शिकायत हुई कि जो इंटेरिम पीरियड के लिये वाइस-चांसलर की नियुक्ति है वह तीन साल के लिये क्यों की गई। अच्छा होता एक साल के लिये की जाती और यदि काम रह जाता तो एक साल के लिये और बढ़ा दी जाती। मुझे याद है कि गोरखपुर यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसको कि हमने नये तरीके से बनाया है। इसमें इसी बात को रखा गया है, वहां भी तीन साल की ही मियाद रखी गयी है और यहां भी तीन साल की मियाद रखी गई। इसके पीछे केवल एक ही भावना है और वह यह है कि यदि हम किसी विश्वविद्यालय को ठोस स्तर पर कायम करना चाहते हैं तो यह उचित है कि हम वहां का जो प्रथम उप-कुलपति हो उसको इसका मौका दें कि वह जितनी भी फार्मेलिटीज़ विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में हैं उनको आसानी से और सुविधा के साथ और मजबूती के साथ अन्जाम दे सकें। इसलिये मैं समझता हूं कि जो तीन साल की अवधि है यह उचित ही है। मैं यह नहीं कहता कि यह विधेयक बहुत ही पूर्ण विधेयक है। कोई विधेयक पूर्ण नहीं होता। उसमें कमियां होती हैं और जिस समय कि हम क्लाज बाई क्लाज इसको लेंगे तो जिन साथियों के संशोधन इस सम्बन्ध में होंगे उनके लिये सोचा जायगा। और मैं भी यह आशा करूंगा कि जो उचित संशोधन हो उनके लिये सरकार को बहुत ही सहानुभूति पूर्वक विचार करना चाहिये।

इतना कहने के बाद मैं यह आशा करता हूं कि जिन भावनाओं से प्रेरित होकर और जिस उद्देश्य को सामने रख कर इस विधेयक को इस भवन के सामने लाया गया है उसमें यहां सरकार सफल होगी और जनता जिस बात की वर्षों से आशा किये हुये थी और

जिसका स्वप्न देख रही थी उसका स्वप्न पूरा होगा। इन शब्दों के साथ मैं एक बार फिर इस सरकार को इस विधेयक के लिये बधाई देता हूं।

*श्री अवधेश प्रताप सिंह (जिला फैजाबाद)—मान्यवर, यह अवसर मुझे भी प्रदान हुआ है ताकि मैं माननीय मंत्री महोदय को बधाई दे सकूं। यह दूसरी बात है कि वह ध्यान न दें, वह इतना प्रयास न करें कि जो बात कही जा रही है उसको वह सुन लें, परन्तु यह एक ऐसी मांग है कि जिसकी पूर्ति बहुत दिनों के बाद हुई है। यदि कोई शिकायत मुझे हो सकती है तो वह यही हो सकती है कि इसके बहुत पूर्व ही इस यूनिवर्सिटी को स्थापित करना चाहिये था। मान्यवर, मैं भाषण सुनता रहा और मैंने देखा कि कुछ वक्ता सदन को इस बात से परिचित कराना चाहते थे कि संस्कृत भाषा कितनी पुरानी है, उसके क्या क्या गुण हैं और आज उससे कितना लाभ पहुंचा है। मान्यवर, मैं समझता हूं कि इस पर कुछ कहना इस समय उचित न होगा, सिर्फ इतना ही कहना उचित होगा कि संस्कृत एक ऐसी भाषा है कि जो यदि न होती तो भारत का आज का यह स्वरूप ऐसा न होता। यह भारतवर्ष की जीवन है, आत्मा है। भारत की जिस चीज पर हमें गर्व हो सकता है वह सब अधिकांशतः इस भाषा की बदौलत है। इतना कह कर मैं इस विधेयक पर आना चाहता हूं। यह ऐसी फिज़ा है, जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूं कि मुझे कोई शिकायत नहीं कि वह सुनें या न सुनें, लेकिन मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि .....

श्री अध्यक्ष—वह आपकी दी हुई बधाई नहीं सुनना चाहते हैं।

श्री अवधेश प्रताप सिंह—अगर मैं उल्टी बात शुरू करूं तो आप नहीं सुनना चाहेंगे कि मैं उनको ऐसी बात कहूं। जहां तक माननीय राज्यपाल महोदय का सम्बन्ध है, मैं उनके खिलाफ कुछ नहीं कहना चाहता हूं। उनके कांस्टीट्यूशनल हेड होते हुए मुझे उनके प्रति क्या कहना चाहिये इसको मैं भली भांति समझता हूं। परन्तु श्रीमन्, मुझे दुःख और खेद होता है कि बहुत सी यूनिवर्सिटीज के वह चांसलर बनाये गये और जब कि बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटीज थीं जिनके कि वह चांसलर रह चुके हैं, तो जब गोरखपुर यूनिवर्सिटी का बिल आया तब भी हमने इस बात को सहन किया, परन्तु यह नहीं देखा जाता है और यह बात समझ में नहीं आती है कि क्यों राज्यपाल महोदय को ही इस बनारस संस्कृत विश्वविद्यालय का चांसलर बनाया जाय। श्रीमन्, आप यह देख सकते हैं कि यह जो विधेयक आया उस समय सरकार की एक निर्धारित नीति थी। वह चाहती थी कि आज जो परम्परा है उससे विचलित होकर वह एक अच्छा मार्ग बनावे। और यही नहीं, आप अगर यह विधेयक देखिये तो जो इसका उद्देश्य और कारण है उसमें संशोधन के बाद का क्लाज अगर न देखा जाय तो यह पता नहीं हो सकता है कि सचमुच हमारे राज्यपाल महोदय इस यूनिवर्सिटी के चांसलर होने जा रहे हैं। मैं इसको आपकी आज्ञा से पढ़ देना चाहता हूं। विधेयक में यह व्यवस्था की गई है कि "इसके कुलपति तथा उप-कुलपति संस्कृत तथा आधुनिक ज्ञान के अच्छे ज्ञाता हों, जिससे अध्ययन तथा अनुसंधान दोनों ही कार्यों का संचालन आधुनिक ढंग से किया जा सके तथा साथ ही संस्कृत शिक्षा की परम्परा सुगत प्रणाली में विद्यमान विशेषताओं से भी लाभ उठाया जा सके।" तो मैंने माना कि क्लाज में तो अमेंडमेंट हुआ लेकिन आज भी इस उद्देश्य और कारण में जो दिया हुआ है उससे यह नहीं कहा जा सकता कि वह उपयुक्त है। मान्यवर, जैसा कि माननीय नवलकिशोर जी ने कहा है कि उनको भी यह स्वीकार है। जब उनको भी स्वीकार था तो मेरी समझ में यह बात नहीं आयी कि कौन सी बात है कि यदि चान्सलर महोदय हों तो वह केवल राज्यपाल ही हो सकते हैं। अगर कोई राज्यपाल मीनिया हो या कोई फोबिया हो तो उसके लिये मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अवधेश प्रताप सिंह]

मैंने यह भी यहां पर सुना कि प्रो-वाइस चान्सलर महाराजा बनारस को क्यों बनाया जा रहा है और उनके बनाने से क्या लाभ हो सकता है। यह ठीक है कि माननीय राजनारायण जी को इस पर आपत्ति है। श्रीमन्, वह तो एक ऐसी बात है कि जिसके लिये चाहे माननीय राजनारायण जी हों या चाहे माननीय नारायणदत्त तिवारी हों वह तो विवश हैं कि अगर उन्होंने पहले यह देख लिया कि कहीं महाराजा नाम के पहले लगा हुआ है तो वह यह समझते हैं कि यह तो कोई रिएक्शनरी है और प्रतिक्रियावादी है। उससे आगे उनका समझना और उनका देखना नहीं होता है। वैसे तो भारत में बहुत से लोग बसते हैं, लेकिन ऐसे लोग हैं जिनसे भारत का कल्याण नहीं हो सकता है। माननीय नवलकिशोर जी ने कहा कि उनको महाराजाओं से न कोई प्रेम है और न कोई घृणा है। तो मैं इस भावना को समझ सकता हूं। मैं माननीय मंत्री जी को बता दूं कि जहां भूमि सुधार का नारा माननीय माल मंत्री लगा सकते हैं तो वह यह न भूलें कि जहां विलीनीकरण हो सकता है वहां संस्कृत के लिये महाराजा बनारस ने जो कुछ किया है वह सराहनीय है। हमारे मंत्री जी जब किसी को विद्या देते हैं तो फीस लेते हैं। मगर मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर किसी ने संस्कृत पढ़ाने का बालकों को प्रयास किया तो वह उनको पढ़ने के लिये रुपया, खाने को गल्ला, सर्दियों में कपड़ा और जिस दिन से वह पाठशाला में आता था उसी दिन वे जब तक वह वहां से उत्तीर्ण होकर न निकले जब तक बहुत सा खर्चा उस प्रबन्धक पर होता था और बनारस के महाराजा का उसमें बहुत कुछ भाग था। यह किसको नहीं मालूम है? राजनारायण जी और नारायणदत्त जी को यह फोबिया या मीनिया हो गया है कि जहां महाराजा का नाम देखा तो सोच लिया कि वह रिएक्शनरी है। काश ये लोग न पढ़े होते तो ज्यादा अच्छा होता मगर अब पढ़ गये हैं तो पीछे हटना भी ठीक नहीं है।

मैंने यह जरूर सुना कि डिक्टेटरशिप के लिये यह आवश्यक है कि अगर हिटलर के पास जितने गार्ड्स थे अपनी जाती हिफाजत के लिये उतने किसी बादशाह के पास नहीं होते थे। मुसोलिनी साहब अपनी हिफाजत के लिये क्या नहीं करते थे? उसके लिये क्या-क्या नियम नहीं बनाये गये? तो मैं नहीं समझता कि माननीय मित्रों को क्या आपत्ति है या माननीय मंत्री को क्या आपत्ति है। मैं यह तो समझता हूं कि लखनऊ यूनिवर्सिटी का नज्जारा उन्होंने देखा या उसका कटु अनुभव हुआ, तो यह सम्भव ही नहीं है कि इस बनारस संस्कृत विश्वविद्यालय में भी उन्हें पुलिस ऐक्शन करना पड़ेगा। इसलिये पूरे विधेयक में आप देखेंगे कि कहीं न कहीं हर जगह शब्द राज्य सरकार जरूर विद्यमान है। शिक्षा हो या चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन हमारी राज्य सरकार हर जगह पदारूढ़ अवश्य होना चाहती है। संस्कृत भाषा के पढ़ने वालों में यह बात नहीं है कि प्रोफेसर के ऊपर जूते उछाले जावें या अध्यापक को गालियां दी जावें या मंत्री महोदय अध्यापक के या अतिथि के रूप में जावें तो यह नारा लगाया जाय कि "मिनिस्टर गो बैक" ये बातें दूसरे स्थानों पर ही हैं। अगर वह समझते हैं कि संस्कृत भाषा में भी यह है तो उनकी भूल है।

एक माननीय मित्र को यह शिकायत हुई और दूसरे को भी यह शिकायत हुई कि पहले तो महाराजा राम, महामना वशिष्ठ जी के पैर छूते थे, लेकिन यह कांग्रेस सरकार उल्टा कर रही है कि वशिष्ठ महाराजा राम के पैर छुएं। वे एक बात भूल गये कि न यह सतयुग है, न त्रेता है और न द्वापर है बल्कि यह कलियुग है। जहां पर कलियुग की व्याख्या की गयी है, उसका वर्णन किया गया है उसके अनुसार यह बिल्कुल ही ठीक है। उसकी रूपरेखा सब वहां पर बयान की गयी है कि उसका भविष्य क्या होगा?

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं अब आप अपना भाषण दूसरे रोज के लिये रखें।

श्री अवधेश प्रताप सिंह—ठीक है श्रीमन्, आज माननीय मंत्री जी को भी सुनने की फुरसत नहीं है, क्योंकि वह दूसरी जगह मशगूल हैं।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं आप भी ताजा होकर आइये। सुनने और सुनाने वाले दोनों ताजा होकर आयें तो अच्छा रहेगा।

विशेषाधिकार समिति के लिये निर्वाचित सदस्यों के नामों की घोषणा

श्री अध्यक्ष—विशेषाधिकार समिति पर इस सत्र के वास्ते मैं निम्नलिखित सदस्यों को निर्वाचित करता हूं—

१—श्री हरगोविन्द पन्त, उपाध्यक्ष, अल्मोड़ा,
२—श्री रामनरेश शुक्ल, एम० एल० ए०, प्रतापगढ़,
३—श्री फूलसिंह,
४—श्री चतुर्भुज शर्मा,
५—श्री महावीर प्रसाद श्रीवास्तव,
६—श्री अंसमान सिंह,
७—श्री अब्दुल रऊफ खां,
८—महाराजकुमार बालेन्दुशाह,
९—श्री विश्रामराय,
१०—श्री गेंदासिंह,

कार्यपरामर्शदात्री समिति के लिए मनोनीत सदस्यों के नामों की घोषणा

कार्यपरामर्शदात्री समिति के लिये जो पुराने सदस्य थे उन्हीं को मैं इस बार भी मनोनीत करता हूं। वे निम्न प्रकार हैं—

१—श्री मंगला प्रसाद,
२—श्री रामनरेश शुक्ल,
३—श्री कालीचरण टंडन,
४—श्री जगन्नाथ मल्ल,
५—श्री नारायणदत्त तिवारी,
६—राजा वीरेन्द्रशाह,
७—श्री शिवप्रसाद देवरिया,
८—श्रीमती सज्जनदेवी महनोत,
९—श्री व्रजभूषण मिश्र,
१०—श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी,

(कुछ ठहरकर)

अब हम उठते हैं, मंगलवार, २४ तारीख को ११ बजे फिर मिलेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजे मंगलवार, २४ जुलाई, १९५६ के ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया।)

मिट्ठन लाल,
सचिव, विधान मंडल,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
१८ जुलाई, १९५६।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ११ का उत्तर पीछे पृष्ठ १६१ पर)

जिलों तथा व धार्मिक क्षेत्रों की सूची जिनमें नशाबन्दी कानून लागू है।

जिला—

१—मैनपुरी,
२—एटा,
३—बदायूं,
४—फर्रुखाबाद,
५—कानपुर,
६—फतेहपुर,
७—उन्नाव,
८—रायबरेली,
९—सुल्तानपुर,
१०—प्रतापगढ़,
११—जौनपुर,

धार्मिक क्षेत्र—

१—हरद्वार (जिला सहारनपुर),
२—बृन्दावन (जिला मथुरा),
३—ऋषिकेश (जिला देहरादून)।

पी० ए० स० यू० पी०ए० पी—११९ एल० ए०—१९५६—७९६।

उत्तर प्रदेश विधान सभा